140 वां अंक

लेखापरीक्षा प्रकाश

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

ऐसे युगपुरूष

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर

जिन्हें आप नहीं जानते होंगे

आकाशगंगा में ध्रुव तारे
की तरह अडोल हमेशा चमकने वाले
आधुनिक विश्व इतिहास में
मानवीय स्वतंत्रता, समानता, सम्मान एवं बधुंत्व
के लिए मर मिटने वाले योद्धा

अब्राहिम लिंकन
(1809-1865)

अमरीकी राष्ट्रपति जिन्होंने दास प्रथा खत्म करने की पहल की: इमैनसिपेंशन घोषणा (1863), 13वां संविधानिक संशोधन (1865)

डॉ. बी.आर. आंबेडकर
(1891-1956)

भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी समाज में मानवीय समानता, सम्मान और बंधुत्व के लिए संघर्ष किया।

मार्टिन लूथर किंग
(1929-1968)

अमेरिका के अश्वेत लोगों के लिए समानता और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए संघर्ष किया।

नेलसन मंडेला
(1918-2013)

दक्षिणी अफ्रीका में मानवीय सम्मान एवं समानता के लिए रंगभेद नीति खत्म करने का संघर्ष किया।

लेखापरीक्षा प्रकाश

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

स्वत्वाधिकार
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रकाशन
''लेखापरीक्षा प्रकाश''
(त्रैमासिक हिंदी पत्रिका)

प्रकाशक
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का कार्यालय, नई दिल्ली–110124

एक सौ चालीसवां अंक (अप्रैल–जून, 2022)

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक
श्री गिरीश चंद्र मुर्मू
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संरक्षक
श्री के.एस. सुब्रमण्यन
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संपादक मण्डल

प्रधान संपादक
श्री कमलजीत सिंह रामुवालिया
प्रधान निदेशक (राजभाषा)

संपादक
श्री अनिल कुमार पिलानी
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

सहायक संपादक
सुश्री मीनाक्षी
सहायक प्रशासन अधिकारी
श्री हीरा बल्लभ भट्ट
सलाहकार

रचना चयन समिति
श्री अनिल कुमार पिलानी
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
सुश्री मीनाक्षी
सहायक प्रशासन अधिकारी
सुश्री रेखा
सहायक प्रशासन अधिकारी

लेआउट एवं डिज़ाइन
कमलजीत सिंह रामुवालिया

मुद्रक: आकांक्षा इम्प्रेशंस
जी–194, सेक्टर–2, बवाना, दिल्ली

मूल्य: राजभाषा के प्रति निष्ठा

नोट–पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के साथ संपादक मंडल का सहमत होना जरूरी नहीं है। इस प्रकाशन में प्रयोग किए सभी चित्रों और जानकारी के स्रोतों का हम हृदय से आभार करते हैं। ये सभी सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के हित के लिए प्रयोग किए गये हैं।

संपादकीय

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर
एक अज़ीम शख़्सियत

बाबासाहेब के बारे में हम उतना ही जानते हैं जो हमने स्कूल या कॉलेज में परीक्षा पास करने के लिए ही पढ़ा होता है। उसके बाद हम शायद ही कभी उनके विचारों को पढ़ते हों और समझने की कोशिश करते हों, अमल करने की बात तो छोड़ दो। हम सिर्फ उन्हें परंपरागत सामाजिक क्षेत्र के पायदान पर सबसे निचले वर्ग के लोगों से संबंधित ही समझते हैं। यहीं पर हम अखौती पढ़े–लिखे लोग सब से बड़ी भूल करते हैं। इस बात का अहसास मुझे तब हुआ जब मैं इस बाबासाहेब समर्पित विशेषांक में शामिल करने वाली रचनाओं को संपादित कर रहा था। उनके बारे में और उनके विचारों को जब मैंने थोड़ा और गहराई से पढ़ा तो लगा कि हम भारत के एक ऐसे महान सपूत के बारे में असल में कुछ नहीं जानते हैं।

हमने उनको एक स्टीरीयोटाईप ढ़ांचे में उतार दिया है और उनको याद करते समय सिर्फ 'लिप सर्विस' ही करते हैं। उनके जन्म दिन 14 अप्रैल और महापरिनिर्वाण के दिन 6 दिसम्बर को सिर्फ उनके प्रतिमाओं पर फूल माला चढ़ाना, फूल अर्पित करना और प्रतिमाओं को नमस्कार करने की रस्म करके औपचारिकता पूरी करने से ही यह समझ लेना कि हमने उनका सत्कार कर दिया है यह एक बहुत बड़ी गलत–फहमी है।

बाबासाहेब समर्पित विशेषांक

उनका सत्कार सिर्फ उनकी प्रतिमाओं पर फूल माला चढ़ाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उनका सही सत्कार तब होगा जब हम उनके ख्वाब–एक संगठित एवं सर्वहितकारी भारत बनाने में अपना योगदान पायेंगे। सही सत्कार तो तब होगा जब यह औपचारिकता जो अति आवश्यक भी है, उसके आगे चलकर उनके आधुनिक ''भारत के विजन'' के विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर प्रयास करते हुए प्रभावी कदम उठाएंगे।

इसके लिए मन से यह भाव छोड़ना होगा कि वह सिर्फ एक वर्ग विशेष के नायक थे। मन की इस संकीर्णता से हम तभी निकल सकेंगे जब हम उनके द्वारा रचित किताबें और उनके बारे में लिखी गई उनकी जीवन की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप पायेंगे कि उस जमाने में जब भारत ब्रतानिया का गुलाम था और उस समय सदियों से पिछड़े और लताड़े गये सामाजिक वर्ग जिनको पढ़ने–लिखने का अधिकार तो छोड़ दो, इज्जत की साधारण जिंदगी जीने का भी हक नहीं था, उनकी आवाज उठाना और अपने अजीम बौधिक ज्ञान और निःस्वार्थ भाव के संपूर्ण समपर्ण के साथ, बिना किसी बल के प्रयोग के उन्होंने वो कर दिया जो शायद ही मानव इतिहास में दुनियां में किसी और शख़्सियत ने किया हो। यह एक अंजीम एवं अतुलनीय मिसाल है जिसका कोई सानी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उनका विरोध ना हुआ हो। बावजूद उस विरोध के जो उनके समय के मशहूर और प्रभावशाली नेताओं से हुआ, वे अपनी बौद्धिक शक्ति के बल पर एक 'जेतू जरनैल' की तरह भारत के राजनीतिक पटल पर प्रतिष्ठित हुए। और रहती दुनिया तक, उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा और श्रद्धा से याद किया जाता रहेगा।

मैं निवेदन करूंगा कि आप बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के जीवन और उनके द्वारा रचित किताबें और उन पर विद्वानों के विचार अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़िएगा। मेरा विश्वास है आप इससे लाभांवित होंगे और इससे एकजुट मजबूत एवं खुशहाल भारत बनाने की इच्छा जरूर पैदा होगी।

आपका शुभाकांक्षी
कमलजीत सिंह रामुवालिया
प्रधान संपादक

नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली

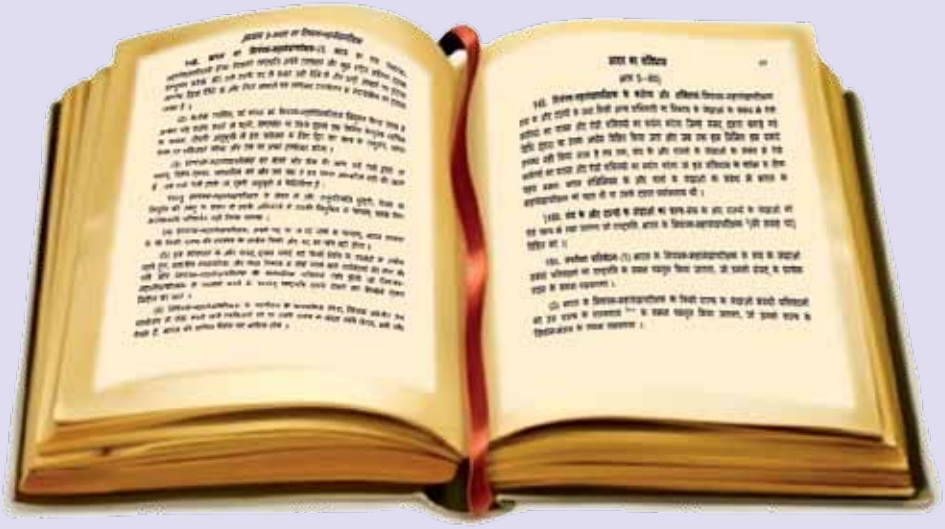

मेरी राय है कि यह गणमान्य व्यक्ति या अधिकारी शायद भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है,

वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखने जा रहा है कि संसद द्वारा दिए गए खर्च विनियोग अधिनियम में संसद द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उससे अधिक या भिन्न नहीं हैं। यदि इस पदाधिकारी को कर्तव्यों का पालन करना है, और मेरा निवेदन है कि उसके कर्तव्य, न्यायपालिका के कर्तव्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं...

-डॉ. आंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिया गया वक्तव्य
(मई 1949)

ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है
परंतु बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है।
उनमें से एक हैं युगपुरुष बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर।

इस विशेषांक में

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखापरीक्षा प्रकाश
140वां अंक

संपादकीय
1 बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर एक अजीम शख्सियत

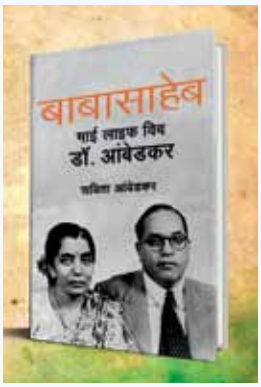

31 सविता आंबेडकर ने कैसे अपने भावी पति डॉ. आंबेडकर के साथ अपनी पहली मुलाकात को आत्मकथा में याद किया
सुश्री मीनाक्षी

कवर स्टोरी
10 ऐसे युगपुरूष बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जिन्हें आप नहीं जानते होंगे
रेहान फज़ल

6 एक आइकन का पुनरुथान

कवर स्टोरी
22 उसे जीतने के लिए यहां कोई और दुनिया नही है
के एस रामुवालिया

8 दुनिया जब मार्टिन लूथर की चर्चा करे

36 क्या था खालसा कॉलेज, मुंबई से डॉ. आंबेडकर का कनेक्शन
परमजीत सिंह

16 वह महिला जिसके बलिदान ने 'भीमराव' को 'डॉ. आंबेडकर' में बदल दिया: रमाबाई
सुश्री पूनम रानी

38 सिर्फ पानी नहीं, "इन्सान होने के हक" की लड़ाई: महाड़ सत्याग्रह
बिन्दु

इस विशेषांक में

ऐसे
युगपुरूष
बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर
जिन्हें आप नहीं जानते होंगे

40 नहीं जानते होंगे भारत के आर्थिक विकास में डॉ. आंबेडकर का आधारभूत योगदान
सुश्री रेखा

44 कैसे दी बाबासाहेब ने श्रमिकों को इज्जत की जिंदगी
परमजीत सिंह

47 क्यों भारतीय महिलाओं को डॉ. आंबेडकर का आभारी होना चाहिए ?
सुश्री रेखा

52 पंच तीर्थ
के एस रामुवालिया

84 उदय होता भारत और डॉ. आंबेडकर के आर्थिक विचार
सुश्री मीनाक्षी

88 यू एन और डॉ. आंबेडकर

91 डॉ. भीमराव आंबेडकर: ज्ञान के अथाह समुंदर
हीरा बल्लभ भट्ट

पृष्ठ 1, 6, 8, 22, 52, 68, 78, 88, 100, 103, 104 107, 110 पर लेखों के रचनाकार के एस रामुवालिया

कवर पेज तथा सभी फोटो फीचरों की परिकल्पना एवं डिजाइनः के एस रामुवालिया, प्रधान निदेशक

विशेष सहयोगः एन. बी. जोशी (ग्राफिक्स डिज़ाइनर)

60 नजरअंदाज किया फिल्म बनाने वालों ने युगपुरूष डॉ. आंबेडकर को
सुश्री नेहा यादव

66 एक महान अर्थशास्त्री जिसका जिक्र बहुत ही कम हुआ
हीरा बल्लभ भट्ट

68 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है डॉ. आंबेडकर की आत्मकथा: 'वेटिंग फॉर ए वीजा'
के एस रामुवालिया

96 बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर की कुछ खास बातें
सुश्री पूनम रानी

100 अपने मिट्टी के मोल जीवन को सोने जैसे दिन प्राप्त हों

104 रोचक प्रसंग: 1 अमेरिकी महानतम हस्तियां थी उनकी प्रोफेसर

107 रोचक प्रसंग: 2 कैसे लिखी गई बाबासाहेब की जीवन कथा

72 दीक्षा भूमि नागपुर और संविधान की मूल प्रति
परमजीत सिंह

कवर स्टोरी
78 क्या था महान अमेरिकी प्रो. जॉन डेवी और डॉ. आंबेडकर का कनेक्शन?

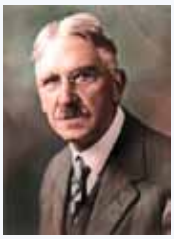

फोटो फीचर

26 शिक्षा भूमि लंदन
52 पंच तीर्थ
62 जन्म भूमि महू
71 शुभेच्छु
76 दीक्षा भूमि नागपुर
94 न्यूज पेपर

103 संकल्प भूमि का महत्व

110 रोचक प्रसंग: 3 1914 की एक रात का एक दृढ़ संकल्प
के एस रामुवालिया

इस विशेषांक में हमने एक कोशिश की है कि बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के जीवन के उन पहलुओं के बारे में विशेष तौर पर अपने पाठकों से साझा किया जाए जिनके बारे में हम कम जानते हैं या बिल्कुल नही जानते हैं। हम सभी रचनाकारों का भी धन्यवाद करते है, जिन्होंने उसमें योगदान दिया है। उन सभी स्रोतों का भी आभार प्रकट करते हैं जिनसे हमें बहुत सारी बहुमुल्य जानकारी एवं छायाचित्र मिले। उनके बिना यह विशेषांक संभव नही था। यद्यपि हमने पूरी कोशिश की है कि कोई त्रुटि न रहे फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम पहले से ही क्षमायाचक है और उसके सुधार के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

हम आशा करते है कि यह विशेषांक आपको अवश्य पसंद आयेगा। इस संबंधी अपने बहुमुल्य विचारों को कृप्या हमारे साथ साझा करें।

–संपादक मंडल

एक आइकन का पुनरूत्थान

बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर की उनके महापरनिर्वाण के एक लंबे अरसे के बाद स्वीकारता एवं लोकप्रियता देश की मुख्यधारा की ओर बढ़ रही है। यही नहीं विदेशों में भी अनेकों देशों में विशेषतः युनिवर्सिटियों और दूसरे उच्च संस्थानों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ रही है। उनके 'बस्ट' यानि प्रतिमाएं लंदन स्कूल ऑफ इक्नामिक्स (यू.के.), अमेरिका में कोलंबिया युनिवर्सिटी, न्यूयार्क, युनिवर्सिटी ऑफ मैसाच्सेट्स एमहर्स्ट, कनाडा में साईमन फ्रेजर युनिवर्सिटी, योर्क युनिवर्सिटी इत्यादि अनेकों संस्थानों में स्थापित किये गये हैं और यू.एन. हैडकवाटरस, न्यूयार्क में (2016) में स्मरणोत्सव समारोह आयोजित किया गया। उनके विचारों, लेखनियों और भाषणों पर विश्व स्तर पर शोधपत्र लिखने में एक नई दिलचस्पी देखने को मिल रही है। कोलंबिया युनिवर्सिटी में एक आंबेडकर चेयर स्थापित की गई है। आंबेडकर मैमोरियल लेक्चर कैलगरी युनिवर्सिटी कनाडा, मानचेस्टर मैट्रोपोलियन युनिवर्सिटी आदि में आयोजित किये गये हैं।

12 जून, 2008 को दक्षिणी अफ्रीका के एक शीर्ष राजनीतिक नेता थाबो मबेकी ने नेशनल असैंबली में अपने भाषण में उनका विशेष जिक्र किया। 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय संसद में दिये भाषण में उनका विशेष जिक्र किया।

यह सब क्यों हो रहा है ? इसका सीधा उत्तर यह है कि बाबासाहेब ने उन आधारभूत सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों की बात की, संघर्ष किया जो मुद्दे सारी दुनिया में विभिन्न रूपों में विद्धमान हैं। इन मूल्यों का सरोकार व्यक्ति की ***आजादी, बंधुत्व, समानता*** और ***सामाजिक न्याय*** आदि से है यहाँ 'इंसान' एक इकाई के रूप में बराबरी के व्यवहार की अपेक्षा करता है। और यह अति महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य किसी भी देश की राजनीतिक सीमाओं में बंधा नही है।

बाबासाहेब की बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकारता से यह संकेत भी स्पष्ट है कि वे लोगों के ह्रदय में श्रद्धा भाव से हमेशा याद किये जाते रहेंगे।

जब भी विश्व के किसी भी मंच पर मानवीय सार्वभौमिक अधिकारों एवं समानता की बात होगी वहाँ पर उनको ***'एक महान लिबरेटर'*** के तौर पर याद किया जायेगा। वो शोषित वर्गो की आवाज थे जिस पर उन्होंने सारी उम्र पहरा दिया। ये सदियों की गुलामी की जंजीरों को जिस लासानी बौधिक सूझ–बूझ से उन्होंने काटा है इस तरह के संघर्ष का उदाहरण मिलना मुश्किल है। अतः वे शोषित वर्ग के लिए एक महान ***'क्रांतिकारी'*** एवं ***'मुक्तिदाता'*** बन कर विश्वपटल पर उभरे हैं। ऐसे युगपुरूष 'भारत रत्न' को युगों–युगों तक याद किया जाता रहेगा।

मानचेस्टर मैट्रोपोलियन युनिवर्सिटी, डॉ. आंबेडकर मैमोरियल लेक्चर

डॉ. आंबेडकर मेमोरियल, लंदन (अप्रैल 2015), एल एस ई (1994)

कोयासन युनिवर्सिटी, जापान

पंच तीर्थ
जन्मभूमि: महू
शिक्षाभूमि: लंदन
दीक्षाभूमि: नागपुर
महापरिनिर्वाण भूमि: दिल्ली
चैत्या भूमि: मुंबई

पुकेकोहे, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में आंबेडकर मार्ग

साजोकाजा, हंगरी में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा

निरोक्स मूर्तिकला पार्क–चौथी दुनिया, जोहान्सबर्ग

मेलबर्न युनिवर्सिटी

वेस्टर्न युनिवर्सिटी, सिडनी

मानचित्र स्केल अनुसार नहीं

उनको 'विश्व मानव' के रूप में हमें देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप में मार्टिन लूथर किंग को देखती है हम बाबासाहेब को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। बाबासाहेब को ऐसे सीमित ना करें। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरूष हैं। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है।

–डॉ. आंबेडकर नेशनल मेमोरियल की 21 मार्च 2016 को आधारशिला रखने के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी।

"दुनिया जब मार्टिन लूथर किंग की चर्चा करे तो बाबासाहेब की चर्चा करने पर भी मजबूर हो जाए..."

सामाजिक विकारों से ऊपर उठकर कोलंबिया और लंदन युनिवर्सिटियों शिक्षा पाने वाला पहला भारतीय बनने के साथ–साथ डॉ. आंबेडकर एक ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता भी थे।

उनका मानना था कि एक आदर्श समाज की रचना के लिए हर वर्ग के लोगों के लिए सामान अधिकार मिलना जरूरी है। डॉ. आंबेडकर ने जो पिछड़े और कमजोर हैं उनको ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया था। बाबासाहेब ने न्यायप्रियता को प्राथमिकता दी। इसी सोच को साकार करने के लिए वे समान अधिकारों के लिये लड़े और एक संविधान की संरचना की जिसमें सभी एक दूसरे से एक सूत्र में जुड़े हुए हैं।

"बाबासाहेब को सीमाओं में न बांधे। उन्हें विश्व मानवीयता के रूप में देखें।" – डॉ. आंबेडकर नेशनल मेमोरियल, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली की 21 मार्च 2016 को आधारशिला रखने के समय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा।

"वो तब होगा, जब हम बाबासाहेब का सही रूप, उनके विचारों की सही बात, उनके काम की सही बात, दुनिया के पास सही स्वरूप में प्रस्तुत करें, इस केन्द्र का यह सबसे बड़ा काम रहेगा कि पूरा विश्व बाबासाहेब को जाने एवं समझे। भारत के मूलभूत तत्वों को जाने और समझे और यह बाबासाहेब के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है।"

"उनको विश्व मानव के रूप में हमें देखना चाहिए जो मानवीय मूल्यों के रखवाले थे।"

"बाबासाहेब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। और हमें संविधान से जो कुछ मिला है वो जाति विशेष के कारण नहीं मिला है, वह अन्याय की परंपराओं को नष्ट करने के एक उत्तम प्रयास के रूप में मिला है।"

"उनको 'विश्व मानव' के रूप में हमें देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप में मार्टिन लूथर किंग को देखती है हम बाबासाहेब को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर मार्टिन लूथर विश्व के दबे–कुचले लोगों की आवाज बन सकते है तो आज बाबासाहेब भी विश्व के दबे–कुचले लोगों की आवाज बन सकते हैं।"

यशस्वी वक्ता

ओजस्वी लेखक

विपुल प्रतिभा के धनी

कांस्टिटयूशन ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष

एक सिग्नेचर जिसने
सदियों बाद बदली...

...करोड़ों लोगों की जिंदगी !

'द ग्रेटेस्ट इंडियन'

(सन् 2012 में हिस्ट्री टीवी 18 और सीएनएन आईबीएन टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण अनुसार)

ऐसे युगपुरुष

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर

जिन्हें आप नहीं जानते होंगे

इस लेख में हम बात कर रहे हैं भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं की जिन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा उनकी शख़्सियत की कुछ अंतरंग बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे।

द ग्रेटेस्ट इंडियन

सन 2012 में हिस्ट्री टीवी 18 और सीएनएन आईबीएन टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण जिसमें *"द ग्रेटेस्ट इंडियन"* को चुनना था उसमें बाबासाहेब भीमराव रामजी डॉ. आंबेडकर को ***"द ग्रेटेस्ट इंडियन" (महानतम भारतीय)*** चुना गया। इसमें लगभग 20 मिलियन वोट डाले गए। अर्थशास्त्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, एक उल्लेखनीय भारतीय अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव ने कहा है कि डॉ. आंबेडकर ***''सभी समयों के एक सर्वोच्च शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री थे।''*** नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि आंबेडकर ***''मेरे अर्थशास्त्र के पितामह हैं।''***

डॉ. आंबेडकर थे अपने जमाने के सबसे अधिक पढ़े-लिखे भारतीय

विपुल प्रतिभा के धनी डॉ. आंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे ज्यादा पढ़े–लिखे व्यक्ति थे। **दक्षिण पूर्वी एशिया के पहले डबल पीएच.डी. वाले विद्वान थे।**

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, (14 अप्रैल, 1891 – 6 दिसम्बर, 1956) एम ए, एम एससी, पीएच डी, डी एससी, डी लिट, बार–एट–लॉ, भारतीयों के सबसे अधिक महत्वपूर्ण शख़्सियतों में से एक हैं। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले असाधारण महामानव थे – वे एक अर्थशास्त्री, न्यायविद, दार्शनिक, मानवविज्ञानी, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने संविधान सभा की बहस से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया।

उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया, और 1956 में उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्धमत को कई सदियां गुजरने के बाद, आधुनिक समय में एक नई प्रेरणा मिली।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने मुंबई (बॉम्बे) के प्रसिद्ध एलफिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे युनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन करके, क्रमशः 1917 और 1923 में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की और 1910 एवं 1920 के दशकों में किसी भी संस्थान में ऐसा करने वाले वो कुछेक भारतीय छात्रों में से एक थे। वह 9 भाषाएँ जानते थे।

उन्होंने ग्रेज इन्न, लंदन में कानून का प्रशिक्षण लिया। **अपने शुरुआती करियर में वे एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे।** उनका बाद का जीवन उनकी राजनीतिक गतिविधियों से चिह्नित था। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अभियान एवं बातचीत, पत्रिकाओं के प्रकाशन, राजनीतिक अधिकारों और विशेषतः सदियों से दबाये एवं शोषित किए गए वंचित वर्गों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत करने और भारत राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने में शामिल हो गए।

14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में उन्होंने सदियों पुरानी पीढ़ी–दर–पीढ़ी चली आ रही जन्मजात सामाजिक गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस जगह को दीक्षाभूमि के नाम से जाना जाता है, जो नागपुर में स्थित है।

उनके अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल किया गया अभिवादन ''जय भीम'' उनका सम्मान करता है। उन्हें सम्मानित 'बाबासाहेब' द्वारा ज्यादातर संदर्भित किया जाता है। ये सम्मान उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में जब वो बुद्धमत में शामिल हुए उस वक्त से हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया।

भारत के लोकतंत्र और संविधान पर बाबासाहेब आंबेडकर की छाप तो सर्वविदित है लेकिन एक व्यक्ति के रूप में बाबासाहेब कैसे थे, इसके बारे में लोगों को कम पता है। बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की इस वर्ष 14 अप्रैल, 2022 उनकी 131वीं जयंती और 6 दिसम्बर को 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हम याद कर रहे हैं बाबासाहेब के व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलुओं को भी।

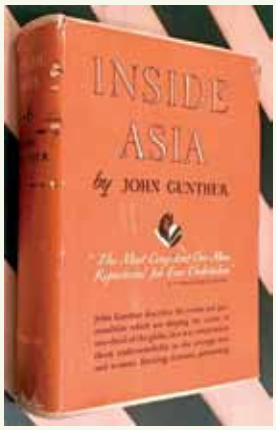

1990 में बाबासाहेब आंबेडकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार **"भारत रत्न"** प्रदान किया गया, जिसको उनकी पत्नी डॉ. सविता आंबेडकर ने भारत के राष्ट्रपति से स्वीकार किया।

क्या थे बाबासाहेब के खास शौक

किताबों की दीवानगी

बाबासाहेब को शुरू से ही पढ़ने, खेती–बागवानी करने के अलावा कुत्ते पालने का शौक था। किताबों को लेकर उनकी दीवानगी जगजाहिर थी। शुरू से ही पढ़ने–लिखने के शौकीन बाबासाहेब के पास उस जमाने में देश में किताबों का सबसे बेहतरीन संग्रह था। किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वो सुबह होने तक क़िताबों में ही लीन रहते थे।

मशहूर पुस्तक *'इनसाइड एशिया'* के लेखक ***जॉन गुंथेर*** ने लिखा है–"जब 1938 में मेरी राजगृह ;उनके मुंबई निवास स्थानद्ध में आंबेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थीं। उनके निधन तक ये संख्या बढ़ कर 35000 हो चुकी थी।"

अपनी पुस्तक *'माय एक्सपिरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर'* में बाबासाहेब आंबेडकर के निकट सहयोगी रहे ***शंकरानंद शास्त्री*** लिखते हैं, "मैं रविवार 20 दिसम्बर, 1944 को दोपहर एक बजे आंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वो इन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ।"

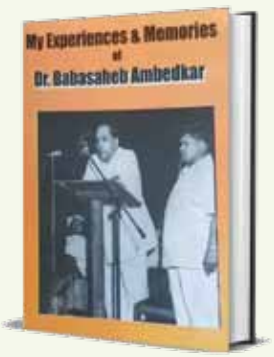

"दिल्ली के जामा मस्जिद के पास होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्हें विभिन्न विषयों पर करीब दो दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे, "अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी हैं तो उनको उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए।"

नामदेव निमगड़े **अपनी किताब** ***'इन दी टाइगर'स शैडो – दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन आंबेडकरराइड'*** **में लिखते हैं–**

"रात में आंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनके स्टडी रूम में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे आंबेडकर बोले 'टॉमी ये मत करो,' मैं थोड़ा अचम्भित हुआ। जब बाबासाहेब ने अपनी आंख ऊपर उठाई तो मुझे देख कर वो झेंप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया।"

नामदेव निमगड़े अपनी क़िताब ***"इन दी टाइगर'स शैडो..."*** में आगे लिखते हैं, "एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतना लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना 'रिलैक्सेशन' यानि मनोरंजन किस तरह करते हैं. उनका जवाब था कि मेरे लिए 'रिलैक्सेशन' यानि मनोरंजन का मतलब एक विषय को छोड़ दूसरे विषय की क़िताब पढ़ना।"

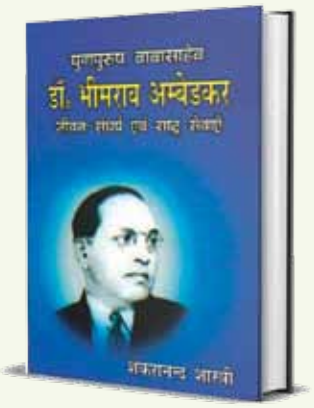

चेन्नई से प्रकाशित होने वाले ***'जय भीम'*** के 13 अप्रैल, 1947 के अंक में ***करतार सिंह पोलोनियस*** ने लिखा था,

"एक बार मैंने बाबासाहेब से पूछा कि आप इतनी सारी क़िताबें कैसे पढ़ पाते हैं. इस पर उनका जवाब था, लगातार क़िताबें पढ़ते रहने से उन्हें ये अनुभव हो गया था कि किस तरह क़िताब के मूलमंत्र को आत्मसात कर उसकी फजूल की चीजों को दरकिनार कर दिया जाए।" ***पोलोनियस*** के अनुसार, "अनेकों किताबों को पढ़ने वाले बाबासाहेब पर तीन क़िताबों का सबसे ज्यादा असर हुआ था। इनमें पहली किताब थी 'लाइफ ऑफ टॉलस्टाय'। दूसरी किताब थी विक्टर ह्यूगो की 'ले मिजराब्ल' और तीसरी थी थॉमस हार्डी की 'फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड।" "किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वो सुबह होने तक क़िताबों में ही लीन रहते थे।"

दिल्ली में सबसे अच्छा

और दर्शनीय बगीचा

बाबासाहेब आंबेडकर की जीवनी लिखने वाले ***धनंजय कीर*** लिखते हैं – ***"आंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे।"***

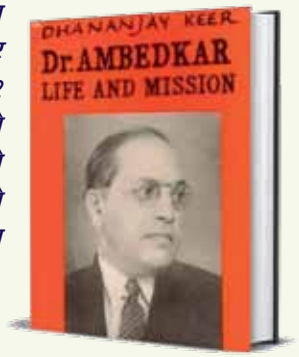

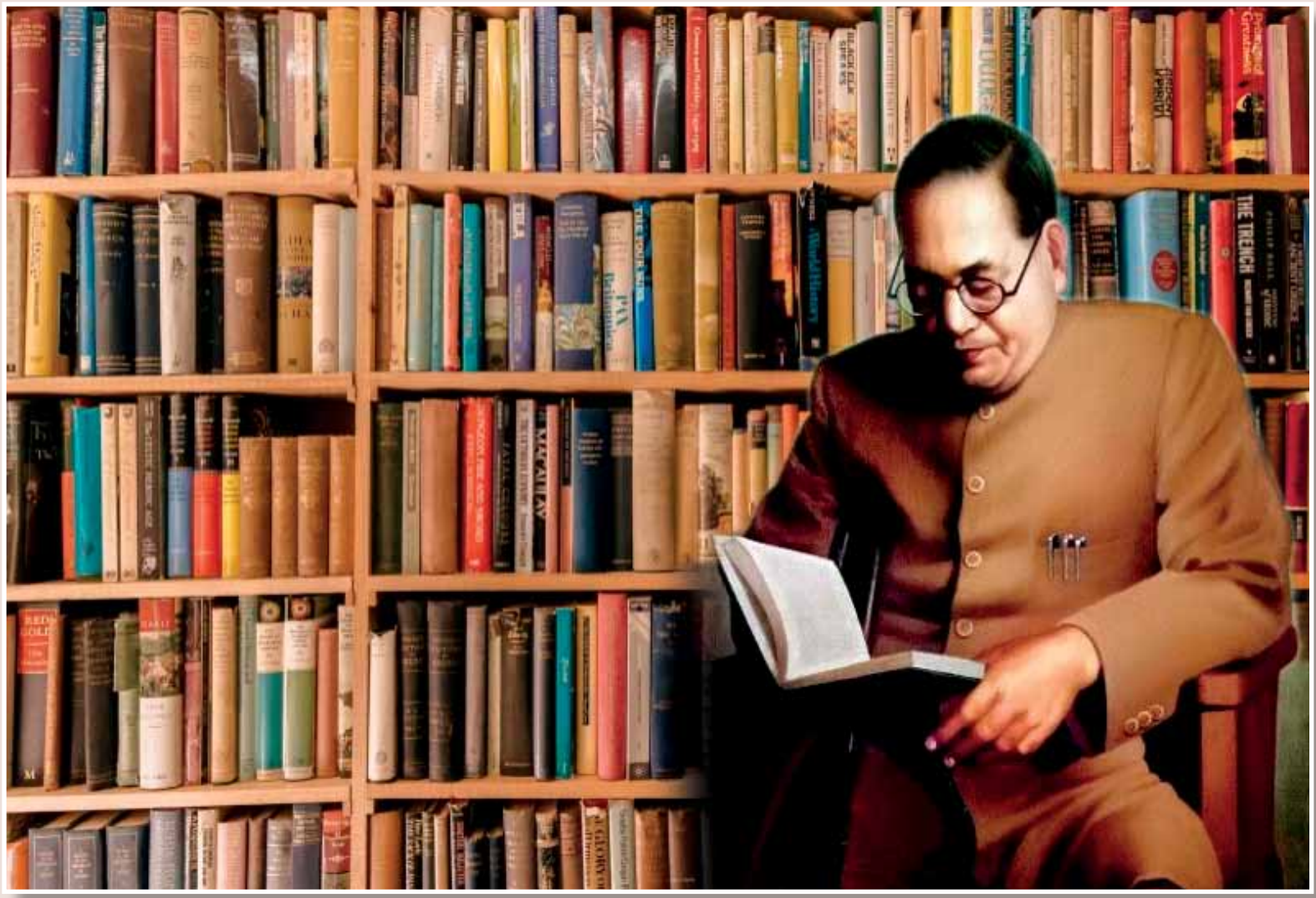

"आंबेडकर की लाइब्रेरी में किसी को भी उनकी किताब छूने की इजाजत नहीं थी।" धनंजय कीर लिखते हैं, "किताबें उनकी जिंदगी की धड़कन थीं।"

"मेरे लिए 'रिलैक्सेशन' यानि मनोरंजन का मतलब एक विषय को छोड़ दूसरे विषय की क़िताब पढ़ना।"

–डॉ. आंबेडकर

"मशहूर पुस्तक 'इनसाइड एशिया' के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है– 'जब 1938 में मेरी राजगृह में आंबेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थीं। उनकी निधन तक ये संख्या बढ़ कर 35000 हो चुकी थी।'"

"अखबार पढ़ने के बाद अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आयी होती थीं। कोर्ट का काम समाप्त कर वो किताबों की दुकान का चक्कर लगाया करते थे। और जब वे शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था।"

"जहाँ तक बागवानी का सवाल है तो दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार *"डेली मेल"* ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार आंबेडकर ने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट–फूट कर रोये थे।"

> *अनेकों किताबों को पढ़ने वाले बाबासाहेब पर तीन क़िताबों का सबसे ज्यादा असर हुआ था।*
> *इनमें पहली किताब थी 'लाइफ ऑफ टॉलस्टाय' दूसरी किताब थी विक्टर ह्यूगो की 'ले मिज़राब्ल' और तीसरी थी थॉमस हार्डी की 'फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड' किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वो सुबह होने तक क़िताबों में ही लीन रहते थे।*

खाना बनाने का शौंक

छुट्टियों में कभी–कभी बाबासाहेब खुद खाना बनाया करते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया करते थे। बाबासाहेब आंबेडकर के साथ काम कर चुके *देवी दयाल* लिखते हैं,

"3 सितम्बर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और सात पकवान बनाये, इसे बनाने में उन्हें तीन घंटे लगे। उन्होंने खाने पर 'दक्षिण भारत अनुसूचित फेडरेशन' की प्रमुख सुश्री मीनांबल सिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गयीं कि **"भारत की एक्सिक्यूटिव कौंसिल"** के *लेबर सदस्य* ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। उनको सरसों का साग और मूलीयों की सब्जी बनाने का बहुत शौक था।"

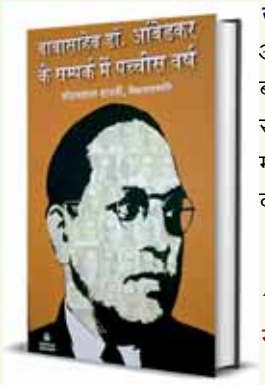

अपनी क़िताब *'बाबा साहेब के संपर्क में पच्चीस वर्ष'* में उनके साथी रहे *सोहनलाल शास्त्री* लिखते हैं, ''हम दोनों साग को खूब सारे तेल में पकाया करते थे क्योंकि उन्हें पंजाबी स्टाइल में साग बनाना पसंद था। उन्हें अपने राज्य महाराष्ट्र पर भी गर्व था।"

अपनी किताब *''रेमिनेंसेंसेज एंड रिमेंबरेंस ऑफ डॉ. बी आर आंबेडकर'* में *नानक चंद रत्तू* लिखते हैं, "बाबासाहेब आंबेडकर को किसी तरह के नशे का शौक नहीं था और न ही वे धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे कहने से पान खाया तो जरूर, पर अगले ही पल यह कहते हुए उसे थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। वह बहुत साधारण खाना खाते थे। उनके भोजन में बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के तीन टुकड़े हुआ करते थे।"

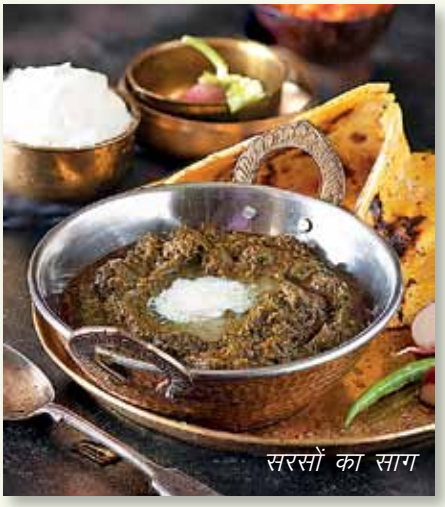
सरसों का साग

उनके सहयोगी रहे **देवी दयाल** अपनी पुस्तक *"डेली रूटीन ऑफ डॉ. आंबेडकर"* में लिखते हैं, *"घर पर सुदामा को आंबेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा घर में घुसने पर बाबासाहेब के काम में बाधा होगी जो कि उस समय पढ़ने में तल्लीन थे वो दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब आंबेडकर ताजी हवा लेने बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते पाया वो बिना आवाज किये अंदर चले गए। जब अगले दिन सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबासाहेब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया है।"*

बाहर का खाना नहीं था पसंद

बाबासाहेब मौज–मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे *देवी दयाल* लिखते हैं–"हालाँकि वो दिल्ली के जिमखाना क्लब के सदस्य थे पर शायद ही वो कभी वहां गए हों। जब भी वो अपनी कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपने पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था।"

"...एक बार वो एक फिल्म *'ए टेल ऑफ टू सिटीज'* देखने गए। उसे देखते समय उनके मन में कोई विचार आया और वो फिल्म बीच में ही छोड़कर चले गए और घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे।

वो घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था तो बाबासाहेब का जवाब होता था अगर मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पर ही खाना

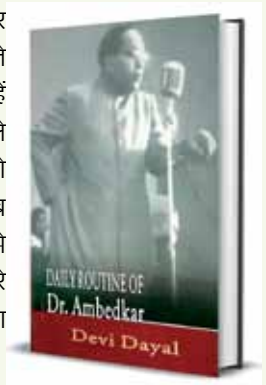

ले आओ, मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने और बापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरे कम–से कम एक घंटा बर्बाद होगा। इस समय इस का उपयोग मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूंगा।"

भारतीय कपड़ों में ही वायसराय को मिलना

बाबासाहेब अक्सर नीला सूट पहना करते थे, लेकिन कुछ ख़ास मौकों पर वो अचकन, चूड़ीदार पजामा और काले जूते पहनते थे। लेकिन, जब भी वो वायसराय से मिलने जाते थे, वो हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनते थे। घर पर वो साधारण कपड़े पहना करते थे। गर्मी में वो चार हाथ की लुंगी कमर में लपेट लेते थे। उसके ऊपर वो घुटनों तक का कुर्ता पहनते थे। विदेश में

डॉ. आंबेडकर की वाइलिन जो पुणे के म्यूज़ियम में रखी गई है।

रहने के दौरान से ही वो नाश्ते में दो टोस्ट, अंडे और चाय लिया करते थे।

उनके सहयोगी रहे **देवी दयाल** लिखते हैं कि जब वो नाश्ता करते थे तो बाईं तरफ उनके अख़बार खुले रहते थे। उनके हाथ में एक लाल पेंसिल रहती थी जिससे वो अख़बारों की मुख्य ख़बरों पर निशान लगाया करते थे।

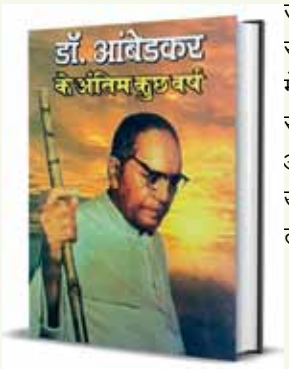

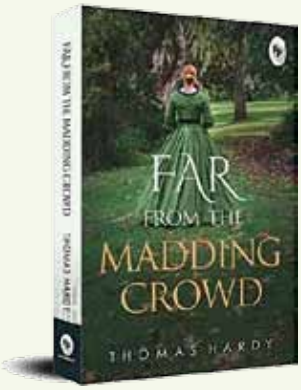

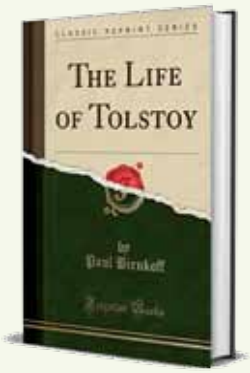

वाइलिन का संगीत

अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबासाहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था।

उनके सचिव रहे *श्री नानक चंद रत्तू* किताब– *"लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ डॉ. आंबेडकर"* में लिखते हैं, *"एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झाँक कर एक अद्भुत नजारा देखा था। बाबासाहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सबने बारी–बारी से जाकर वो अद्भुत नजारा देखते हुए आनंद लिया..."*

एक लोक कथा

कहते हैं कि एक विदेशी रिपोर्टर प्रमुख राजनीतिक हस्तियों का साक्षात्कार लेने के लिए भारत आया। उसके पास समय कम था तो दिल्ली में उन्होंने पहले महात्मा गांधी जी से मिलने का फैसला किया। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो महात्मा गांधी जी पहले ही सो चुके थे। इसके बाद वे नेहरू जी के घर पहुंचे। लेकिन नेहरू जी भी सो गए थे। इसके बाद उन्होंने सरदार पटेल से मुलाकात की सोची। तब तक वह भी सो चुके थे। आधी रात हो चुकी थी जब रिपोर्टर डॉ. आंबेडकर के घर पहुंचा तो उसने देखा बाबासाहेब आंबेडकर पूरी तरह से जाग रहे थे और अपनी मेज पर काम कर रहे थे। रिपोर्टर ने उनसे पूछा, "अन्य सभी नेता पहले से ही बिस्तर पर हैं। आप अभी तक कैसे जागे हुए हैं?" आंबेडकर ने उत्तर दिया, "वे नेता पहले ही अपने लोगों को जगा चुके हैं। अब वे चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन मेरे लोगों को अभी जागना बाकी है। इसलिए, मुझे जागते एवं बने रहना है और काम करते रहना है..."

प्रस्तुति: *रेहान फज़ल*
वरिष्ठ ब्रॉडकास्ट पत्रकार, बीबीसी, नई दिल्ली

वह महिला जिसके बलिदान ने 'भीमराव' को 'डॉ. आंबेडकर' में बदल दिया: रमाबाई

मातोश्री रमाबाई भीमराव आंबेडकर
(7 फरवरी 1898 – 27 मई 1935)
(कलात्मक अनुकूलित रंगीन छवि)

वर्ष 1941 के शुरू में प्रकाशित अपनी पुस्तक *'थोट्स ऑन पाकिस्तान'* में डॉ. आंबेडकर ने अपनी दिवंगत पत्नी रमाबाई को समर्पित की थी। इस समर्पण के शब्द इस तरह हैं:

> ***मैं यह पुस्तक रमो को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सदवृत्ति, सदाचार की पवित्रता के लिए और मेरे साथ दुःख झेलने में, कमियों और चिंताओं के दिनों में जब हमारा कोई सहारा नही था, जो हमारे भाग्य में आया था, अतीव सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा के प्रतीक के रूप में भेंट करता हूं।***

रमाबाई के निधन के करीब छह साल बाद छपी इस समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पुस्तक के इस समर्पण में डॉ. आंबेडकर द्वारा दिसम्बर, 1940 में इस्तेमाल किए गए शब्द रमाबाई के प्रति उनके अत्यंत सम्मान और उनकी मान्यता को इंगित करते हैं कि उन्होंने उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह रमाबाई की ***''दिल की अच्छाई''*** को संदर्भित करते है और पीड़ा सहन करने की उसकी तत्परता और उनके शांत धैर्य को याद करते है।

वह इस बात को रेखांकित करना कतई नहीं भूलते कि उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी था जब वे मित्रविहीन थे। इच्छाओं और चिंताओं के दिनों में उनके पास केवल दोस्तों के नाम पर उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ ही था।

डॉ. आंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने 27 वर्षों तक अपने जीवन के उतार–चढ़ाव को साझा किया और उनके इस जीवन में चढ़ाव से ज्यादा उतार थे। उन्होंने 1908 में जब शादी की तब आंबेडकर 17 साल के थे और रमाबाई 9 साल की थीं। रमाबाई का पहला नाम रामीबाई था। शादी के बाद उनका नाम रमाबाई कर दिया गया था। बाबासाहेब के अनुयायी उन्हें **''रमई''** के रूप में संबोधित करते हैं।

वह एक कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी, गंभीर और बुद्धिजीवी महिला थीं, जिन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना सुनियोजित तरीके से किया। उसने बहुत कम साधनों और पैसे की तंगी में घर–गृहस्थी को चलाया और पति आंबेडकर की शिक्षा के लिए बहुत कुछ त्याग भी किया।

आंबेडकर ने लंदन से रमाबाई को लिखा था कि वह भुखमरी के कगार पर हैं

वसंत मून, अपनी किताब *डॉ. आंबेडकर 1991, (एनबीटी)* **पृ.** 25 पर लिखते हैं –

"परीक्षा की घड़ी अक्सर आंबेडकर दंपति के पास आ जाती थी। पहली बार उन्होंने खुद को मुसीबत में पाया जब आंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1920 में दूसरी बार लंदन गए। जाने से पहले, उन्होंने घर के खर्चों के लिए रमाबाई के पास कुछ नकदी छोड़ दी, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं चली और उन्हें अपने भाई शंकरराव और छोटी बहन मीराबाई की मामूली कमाई से काम चलाना पड़ा।"

"वे छोटे–मोटे काम करके मुश्किल से एक दिन में 8–10 आने (50–60 पैसे) घर ला पाते थे। उस पैसे का इस्तेमाल सामान खरीदने के लिए किया और किसी तरह परिवार के सदस्यों का पेट भरने की कोशिश की। वह उसके लिए कठिन समय था। ऐसे दिन भी थे जब उन्हें खाली पेट सोना पड़ता था।"

INSCRIBED TO THE MEMORY
OF
RAMU
As a token of my appreciation of her goodness of heart, her nobility of mind and her purity of character and also for the cool fortitude and readiness to suffer along with me, which she showed in those friendless days of want and worries which fell to our lot.

समर्पण के शब्द

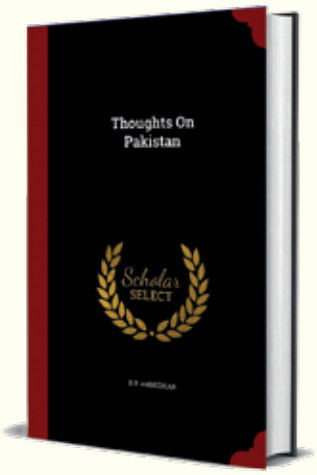

जहां रमाबाई भारत में परिवार के लिए दो वक्त के भोजन की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, वहीं उधर दूर लंदन में डॉ. आंबेडकर की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। रमाबाई ने उन्हें पत्र लिखकर परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। **अनिल, शहारे,** *डॉ. आंबेडकर की संघर्ष–यात्रा एवं सन्देश 2014,* **पृष्ठ** 57 पर लिखते हैं –

आंबेडकर ने उन्हें इन शब्दों में जवाब दिया: *"लंदन, 25 नवंबर 1921*

....आपका पत्र प्राप्त किया। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि गंगाधर (आंबेडकर के सबसे बड़े बेटे) बीमार हैं। खुद पर भरोसा रखिए। चिंता से कुछ नहीं होगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपकी पढ़ाई जारी है। मैं कुछ पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी यहां भुखमरी के कगार पर हूं। मेरे पास आपको भेजने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समय लगता है या आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो घर चलाने के लिए अपने गहने बेच दें। मैं तुम्हारे लिए नए गहने बनवाऊंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है...''

समाज के लिए रमाबाई और डॉ. आंबेडकर को जो कष्ट सहना पड़ा, उसका उल्लेख *'बहिष्कृत भारत'* के संपादकीय में भी किया गया है। आंबेडकर ने लिखा कि रमाबाई ने अपने जीवन में एक लंबे समय तक घर चलाने की जिम्मेदारी उठाई जब वह विदेश में पढ़ रहे थे। वापिस भारत लौटने के बाद भी, वे सामाजिक कार्यों में इतने डूब गए कि उन्हें रमाबाई के लिए दिन में आधा घंटा मुश्किल से ही मिल पाता था। उस समय भी रमाबाई को अकेले ही परिवार संभालना पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब डॉ. आंबेडकर उन्हें सामान खरीदने के लिए पैसे दे पाते थे।

आंबेडकर ने 'बहिष्कृत भारत' के संपादकीय में रमाबाई को याद किया

कैसे उन दोनों ने सामाजिक कार्य की वेदी पर अपने व्यक्तिगत सुख और शांति का त्याग किया, इसका वर्णन डॉ. आंबेडकर ने *'बहिष्कृत भारत'* में इस प्रकार किया है:

"यह लेखक आंबेडकर, जिसने बदले में एक पैसा लिए बिना सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए एक वर्ष तक 'बहिष्कृत भारत' के लिए 24 कॉलम लिखे और जिसने ऐसा करते हुए अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति की परवाह नहीं की – वह (रमाबाई) उसकी आँखों का तारा बन गया था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब यह लेखक विदेश में था, तब वह परिवार का भार अपने कंधों पर ढोती थी और अब भी करती है। इस लेखक के विदेश से लौटने के बाद भी, वह वित्तीय संकट की अवधि के दौरान अपने सिर पर गाय के गोबर की टोकरी ले जाने में पीछे नहीं हटी। और इस लेखक को इस बेहद स्नेही, मिलनसार और आदरणीय पत्नी के लिए 24 घंटे में आधा घंटा भी नहीं मिल सका।"

(प्रभाकर गजभिए, *'बहिष्कृत भारत' में प्रकाशित बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के सम्पादकीय' 2017*, पृष्ठ 152)

समाचार पत्र के प्रकाशन के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर 3 फरवरी 1928 को *'बहिष्कृत भारत'* में प्रकाशित इस संपादकीय का शीर्षक था *''क्या बहिष्कृत भारत का ऋण सार्वजनिक ऋण नहीं है?''*

इस लेख में, आंबेडकर ने वर्णन किया कि कैसे रमाबाई स्नेह की अवतार थीं और उन्हें एक आदरणीय जीवनसाथी के रूप में याद किया। वे अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए कुछ घंटे भी नहीं मिलने पर अपने दुख और दर्द को व्यक्त करता है, जिसने अत्यधिक अभावों का सामना किया और अनगिनत बलिदान दिए।

आंबेडकर दंपत्ति ने झेला चार बच्चों का दर्द

डॉ. आंबेडकर और रमाबाई (कलात्मक रंगीन चित्र)

रमाबाई और डॉ. आंबेडकर को एक के बाद एक क्रूर आघात का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपने तीन बेटों और एक बेटी को खो दिया। उनके बेटे गंगाधर की मृत्यु तब हो गई जब वह अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। बाद में यशवंत का जन्म हुआ, उसके बाद रमेश, इंदु और राजरत्न का स्थान रहा। बाद के तीनों की भी मौत हो गई।

अपने चार बच्चों के निधन से रमाबाई और आंबेडकर का दिल टूट गया। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी।

डॉ. आंबेडकर ने अपने **दोस्त दत्तोबा पवार** को लिखे पत्र में दिल दहला देने वाले शब्दों में अपना दर्द साझा किया:

''हम, रमाबाई और आंबेडकर, जल्द ही अपने आखिरी बेटे की मौत के सदमे से उबर नहीं पाएंगे। इन हाथों ने तीन पुत्रों और एक पुत्री को श्मशान घाट पहुंचाया है। जब भी मैं उन्हें याद करता हूं, मेरा दिल दुखता है। हमने उनके भविष्य के बारे में जो सोचा था, वह खंडहर में पड़ा है। दर्द के बादल हमारे जीवन पर मंडरा रहे हैं। बच्चों की मौत ने हमारे जीवन को बिना नमक के भोजन के रूप में बेस्वाद बना दिया है। बाइबल कहती है, ''तुम पृथ्वी के नमक हो, परन्तु यदि नमक अपना स्वाद खो चुका है, तो वह किस से नमकीन होगा? मेरे जीवन में शून्य इस कथन की सच्चाई की गवाही देता है। मेरा आखिरी बेटा असाधारण था। मैंने अभी तक ऐसा बच्चा नहीं देखा है। इस दुनिया से उनके जाने से मेरा जीवन कांटों से भरे बगीचे की तरह हो गया है। मैं इतना निराश और व्यथित हूं कि मैं अब और नहीं लिख सकता। गहरी पीड़ा में अपने दोस्त से नमस्कार स्वीकार करें'' (*डॉ. आंबेडकर की संघर्ष–यात्रा एवं सन्देश 2014*, अनिल, शहारे, पृष्ठ 70)

आंबेडकर और रमाबाई का विवाह मुंबई के मछली बाजार में हुआ था

"मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद आंबेडकर ने 1908 में रमाबाई से शादी हो गई। वे उस समय एल्फिंस्टन हाई स्कूल के छात्र थे। आंबेडकर के पिता रामजी सूबेदार ने अपने बेटे की शादी भिक्कू वलांगकर की बेटी रमाबाई के साथ तय की थी। शादी समारोह बॉम्बे (अब मुंबई) के भायखला बाजार (मछली बाजार) में आयोजित किया गया था। दूल्हे का परिवार बाजार के एक कोने में और दुल्हन का दूसरे कोने में इकट्ठा हुआ।

रमाबाई अपने माता–पिता की सबसे छोटी बेटी थी, जिनकी मृत्यु तभी हो गई थी जब वह बच्ची थी। उसके पिता भिक्कू धुत्रे (वलंगकर) दाभोल के पास वानंद गांव के रहने वाले थे और दाभोल बंदरगाह पर कुली का काम करते थे।

वह और उसके भाई–बहनों को उनके रिश्तेदारों द्वारा लाया गया था। उनके भाई का नाम शंकर धुत्रे था।" *(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन–चरित,* धनंजय कीर, 2018, पृष्ठ 23)

रमाबाई के जीवन पर फिल्मों और नाटकों की एक श्रृंखला बनाई गई है। मराठी में उनके बारे में कई किताबें भी लिखी गई। उनमें से कुछ यह हैं:

- रमाबाई, 2016 में एम. रंगनाथ द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म है।
- रमाबाई भीमराव आंबेडकर, 2011 में प्रकाश जाधव द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म है।
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 2000 में जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म है।
- युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 1993 में शशिकांत नलवडे द्वारा निर्देशित एक मराठी फिल्म है।
- रमई, 1992 में अशोक गवली द्वारा निर्देशित नाटक।
- भीम गर्जना, 1990 में विजय पवार द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म है।

हालांकि आंबेडकर और रमाबाई की शादी 1908 में हो गई थी, लेकिन 1917 में लंदन से मुंबई लौटने के बाद ही उन्होंने वास्तव में अपना शादीशुदा जीवन जीना शुरू किया था। यह उत्सव मनाने का अवसर था। रमाबाई ने सोचा कि उनका दर्द और दुख जल्द ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि उनके साहब को नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा और सब खुशी–खुशी रहेंगे।

उन्हें उम्मीद थी कि उनके और भी बच्चे होंगे (तब तक गंगाधर पहली संतान की मृत्यु हो चुकी थी) और वे एक सुखी, संतुष्ट और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। *(बाबासाहेब आंबेडकर जीवन और चिंतन,* खैरमोडे, 2016, पृष्ठ 112)

लेकिन आंबेडकर के विचार कुछ और ही थे। इस अवधि के दौरान सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में उनकी गहरी भागीदारी का मतलब था कि उनके पास रमाबाई के लिए बहुत कम समय बचा था।

(डॉ. आंबेडकर 1934 में अपने परिवार के साथ अपने मुंबई स्थित घर राजगृह में। (बाएं से) यशवंत (पुत्र), डॉ. आंबेडकर, रमाबाई (पत्नी), लक्ष्मीबाई (बड़े भाई आनंद की पत्नी) और भतीजा मुकुंदराव। तस्वीर में डॉ. आंबेडकर का पालतू कुत्ता टॉबी भी नजर आ रहा है। (कलात्मक अनुकुलित रंगीन छवि)

आंबेडकर की कोशिश से सीखा लिखना पढ़ना

जब आंबेडकर उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए तो उनके जाने के बाद पैदा हुआ पुत्र जन्म देने के बाद चल बसा। यह बहुत तकलीफदेह था। वह इसका ख्याल रखती थीं कि डॉ. आंबेडकर के कामों में कोई बाधा नहीं पहुंचे। उनकी पढ़ाई खराब न हो। वह पति की कोशिश के चलते कुछ पढ़ना लिखना भी सीख गईं थी।

आंबेडकर का लंदन प्रवास रमाबाई के लिए नई मुसीबत लेकर आया

डॉ. आंबेडकर इस बात से बहुत निराश थे कि उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर लंदन से मुंबई लौटना पड़ा। परिवार के साथ उनके पुनर्मिलन पर उनकी खुशी इस निराशा से धुंधली हो गई थी। इसलिए, मुंबई में रमाबाई के साथ लगभग ढाई साल व्यतीत करने के बाद, आंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1920 में दुबारा लंदन चले गए। आंबेडकर का लंदन जाना रमाबाई के लिए नई मुसीबत लेकर आया। यह पीछे उद्धृत रमाबाई के एक पत्र पर आंबेडकर के जवाब से स्पष्ट है। वे 1923 में भारत लौट आए और उनका जीवन पटरी पर वापस आ गया। लेकिन आंबेडकर सामाजिक–राजनीतिक आंदोलनों में और गहरे उतरते गए और रमाबाई के साथ मुश्किल से ही समय व्यतीत कर पाए।

30 मई, 2018 को पुणे में मातोश्री रमाबाई भीमराव आंबेडकर गार्डन में मातोश्री रमाबाई भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के उद्घाटन के दौरान भूतपूर्व राष्ट्रपति महामिहिम श्री राम नाथ कोविंद।

बच्चों के निधन ने भी उन्हें आघात पहुंचाया

बच्चों के जन्म से रमाबाई का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। बच्चों का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। जब एक बेटे की मृत्यु हुई तो आंबेडकर बहुत दुखी भी हुए। उन्होंने अपने एक दोस्त को पत्र लिखाः

"हम चार सुन्दर रूपवान और शुभ बच्चे दफन कर चुके हैं। इनमें से तीन पुत्र थे और एक पुत्री। यदि वे जीवित रहते तो भविष्य उनका होता। उनकी मृत्यु का विचार करके हृदय बैठ जाता है। हम बस अब जीवन ही गुजार रहे हैं। जिस प्रकार सिर से बादल निकल जाता है, उसी प्रकार हमारे दिन झटपट बीतते जा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारे जीवन का आनंद ही जाता रहा और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, "तुम धरती का आनंद हो। यदि वह धरती को त्याग जाये तो फिर धरती आनंदपूर्ण कैसे रहेगी?" मैं अपने जीवन में खालीपन बार–बार अनुभव करता हूं। पुत्र की मृत्यु से जीवन बस ऐसे ही रह गया है, जैसे तृणकांटों से भरा हुआ कोई उपवन। बस अब मेरा मन इतना भर आया है कि और अधिक नहीं लिख सकता।"

रमाबाई के निधन पर बच्चे की तरह रोए थे आंबेडकर

आंबेडकर के भारत लौटने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन रमाबाई की तबीयत बिगड़ने लगी। *आंबेडकर के जीवनी लेखक* **धनंजय कीर** लिखते हैं:

''रमाबाई बीमार थीं। आंबेडकर को लगभग 10 वर्षों से अपने परिवार की देखभाल करने का समय नहीं मिला था। वह एक बार हवा बदलने के लिए रमाबाई को धारवाड़ ले गए। लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ... बाबासाहेब ने उनकी हालत में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। (**धनंजय कीर, 2018, पृष्ठ 237**) लेकिन दवाएं बेअसर रहीं और रमाबाई की तबीयत बिगड़ती चली गई। वह बेहद कमजोर हो गई और अपने निधन से पहले छह महीने तक शैय्या ग्रस्त रही।

उसे अक्सर अपने वैवाहिक जीवन के आरंभिक वर्षों में भूखा रहना पड़ता था, और इससे उसका शरीर टूट गया था। चार बच्चों की मौत से वे बहुत व्यथित थी । डॉ. आंबेडकर 27 मई 1935 को रमा के निधन से एक रात पहले ही घर लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय वे उनके सन्निकट थे। व्यथित आंबेडकर, शोकातुर भारी हृदय के साथ, अंतिम संस्कार के जुलूस के साथ रुक–रुक कर चल रहे थे। अंतिम संस्कार के मैदान से लौटने के बाद उन्होने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। रमाबाई के निधन के बाद एक हफ्ते तक वह बच्चे की तरह रोते रहे। (***डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन–चरित,* धनंजय कीर, 2018, पृष्ठ 239**)

पत्नी के निधन पर साधु बनने की सोचने लगे थे

रमाबाई की अंतिम यात्रा में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पत्नी की सिर्फ 37 साल की उम्र में हुए निधन ने डॉ. आंबेडकर को तोड़ दिया था। एक हफ्ते तक वह एक बच्चे की तरह रोते रहे और उन्हें दिलासा देना मुश्किल था। उन्हें रमाबाई के निधन का इतना धक्का पहुंचा कि उन्होंने बाल मुंडवा लिये। भगवा वेश धारण कर लिया और गृह त्यागी एक सन्यासी की तरह व्यवहार करने लगे। वह उन दिनों बहुत उदास, दुःखी और परेशान रहते थे।

अपने भरोसेमंद मित्र और शुभचिंतकों के बार–बार अनुरोध और सलाह पर उन्होंने फिर से अपने पीड़ित साथियों को पार करने के लिए और उनकी सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए शुरू किए ऐतिहासिक मोर्चे की दोबारा कमान संभाल ली।

रमाबाई, एक वफादार पत्नी के रूप में, अपने पति के संघर्षों में साझा रही (हालांकि हमेशा अनावश्यक रूप से नहीं)। उन्होनें बाबासाहेब के लिए कई निजी कुर्बानियां भी दी हैं।

नवंबर, 1918 से मार्च, 1920 की अवधि में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, ***लंदन युनिवर्सिटी में अधूरी रह गई अपनी युनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी करने की उनकी महत्वाकांक्षा की लौ उनके दिमाग में आंखों के सामने लगातार जलती रही।***

कैसे रखा पढ़ाई का ख्याल

एक कमरे में सात या आठ लोग–और दूसरे कमरे में बाबासाहेब की पढ़ाई...

डॉ. आंबेडकर की पत्नी रमाबाई ने मन में दृढ़ संकल्प लिया और उन्हें युनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाने की बिना शर्त अनुमति दे दी। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके पति की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा न आए। एक ओर एक कमरे में सात–आठ लोग रहते थे और वहीं दूसरी ओर अलग कमरे में भीमराव पढ़ते रहते थे। वह घर के लोगों की पीड़ा, पैसे की कमी, कड़ी मेहनत, आदि–इन सभी चीजों में यह सुनिश्चित करती थी कि उसके पति को इन सब के बारे में आभास न हो। वह सावधानीपूर्वक इंतजाम करती थी ताकि घर के बच्चे और उसके पड़ोसियों के बच्चे उसके पति के कमरे के सामने किसी प्रकार का व्यवधान न करें।

पति अर्थशास्त्र की अपनी बड़ी मोटी किताबों को पढ़ने और उनके नोट्स बनाने में तल्लीन रहते थे। दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद, वह पूरी तरह से पढ़ाई की ट्रान्स अवस्था समाधि, में तल्लीन हो जाते थे। खाने का समय होने पर रमाबाई उसे बाहर से बार–बार बुलाते–बुलाते थक जाती थी, फिर भी पति पढ़ाई में ही लगे रहते थे। कभी–कभी, बिना खाए, वह पूरे दिन और पूरी रात इस समाधि में रहते थे। रमाबाई को धार्मिक कर्तव्य के रूप में, उनके साथ खाने से परहेज करना होता था।

प्रस्तुति: सुश्री पूनम रानी
क.हि.अ. मुख्यालय, नई दिल्ली

27 मई, 1935 को मातोश्री रमाबाई आंबेडकर की आखिरी तस्वीर जिसमें डॉ. आंबेडकर के साथ यशवंत, मुकुंद, लक्ष्मीबाई एवं और अन्य करीबी लोग।

"उसे जीतने के लिए यहाँ कोई

जब 'लंदन स्कूल ऑफ इक्नामिक्स'

डॉ. बी. आर. आंबेडकर पहली बार 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इक्नामिक्स (एलएसई) में गए और 1920 में फिर वापस अपनी अधूरी थीसिस पूरी करने के लिए वहाँ आए और 1923 में उन्होंने अपना डॉक्टरेट थीसिस मुक्कमल किया।

1920 में कोलंबिया युनिवर्सिटी के मशहूर अर्थशास्त्री **प्रो. एडविन आर. सेलिगमैन** ने एलएसई **प्रोफेसर हर्बर्ट फॉक्सवेल** को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की सिफारिश की, और प्रोफेसर फॉक्सवेल को उनके शोध कार्य में उनकी मदद करने के लिए कहा। नवंबर 1920 में **प्रोफेसर फॉक्सवेल** ने एलएसई के स्क्रेटरी श्रीमती मैयर को लिखा:

''मुझे लगता है कि वह पहले ही अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके हैं और यहां सिर्फ एक शोध को पूरा करने के लिए आए हैं। यह मैं भूल गया था। मुझे खेद है कि हम उसे स्कूल के नाम के साथ जोड़ नहीं सकते लेकिन उसे जीतने के लिए अब यहाँ कोई और दुनिया नहीं हैं।"

डॉ. आंबेडकर ने 1916 में मास्टर डिग्री के लिए एलएसई में रजिस्ट्रेशन कराया था। परंतु यह अलग बात थी की उनकी स्कॉलरशिप की समय अवधि खत्म होने के कारण उन्हें भारत वापिस आना पड़ा था। अपने अधूरे शोध कार्य (थीसिस) को मुकम्मल करने के लिए वे 1920 में एलएसई में अध्ययन करने के लिए दोबारा गये और अपने पीएचडी के थीसिस को संपूर्ण किया।

एलफिंस्टन हाई स्कूल में अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने एलफिंस्टन कॉलेज और बॉम्बे युनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। 1913 में उन्हें बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप प्रदान किया गया और 1913 में कोलंबिया युनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से मास्टरस और 1916 में **एक थीसिस, *"नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया–ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी"*** संपूर्ण की।

भारतीय वित्त और मुद्रा का इतिहास में शोध करने की इच्छा ने डॉ. आंबेडकर को लंदन में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। जहां अनुसंधान स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होने की उम्मीद थी।

1916 में उन्होंने मास्टर डिग्री के लिए 'लंदन स्कूल ऑफ इक्नामिक्स' में **प्रो. हैलफोर्ड मैकिंडर** के साथ ज्योग्राफी तथा **प्रो. जी लोव्स डिकिंसन** के साथ पोलिटिकल आइडियास के साथ–साथ **प्रोफेसर एलटी हॉबहाउस** के साथ सामाजिक विकास एवं सामाजिक सिद्धांत का अध्ययन किया। पाठ्यक्रम की फीस 10 पोंड और 10 शीलिंग थी। उसी समय आंबेडकर ने कानून की पढ़ाई के लिए

> **"मुझे लगता है कि वह पहले ही अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके हैं और यहां सिर्फ एक शोध को पूरा करने के लिए आए हैं। यह मैं भूल गया था। मुझे खेद है कि हम उसे स्कूल के नाम के साथ जोड़ नहीं सकते लेकिन उसे जीतने के लिए अब यहाँ कोई और दुनिया नहीं हैं।"**

मशहूर *'ग्रेज इन्न'* विधि संस्थान में **'बार कोरस'** में दाखिला लिया। 'ग्रेज इन्न' विधि संस्थान, लंदन में कोर्ट के चार विधि संस्थानों ('इन्न') में से एक है। बार में बुलाए जाने और इंग्लैंड और वेल्स में बैरिस्टर के रूप में वकालत करने के लिए, हर एक व्यक्ति को इनमें से किसी एक 'इन्न' से संबंधित होना जरूरी होता है।

1916 में एलएसई को स्थापित हुए केवल 21 वर्ष हुए थे लेकिन अंतरराष्ट्रीय छात्र निकाय और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में इसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। 1913–1914 में ब्रिटेन से बाहर के मात्र 142 छात्रों को दाखिला मिला था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप ने स्कूल के काम पर भी प्रभाव डाला था और छात्र संख्या कम हो कर लगभग आधी 800 तक रह गई थी। इसी बीच आंबेडकर की पढ़ाई बाधित हो गई क्योंकि उनकी स्कालरशिप की अवधि खत्म हो गई थी तो उन्हें बड़ौदा स्टेट में

लंदन स्कूल ऑफ इक्नामिक्स (एलएसई)

और दुनिया नहीं है" ने डॉ. बी आर आंबेडकर को कहा

सैन्य सचिव के रूप में सेवा करने के लिए भारत वापिस जाना था। वापिस भारत आने से पहले जुलाई 1917 में लंदन युनिर्वसिटी ने उन्हें चार साल तक की अनुपस्थिति की छुट्टी देकर दोबारा थीसिस पूरा करने का समय दिया।

सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इक्नामिक्स, बॉम्बे (वर्तमान में मुंबई) में राजनीतिक अर्थव्यवस्था (पॉलिटिकल इकॉनमी) के **'प्रोफेसर'** के रूप में काम करने और ''डिपरेसड समुदायों'' की स्थिति और प्रतिनिधित्व पर भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार करने वाली **''स्कारबोरो कमेटी''** को साक्ष्य देने के बाद वे अपना थीसिस पूरा करने के लिए एलएसई लंदन वापिस

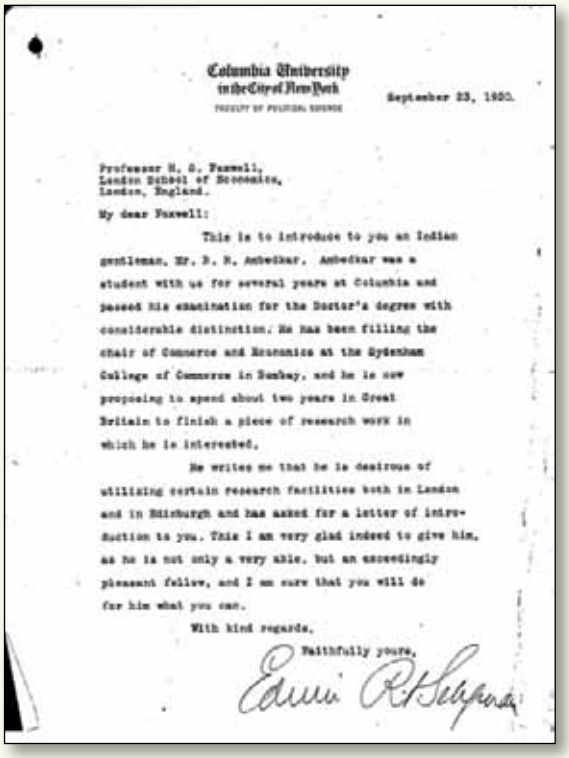

Columbia University
in the City of New York
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

September 23, 1920.

Professor H. S. Foxwell,
London School of Economics,
London, England.

My dear Foxwell:

This is to introduce to you an Indian gentleman, Mr. B. R. Ambedkar. Ambedkar was a student with us for several years at Columbia and passed his examination for the Doctor's degree with considerable distinction. He has been filling the chair of Commerce and Economics at the Sydenham College of Commerce in Bombay, and he is now proposing to spend about two years in Great Britain to finish a piece of research work in which he is interested.

He writes me that he is desirous of utilizing certain research facilities both in London and in Edinburgh and has asked for a letter of introduction to you. This I am very glad indeed to give him, as he is not only a very able, but an exceedingly pleasant fellow, and I am sure that you will do for him what you can.

With kind regards,

Faithfully yours,

Edwin R. Seligman

भारतीय वित्त और मुद्रा का इतिहास में शोध करने की इच्छा ने डॉ. आंबेडकर को लंदन में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया,
जहां अनुसंधान स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होने की उम्मीद थी।

प्रोफेसर एडवर्ड सेलिगमैन, कोलंबिया विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हर्बर्ट फॉक्सवेल, लंदन युनिवर्सिटी को पत्र, डॉ. बी. आर. आंबेडकर की रिक्मेंडेश्न, 1920 एलएसई आर्काईव

(विद्वान शिक्षाविदों की आकाशगंगा–प्रो. फॉक्सवेल, प्रो. लोव्स प्रो. कैनन, प्रो. ग्रेगरी) डॉ. आंबेडकर ने एलएसई का थीसिस 1923 में प्रो. कैनन की निगरानी में पूरा किया था। प्रो. कैनन आर्थिक विचारों के विश्वप्रसिद्ध इतिहासकार थे।

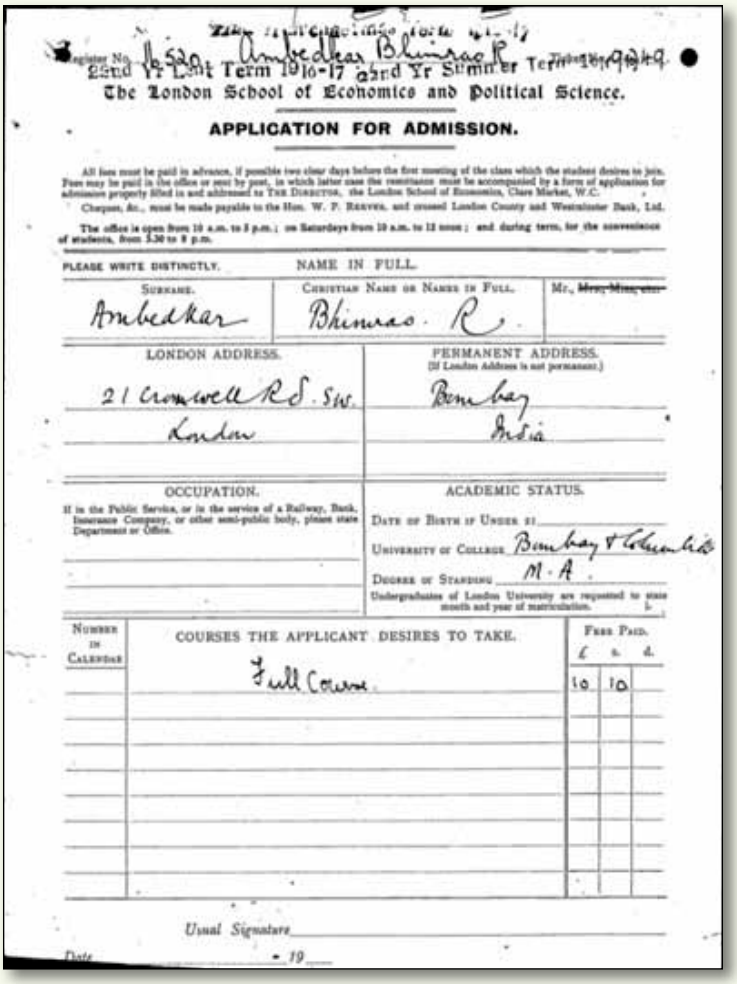

Register No. 1520 Ambedkar Bhimrao R

22nd Yr Lent Term 1916-17 22nd Yr Summer Term

The London School of Economics and Political Science.

APPLICATION FOR ADMISSION.

PLEASE WRITE DISTINCTLY. NAME IN FULL.

SURNAME.	CHRISTIAN NAME OR NAMES IN FULL.	Mr., Mrs., Miss, etc.
Ambedkar	Bhimrao. R.	

LONDON ADDRESS.	PERMANENT ADDRESS. (If London Address is not permanent.)
21 Cromwell Rd. S.W. London	Bombay India

OCCUPATION.	ACADEMIC STATUS.
If in the Public Service, or in the service of a Railway, Bank, Insurance Company, or other semi-public body, please state Department or Office.	Date of Birth if Under 21 ... University or College Bombay & Columbia ... Degree or Standing M.A. ... Undergraduates of London University are requested to state month and year of matriculation.

NUMBER IN CALENDAR	COURSES THE APPLICANT DESIRES TO TAKE.	FEES PAID. £ s. d.
	Full Course	10 10

Usual Signature

Date 19

ग्रेज़ इन्न, लंदन की 19वीं शताब्दी की तस्वीर (ऊपर)
ग्रेज़ इन्न लंदन के कैम्पस की वर्तमान समय की तस्वीरें (नीचे)

एलएसई, 1916 में अध्ययन के लिए बी. आर. आंबेडकर का आवेदन। एलएसई आर्काइव

चले गए। पहले उन्होंने अपनी मास्टरस डिग्री पूरी करने और ***"भारत में शाही वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण" (द प्रोविंशयल डी–सैट्रलाईजेशन ऑफ इमपीरियल फाईनैंस इन इंडिया)*** पर एक थीसिस लिखने के लिए आवेदन किया । उनकी फीस तब एक गिन्नी से बढ़ कर 11 पोंड और 11 शिलिंग हो चुकी थी। अप्रैल 1921 में उनके एलएसई कैरियर में एक छोटी सी गड़बड़ी भी आई जब वे ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं के लिए अपने फॉर्म नहीं भेज सके और स्कूल सक्रेटरी, श्रीमती मैयर को देर से फॉर्म जमा करने की अनुमति के लिए लंदन युनिवर्सिटी के अकादमिक रजिस्ट्रार को लिखना पड़ा।

अर्थशास्त्र में आंबेडकर के अनुशिक्षकों में **प्रोफेसर एडविन कैनन** और **प्रोफेसर हर्बर्ट फॉक्सवेल** शामिल थे। वे दोनों 1895 में एलएसई के उद्घाटन के समय से ही पढ़ा

लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान बाबासाहेब के निवास स्थान पर, नवंबर 2015 में उनकी प्रतिमा पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पुष्प अर्पित करते हुए। (दाएं) 1994 में अनावरण की गई एक प्रतिमा वर्तमान में एलएसई पुरानी इमारत के एट्रियम गैलरी में प्रदर्शित है।

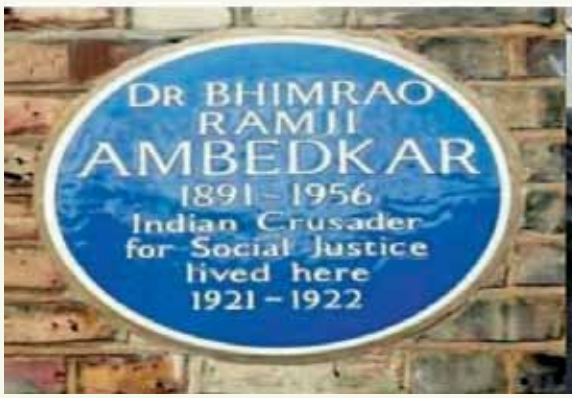

ग्रेज़ इन्न सोसायटी, *लंदन ने* ***'डॉ. आंबेडकर कक्ष'*** *की स्थापना करके और उनका ये रंगीन पोर्ट्रेट न्यायविदों के चित्रों की आकाशगंगा के बीच स्थापित करके उन्हें अगस्त 2021 को सम्मानित किया। वे अकेले भारतीय हैं जिनका पोर्ट्रेट ग्रेज इन्न में पहली बार सन् 1994 में लगाया गया था।*

रहे थे। वह **थिओडोर ग्रेगरी** से भी मिले होंगे, जिन्होंने अर्थशास्त्र में वहाँ सहायक के रूप में शुरुआत की, लेकिन वो 1920 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ***'कैसल रीडर'*** बन गए। बाद में, ग्रेगरी 1938–1946 तक भारत में **ब्रिट्रिश इंडिया सरकार के आर्थिक सलाहकार** बने थे।

मार्च 1923 में डॉ. आंबेडकर ने अपना पीएचडी थीसिस ***''द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी''*** प्रस्तुत किया, लेकिन इसे स्वीकृति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था। कुछ रिपोर्टो का दावा था कि यह थीसिस परीक्षकों के लिए बहुत क्रांतिकारी और ब्रिटिश सरकार विरोधी था। हालांकि आंबेडकर की छात्र फाइल में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। डॉ. आंबेडकर ने अपना थीसिस प्रो. कैनन जो आर्थिक विचारों के विश्वप्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनकी निगरानी में अगस्त 1923 में पूरा करके फिर से प्रस्तुत किया और नवंबर 1923 में यह स्वीकार किया गया। और इसको तुरंत प्रकाशित भी कर दिया गया। इसकी **'प्रस्तावना'** में आंबेडकर ने अपने अध्यापक, प्रोफेसर का आभार व्यक्त करते हुए इस तरह उल्लेख किया – ***''मेरे अध्यापक, प्रोफेसर एडविन कैनन के प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना।''*** वे आगे लिखते है ***"प्रोफेसर कैनन द्वारा मेरी सैद्धांतिक चर्चाओं की गंभीर परीक्षा ने मुझे कई त्रुटियों से बचा लिया है।''*** दूसरी तरफ ***प्रोफेसर कैनन*** ने डॉ. आंबेडकर के इस कम्पलीमेंट के उत्तर में उनकी थीसिस का ***'फोरवर्ड'*** लिखकर इन शब्दों से कृतार्थ किया –***"इस थीसिस के उन्होंने कुछ तर्को से असहमत होने पर भी इस में 'एक उत्तेजक ताजगी' को पाया।"***

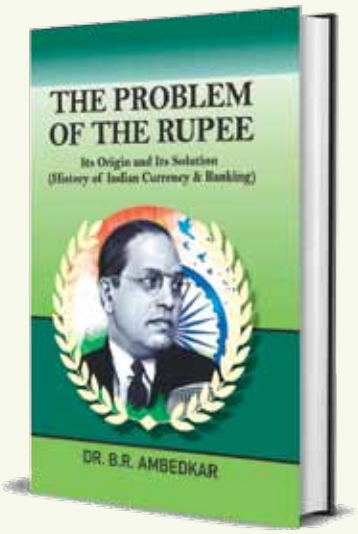

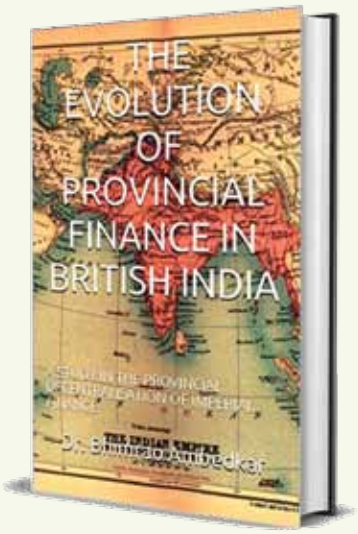

अपनी अकादमिक सफलता के बाद डॉ. आंबेडकर भारत लौट आए जहाँ वे भारतीय स्वतंत्रता के अभियान और डिपरैसड समुदायों के साथ सदियों से हो रहे क्रूर और अमानवीय भेदभाव का विरोध करने में जुट गये। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने और ***'संविधान मसौदा समिति'*** के अध्यक्ष बने।

उधर लंदन स्कूल ऑफ इक्नामिक्स ने उनके करियर में दिलचस्पी लेना जारी रखा। 1932 में जब राउंड टेबल कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए तब एलएसई के निदेशक, **विलियम बेवरिज** ने **प्रोफेसर कैनन** को लिखा कि आंबेडकर को इंपीरियल इकोनॉमिक रिलेशंस के प्रोफेसर जॉन कोटमैन द्वारा एलएसई में **प्रोफेसर ग्रेगरी** से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए पब्लिक इंफोरमेशन के पूर्व निदेशक रह चके थे।

प्रस्तुतिः *के. एस. रामुवालिया*
प्रधान निदेशक

डॉ. आंबेडकर के लंदन में पढ़ाई के दौरान रहने वाले घर को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 नवम्बर 2015 को किया। इसके अंदर और बाहर कुछ तस्वीरें आपकी नज़र...

100 वर्ष पहले, 1921-22 के दौरान डॉ. आंबेडकर 'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स' में अपनी पढ़ाई के दौरान
10 किंग हैनरी रोड, चॉक फॉर्म वाले इस घर में रहते थे।

यहाँ पर
AK06 GPF

DR BHIMRAO
RAMJI
AMBEDKAR
1891-1956
Indian Crusader
for Social Justice
lived here
1921-1922

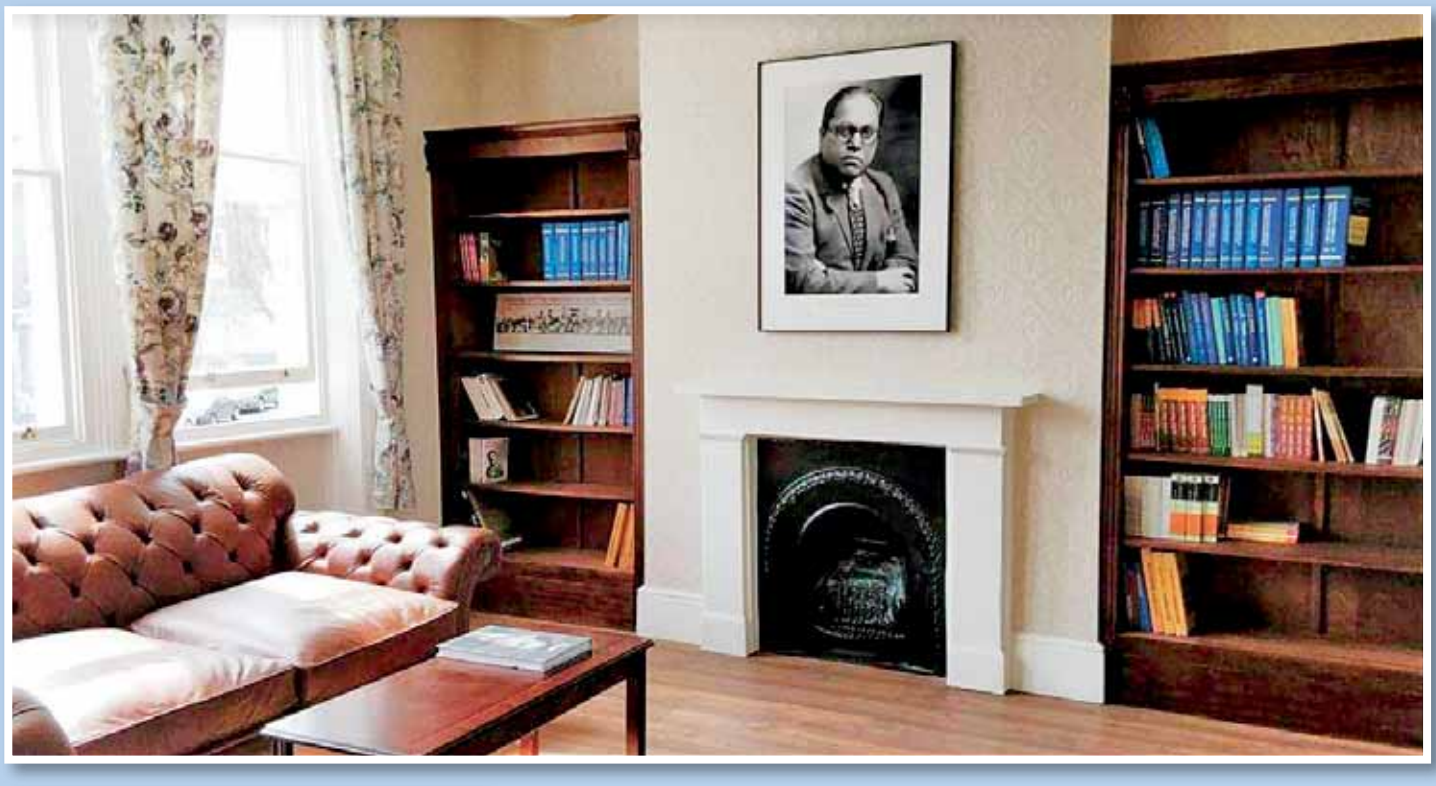

Democracy is essentially an attitude of respect
and reverence towards our fellow men

डॉ. आंबेडकर के लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान 10 किंग हैनरी रोड, चॉक फॉर्म वाले इस घर में रहते थे अब इस घर को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए विशेष योगदान दिया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 नवम्बर 2015 को किया।

डॉ. आंबेडकर (दांए से तीसरे) 'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स' में अपनी पढ़ाई के समय अपने प्रोफेसरों एवं मित्रों के साथ।

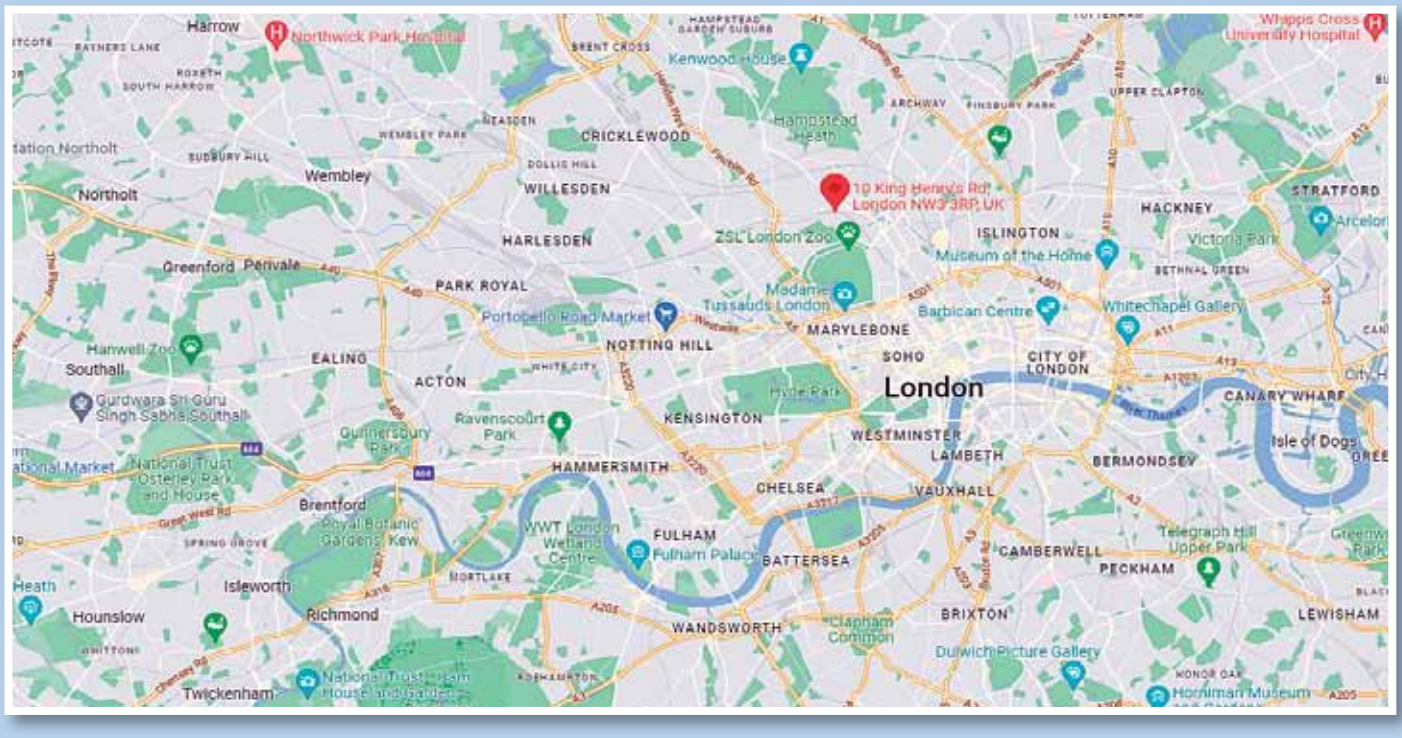

10 किंग हैनरी रोड, चॉक फॉर्म, लंदन में घर की नक्शे पर लोकेशन।

फोटो फीचर प्रस्तुतिः *के. एस. रामुवालिया*
प्रधान निदेशक

सविता आंबेडकर

ने कैसे अपने भावी पति

डॉ. बी.आर. आंबेडकर

के साथ अपनी पहली मुलाकात को आत्मकथा में याद किया

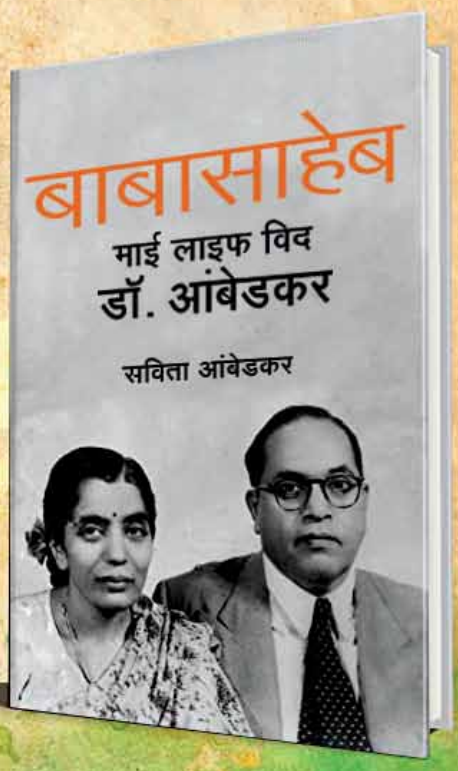

सविता आंबेडकर का जन्म 1909 में तत्कालीन बॉम्बे में रत्नागिरी जिले के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम शारदा कबीर था, उन्होंने डॉ. आंबेडकर से शादी के बाद उनका नाम सविता आंबेडकर रखा गया था। सविता आंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में प्राप्त की। उसके बाद 1937 के आसपास उन्होंने मुंबई के **ग्रांट मेडिकल कॉलेज** से **एमबीबीएस** किया।

अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने गुजरात के एक अस्पताल में प्रथम श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वास्थ्य के कारण मुंबई लौट आई। सविता के आठ भाई–बहन थे, उनमें से छह ने अंतर्जातीय विवाह किया था, जो उस समय किसी भी मराठी ब्राह्मण के लिए एक असाधारण बात थी। उन्होंने ने कहा था, ''हमारे परिवार ने अंतर्जातीय विवाह का विरोध नहीं किया, क्योंकि पूरा परिवार शिक्षित और प्रगतिशील था।''

उन्होंने *'डॉ. आंबेडकरच्य सहवासत'* नामक एक यादगार और आत्मकथात्मक मराठी पुस्तक लिखी। उनकी आत्मकथा इंग्लिश में *'बाबासाहेब: माई लाइफ विद डॉ. आंबेडकर'* नाम से अनुवाद की गयी है। डॉ. सविता आंबेडकर ने अपनी कहानी यूँ ब्यान की है:–

बहुत से लोगों को इस बात को जानने की उत्सुकता रही है कि मैंने डॉ. आंबेडकर के जीवन में कैसे, कहां और कब प्रवेश किया। इसी तरह, उनमें से कई लोगों ने इस मामले में अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार अपने स्वयं के बेतुके किस्से भी बुने हैं। जाहिर है, मुझे लोगों की इन निरंकुश निरर्थक कल्पनाओं की परवाह करने की जरूरत नहीं है।

लोकप्रिय रूप से 'माई' या 'माई साहेब' के रूप में संदर्भित, सविता आंबेडकर

(27 जनवरी 1909-29 मई 2003)

बाबासाहेब आंबेडकर की दूसरी पत्नी थीं। वह पेशे से एक डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। डॉ. आंबेडकर की अंतिम एक अप्रकाशित पुस्तक 'बुद्ध और उनका धम्म' की प्रस्तावना में *उन्होंने अपने जीवन को 8 से 10 साल तक बढ़ाने का श्रेय दिया।*

भारत में हर जगह यह देखा जा सकता है कि एक महान व्यक्ति के न केवल अनुयायी, बल्कि उनके विरोधी भी उनके जीवन के बारे में चमत्कारों, दंत कथाओं और मूर्खता पूर्ण अफवाहों के घेरे बुने बिना कभी संतुष्ट नहीं होते हैं।

इतिहास से हमें ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं, जहाँ असाधारण महापुरुषों का जीवन सभी प्रकार की अफवाहों से सरोबार रहा है, जहाँ अच्छी और बुरी अफवाहें इस बात पर निर्भर करती हैं कि लोग उन महापुरुषों को देवता स्वरूप मानना चाहते थे या खलनायक। इस देश में यदि उच्च जातियों के उस समुदाय, जिसको शिक्षित और उन्नत माना जाता है, के बीच यह स्थिति है, तो उस समुदाय की स्थिति की कल्पना नहीं करना ही सबसे उत्तम होगा जो हजारों वर्षों की गुलामी से अक्षम हो गया है, जिसके लिए धर्म ने शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए हैं, और जिसने बाकी समाज द्वारा बहिष्कृत किया गया जीवन व्यतीत किया है।

हजारों वर्षों की गुलामी और अंधेरे से शक्तिहीन हो गए अछूत वर्ग के इस समुदाय से, डॉ. आंबेडकर न केवल घनघोर–काले बादलों में से चमकती बिजली की तरह चमके थे, बल्कि वह सूरज की तरह हमेशा दहकते रहे। ऐसे में डॉ. आंबेडकर जैसे युगांतरकारी व्यक्ति का जीवन सार्वजनिक अफवाह फैलाने वालों से कैसे बच सकता था?

पहली मुलाकात और आगे...

डॉ. आंबेडकर के जीवन से जुड़ी विभिन्न अफवाहों में से कुछ इस बात से संबंधित हैं कि वह और मैं एक–दूसरे से कहां, कैसे और कब मिले। जब मैं इस मामले पर कुछ और चमत्कार पूर्ण किस्सों के बारे में सुनती हूं, तो मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि उस बात पर हंसना है या रोना है। कभी–कभी मुझे यह बातें मनोरंजक लगती हैं और कभी–कभी मैं स्तब्ध रह जाती हूं। महापुरुषों के जीवन के साथ ऐसी अफवाहें और कल्पना पूर्ण किस्से कैसे जुड़ जाते हैं, यह एक बहुत बड़ी पहेली है। विशेष रूप से, कहानीकार कैसे

“हजारों वर्षों की गुलामी और अंधेरे से शक्तिहीन हो गए अछूत वर्ग के इस समुदाय से, डॉ. आंबेडकर न केवल घनघोर-काले बादलों में से चमकती बिजली की तरह चमके थे, बल्कि वह सूरज की तरह हमेशा दहकते रहे। ऐसे में डॉ. आंबेडकर जैसे युगांतरकारी व्यक्ति का जीवन सार्वजनिक अफवाहें फैलाने वालों से कैसे बच सकता था?”

उनकी कल्पना करते हैं और श्रोता उन पर विश्वास करने के लिए कैसे सहर्ष इच्छुक रहते हैं, यह मेरे लिए समझना असंभव है।

इसके अलावा, इन किस्सों को बयान करने वाले इसे इतने आत्मविश्वास के साथ और इतना मिर्च–मसाला लगाकर प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी विश्वास कर लेगा कि जैसे यह सब उनकी आंखों के सामने हुआ होगा। ***मैं जानती हूं कि डॉ. आंबेडकर के साथ मेरी पहली मुलाकात को लेकर हर किसी के मन में अत्यधिक जिज्ञासा है। इसलिए, उनके धैर्य की और परीक्षा लिए बिना, मैं यहां हमारी पहली मुलाकात पर रोशनी डालती हूं।***

सविता के आठ भाई-बहन थे, उनमें से छह ने अंतर्जातीय विवाह किया था, जो उस समय किसी भी मराठी ब्राह्मण के लिए एक असाधारण बात थी। उन्होने ने कहा था, ‘‘हमारे परिवार ने अंतर्जातीय विवाह का विरोध नहीं किया, क्योंकि पूरा परिवार शिक्षित और प्रगतिशील था।’’

डॉ. राव नाम के मैसूर के सज्जन मुंबई के पारले उपनगर में रहते थे। यह विद्वान एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा विदेश से पूरी की थी। राव परिवार उच्च शिक्षित और बेहद सुसंस्कृत था। उनके परिवार और हमारे परिवार में काफी आत्मीयता थी, जिसके कारण हमारा एक–दूसरे से अक्सर मिलना हो जाता था। डॉ. राव की बेटियां भी बहुत सौम्य, उच्च शिक्षित लड़कियां थीं। नतीजतन, मेरी उनके साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी और स्वाभाविक रूप से मैं प्रायः उनके घर जाया करती थी।

संयोग से, डॉ. राव और डॉ. आंबेडकर भी करीबी मित्र थे, जिसका अर्थ यह था कि डॉ. आंबेडकर राव के घर अक्सर आते थे। चूंकि डॉ. आंबेडकर को वर्ष 1942 में राजपाल के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में शामिल किया गया था, इसलिए वह दिल्ली में रह रहे थे।

जब भी वह मुंबई का दौरा करते, तो वह अपने प्रिय मित्र से मिलने के लिए समय अवश्य निकालते थे, और एक बार यदि डॉ. आंबेडकर और डॉ. राव की जोड़ी बातचीत करने बैठ जाती थी, तो चर्चा हमेशा गंभीर रूप से बौद्धिक हो जाती थी।

नाश्ते का आनंद लेते हुए, दोनों विद्वान विभिन्न प्रकार के विषयों पर गहन, शर्त–रहित चर्चा करते थे। दुर्लभ अवसरों पर वे बहस में भी पड़ जाते थे। ऐसे ही कुछ मौकों पर, मुझे इन विचारों के आदान–प्रदान को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब तक मैं वास्तव में डॉ. राव के घर पर डॉ. आंबेडकर से नहीं मिली थी, तब तक मुझे वहां उनके नियमित आगमन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं वहां केवल अपनी सखियों से मिलने जाती थी।

मैं एक बार डॉ. राव के घर ऐसी ही एक अनौपचारिक भेंट के लिए गई थी, जब डॉ. आंबेडकर का वहां आगमन हुआ। यह घटना 1947 के शुरुआती दिनों में घटी थी। उस समय तक मुझे उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। मैंने निश्चित रूप से उनका नाम सुना था, और मुझे ज्ञात था कि वह भारत के वाइसरॉय की ‘एग्जीकुइटिव कांउसिल’ में मंत्री थे। मेरे पास उनके बारे में और अधिक कुछ जानने का कोई कारण नहीं था।

एक छात्रा के रूप में अपने जीवन में, मैंने अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित किया था। बाद में, जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरा रवैया अपने काम तक ही सीमित रहने का था। चूंकि जब डॉ. आंबेडकर आए तो मैं वहीं थी, इसलिए डॉ. राव ने एक मौलिक औपचारिकता के रूप में मेरा उनसे परिचय कराया। "उन्होंने उनसे कहा कि मैं उनकी बेटियों की मित्र हूं, मैंने एमबीबीएस किया है, मैं प्रख्यात डॉ. मालवंकर के साथ जूनियर डॉक्टर के रूप में कार्य कर रही हूं इत्यादि।"

डॉ. आंबेडकर का परिचय मुझसे कराते हुए डॉ. राव ने कहा कि डॉ. आंबेडकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठे थे और विदेशी युनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल की थी। उन्होंने डॉ. आंबेडकर के समाज सुधार पर कार्य, उनके अमूल्य लेखन, उनकी विद्वत्ता, उनके पुस्तकालय आदि के बारे में

चर्चा की। *"मैं निश्चित रूप से उनके जैसे महान व्यक्ति से परिचय कराए जाने पर बहुत प्रसन्न थी। मैं डॉ. आंबेडकर की विद्वत्ता और उनके अत्यंत प्रभावशाली और शानदार व्यक्तित्व से अभिभूत हो गई थी। इस पहली ही मुलाकात में, मुझे पता चल गया था कि डॉ. आंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मैं एक बहुत ही महान व्यक्ति की उपस्थिति में थी।"*

"डॉ. आंबेडकर एक अत्यंत प्रभावशाली व्यतित्व के स्वामी थे। उनका बड़ा माथा, उनके उज्ज्वल, तीखे नेत्र, उनका तेज रूप, उनका अति-आधुनिक बेहतरीन पोशाक, उनके मुख पर स्थिर कांति-उनको पहली ही नजर में देखने पर उनके असाधारण व्यक्तित्व की अनुभूति होती थी।"

"जो कोई भी उन्हें पहली बार देखेगा, वह तुरंत समझ जाएगा कि विदेशी उन्हें जर्मन राजकुमार क्यों बुलाते थे। उनका अद्भुत व्यक्तित्व और उनकी असाधारण विद्वत्ता साथ मिलकर प्रेक्षक पर एक अमिट छाप छोड़ते थे। परिचय के बाद डॉ. आंबेडकर ने बड़े स्नेह से मेरे बारे में पूछताछ की। वह महिलाओं की प्रगति को लेकर बहुत चिंताशील थे। चूंकि उन दिनों एक महिला का डॉक्टर बनना दुर्लभ बात थी, इसके लिए उन्होंने मुझे बधाई दी। साथ ही, उन्होंने महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ उत्साह और जोश के साथ कदम मिलाते देखने की इच्छा जताई। *जैसे–जैसे बातचीत आगे बढ़ी, मुझे डॉ. आंबेडकर से कुछ अद्भुत जानकारी मिली, जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था।*

हमारी इसी मुलाकात के दौरान बौद्ध धर्म के बारे में भी चर्चा की। बौद्ध धर्म के विषय पर उनके ज्ञान से मेरी आँखें सचमुच आश्चर्य से खुली की खुली रह गई थी। *उनके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द विशाल ज्ञान और अपार विद्या से परिपूर्ण था। जब वे अपनी बात रखते थे, तो उनके समर्थन में साक्ष्यों, संदर्भों और उदाहरणों को प्रस्तुत करते थे। उनके तर्क इतने अच्छी तरह से प्रतिपादित और अखंडनीय होते थे कि उनके विरोधी भी हामी में अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे।* यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द के पीछे अत्यधिक अध्ययन के साथ, घंटों का चिंतन और तेज बुद्धि होती थी।

सविता आंबेडकर और बाबासाहेब दिल्ली स्थित निवास पर (विवाह की तिथि 15 अप्रैल 1948)

इस पहली मुलाकात के बाद हम कई बार मिले, हर बार संयोग से और हर बार पारले में डॉ. राव के घर में। हर बार जब हम मिले, हमने विभिन्न मुद्दों पर औपचारिक बातचीत की। मैंने इन वार्तालापों के दौरान बहुत सी नई चीजें सीखीं और अपने ज्ञान कोष में संवर्धन किया। हर बार मुझे धन्य और प्रसन्नता और गर्व महसूस हुआ कि मैंने ऐसे महान व्यक्ति को जानना शुरू कर दिया था।"

पत्रों का सिलसिला और विवाह

1947 में संविधान लेखन के दौरान डॉ. आंबेडकर को मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी। उन्हें नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक ही राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए वह मुंबई गए। वहीं डॉक्टर सविता इलाज के दौरान आंबेडकर के करीब आईं थी। आंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का पहले ही लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो चुका था। डॉ. शारदा और डॉ. आंबेडकर के बीच कई विषयों पर बहस होती थी और विचारों का आदान–प्रदान भी नियमित पत्राचार से होता था। उन्होंने 40–50 पत्रों का आदान–प्रदान किया। 1948 में दादासाहेब गायकवाड़ को लिखे एक पत्र में आंबेडकर ने लिखा, ''महिला नर्स रखने या सेवा के लिए घर की देखभाल करने के लिए, लोगों के मन में संदेह होगा, इसलिए शादी एक बेहतर तरीका है।'' रमाबाई की मौत के 13 साल बाद दोनों ने अप्रैल 1948 में नई दिल्ली में शादी की।

15 अप्रैल 1948 को शारदा कबीर ने डॉ. आंबेडकर से शादी की। वह 39 वर्षीय थी और डॉ. आंबेडकर 57 वर्ष के थे। तब बाबासाहेब दिल्ली के हार्डिंग एवेन्यू (अब तिलक मार्ग) में रहते थे। शादी के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर रामेश्वर दयाल, डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली बुलाए गए। यह विवाह सिविल मैरिज एक्ट के अधीन सिविल मैरिज के तौर पर संपन्न हुआ था।

इस अवसर पर राय साहब पूरन चंद, श्री मैसी (निजी सचिव), नीलकंठ, रामकृष्ण चांदीवाला, संपदा अधिकारी मेश्राम, चित्रे के भतीजे, उनकी पत्नी, शारदा कबीर के भाई शामिल थे। *साथ ही गृह सचिव श्री बनर्जी ने 28 जुलाई 1948 को नवविवाहित जोड़े, भारत के तत्कालीन गवर्नर–जनरल सी. राजगोपालाचारी ने उन्हें स्नेह भोज के लिए आमंत्रित किया और उनका अभिवादन किया।* विवाह के बाद शारदा कबीर ने डॉक्टर सविता आंबेडकर नाम अपनाया। लेकिन आंबेडकर उन्हें पुराने नाम से ''शरी'' कहते थे, जो ''शारदा'' का एक निक–नेम था।

शादी के साथ ही डॉक्टर सविता आंबेडकर अपने पति डॉ. आंबेडकर की सेवा में जुट गईं। डॉ. आंबेडकर का स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा था। वह पूरी निष्ठा के साथ डॉ. आंबेडकर के आखरी समय तक सेवा करती रहीं। *डॉ. आंबेडकर ने अपनी पुस्तक 'भगवान बुद्ध और उनका धम्म' की 15 मार्च, 1956 को लिखी भूमिका में भावुक अंदाज में पत्नी से मदद मिलने का उल्लेख किया।* इस प्रस्तावना में उन्होंने सविता आंबेडकर ने उनकी आयु 8–10 वर्ष अधिक बढ़ाने का उल्लेख किया हैं। आंबेडकर के महापरिनिर्वाण निधनोपरांत उनके करीबियों और अनुयायियों ने इस पुस्तक से यह भूमिका हटवा दी थी। इसका पता 1980 में चला जब एक पंजाबी बुद्धिजीवी लेखक भगवान दास ने उनकी इस भूमिका को **'दुर्लभ भूमिका'** के रूप में प्रकाशित करवाया।

14 अक्टूबर 1956 को, सविता आंबेडकर ने अपने पति डॉ. आंबेडकर के साथ दीक्षाभूमि, नागपुर में बौद्धमत्त अपनाया था जिसको उन्होंने बाकी सारी आयु कमाया।

माई साहेब बाबासाहेब को इतनी समर्पित थी कि उन्होंने सरकार की तरफ से प्रस्तावित किसी सरकारी पद या सांसद बनने के प्रस्ताव को नकारा क्योंकि शायद वो बाबासाहेब के नाम पर रत्तीभर भी आंच नहीं आने देना चाहती थीं। ये बाबासाहेब की ज़िन्दगी के जो ऊंचे आदर्श थे, जो उसने उनके संग अपनी जीवन यात्रा में देखे थे, शायद उनका असर था। वो सिर्फ बाबासाहेब के विज़न एवं मिशन को ही समर्पित होना चाहती थीं और यहीं उन्होंने सारी ज़िन्दगी किया।

पुणे में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय और स्मारक

माई साहेब ने 1996 में पुणे में सिम्बायोसिस सोसाइटी के *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय और स्मारक* की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने अपना बहुत सारा निजी सामान स्मारक को दान कर दिया। यह संग्रहालय सबसे शक्तिशाली एवं अग्रणी समाज सुधारक और भारतीय संविधान के जनक बाबासाहेब की कई पुस्तकों और पांडुलिपियों, उनके वायलिन, चांदी के फ्रेम वाले चश्मे, *'भारत रत्न' पदक* और भी बहुत कुछ को संरक्षित और प्रदर्शित करता है। स्मारक के निदेशक के अनुसार, 2001 तक, सविता हर साल आंबेडकर के जन्म और मृत्यु की वर्षगांठ पर संग्रहालय आती थी।

एक लंबा समय बीमार रहने के बाद सविता आंबेडकर का मई 2003 में जे.जे. अस्पताल मुंबई में 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

प्रस्तुतिः *सुश्री मीनाक्षी*
स. प्रशासन अधिकारी, मुख्यालय

माई सविता आंबेडकर 27 जनवरी 2001 को माहिम, मुंबई में अपने जन्मदिन पर।

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर एवं डॉ. श्रीमती सविता आंबेडकर अपने दिल्ली स्थित निवास पर।

28 जुलाई, 1948 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर, डॉ. श्रीमती सविता आंबेडकर।

14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा समारोह के दौरान, माई और बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति के साथ।

'(ए आई द्वारा कलात्मक रंगीन चित्र)

क्या था खालसा कॉलेज, मुंबई से डॉ. आंबेडकर का कनेक्शन

गुरु नानक खालसा कॉलेज, मुंबई डॉ. बी. आर. आंबेडकर का ही 'एक महत्वपूर्ण विचार' था कि मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए एक केंद्र या संस्थान स्थापित किया जाए। 1935 में उन्होंने मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव अमृतसर में सिख धार्मिक नेताओं के साथ साझा किया।

सिख नेताओं ने उच्च शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने और गैर–सिख राज्य में सिख संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के अपने मुख्य उद्देश्य के साथ इस विचार पर सहमति व्यक्त की। सिख नेता, विशेष रूप से अमृतसर के सरब–हिंद सिख मिशन, इस कार्य के लिए एक साथ आने के लिए सहमत हुए और 1935–36 में, 27,642 वर्ग गज का एक भूखंड मुंबई नगर निगम से पट्टे पर डॉ आंबेडकर द्वारा खरीदा गया था। इमारत को खड़ा करने के लिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी), अमृतसर की शीर्ष सिख संस्था ने गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब (अब पाकिस्तान में), सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 की धारा 127 के अनुसार धन हस्तांतरित किया।

इस प्रकार 1937 में, गुरु नानक खालसा कॉलेज की स्थापना उस भूखंड पर हुई, जहां आज भी यह कॉलेज खड़ा है। यह कॉलेज शहर के मध्य में किंग'स सर्कल के पास स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5.7 एकड़ है। इस में काफी बड़े खेल मैदान हैं। यहाँ से प्रशिक्षित हो कर कई प्रसिद्ध खेल हस्तियों का जन्म हुआ जिनमें भारतीय हॉकी टीम के कई सदस्य, ओलंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेता और पद्मश्री शामिल हैं। यहाँ से पढ़ने वाली सिनेमा हस्तियों में रमेश तलवार (निर्देशक), कुलदीप सिंह (संगीतकार), सलीम खान (पटकथा लेखक) और अक्षय कुमार (बॉलीवुड अभिनेता) इत्यादि शामिल हैं।

इस कॉलेज की स्थापना के संदर्भ में एक अल्पज्ञात तथ्य यह भी है कि डॉ भीम राव आंबेडकर सिख गुरुओं के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वे "सिखी में समानता की नैतिकता" से बहुत प्रभावित थे। 1938 में उन्होंने खालसा कॉलेज (बॉम्बे) मुंबई की संपत्ति को सिख मिशन को स्थानांतरित कर दिया। 1939 में, सिख मिशन ने इस संपत्ति को गुरुद्वारा ननकाना साहिब को स्थानांतरित कर दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध प्रतिबंधन में गुरु नानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, उच्च शिक्षा के शुरुआती संस्थानों में से एक है, जो पूर्ववर्ती शहर (बॉम्बे) मुंबई के शैक्षिक परिदृश्य पर उभरा।

इसे 1974 में यूजीसी ने इसे मान्यता प्रदान की और यह स्थायी रूप से मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इसकी वित्तीय

स्थिति अनुदान सहायता से पूरित की जा रही है। 1975 में, एसजीपीसी ने महाराष्ट्र सरकार को खालसा कॉलेज का स्वामित्व देने का अनुरोध किया था।

वर्तमान में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के तहत 24 यूजी, 24 पीजी और 7 पीएचडी कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके अलावा यह 27 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स भी संचालित करता है। कॉलेज में वर्तमान में लगभग 200 अध्यापक, 150 से अधिक प्रशासनिक कर्मचारी और लगभग 6000 छात्र हैं।

अल्पसंख्यक संस्थान होने के बावजूद, कॉलेज "मानवता की एकता" की सिखमत्त की विचारधारा का पालन करता हुआ, अपने महानगरीय कर्मचारियों और छात्र आबादी के साथ–साथ एक स्वस्थ, धर्मनिरपेक्ष वातावरण पर गर्व करता है। कॉलेज भारतीय समाज के एक समृद्ध, जीवंत, बहुसांस्कृतिक सूक्ष्म जगत को बुनते हुए अपने धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को कायम रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपना गौरवमय योगदान दे रहा है।

प्रस्तुतिः *परमजीत सिंह,*
एलएलबी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क,
274, मोहल्ला महिताबगढ़,
जिला कपूरथला-144601

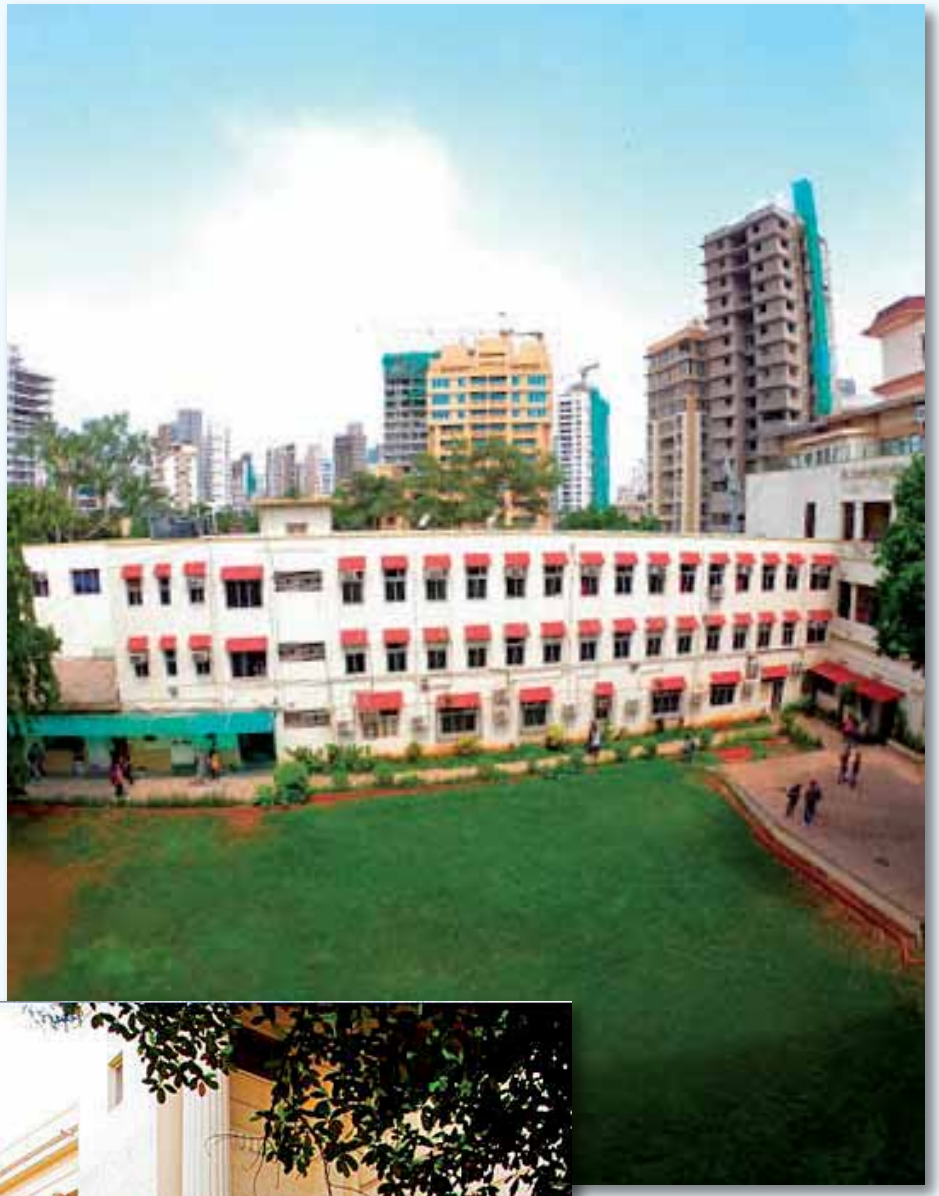

गुरु नानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, मटुंगा, मुंबई, स्थापना वर्ष 1937

"अल्पसंख्यक संस्थान होने के बावजूद, कॉलेज 'मानवता की एकता' की सिख मत की विचारधारा का पालन करता हुआ, अपने महानगरीय कर्मचारियों और छात्र आबादी के साथ-साथ एक स्वस्थ एवं धर्मनिरपेक्ष वातावरण पर गर्व करता है।"

सिर्फ पानी ही नहीं, "इन्सान होने के हक" की लड़ाईः महाड़ सत्याग्रह

आज से 95 साल पहले, 20 मार्च, 1927 को डॉ. आंबेडकर ने महाड़ के चावदार तालाब से दो घूंट पानी पीकर हजारों वर्षों से चली आ रही भेदभाव वाली रुड़ीवादी परम्पराओं और कुप्रथाओं को अमानवीय कानून तोड़ कर चुनौती दी थी। परंतु इतिहासकारों ने पानी के लिए डॉ. आंबेडकर के इस महान क्रांतिकारी सत्याग्रह को कोई महत्ता नहीं दी हालांकि यह विश्व में एक मात्र अनोखा सत्याग्रह है जो दो घूंट पानी के लिए किया गया था। कारण तो कुछ हद तक उस समय की समाजिक और राजनीतिक स्थिति से स्पष्ट ही हैं जो कि उनके संघर्ष के विपरीत थे।

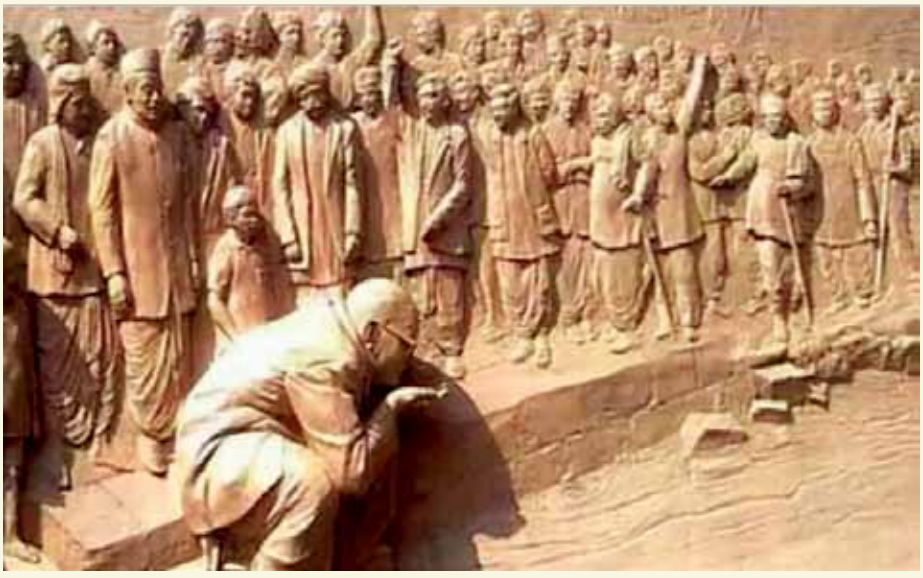

महाड़ सत्याग्रह डॉ. आंबेडकर की अगुवाई में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में चावदार के एक सार्वजनिक तालाब में पानी पीया। सबसे पहले डॉ. आंबेडकर ने अंजुली से पानी पीया और फिर उनका अनुकरण करते हुए उनके हजारों अनुयाइयों ने पानी पीया।

इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि यह है कि अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, कि वो सभी ऐसी जगहें, जिनका निर्माण और देखरेख सरकार करती है, उनका इस्तेमाल हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसी कानून को बाबा साहेब ने लागू करवाना था।

चावदार तालाब के महत्व के बारे में डॉ. आंबेडकर कहते हैं, ..."अंटचऐबल्स को या तो अपनी खरीदारी करने के उद्देश्य से और गांव के सेवकों के रूप में अपने कर्त्तव्य के उद्देश्य से तालुका अधिकारी को या तो गांव के अधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्राचार को वितरित करने या गांव के सरकारी राजस्व को जमा कराने के लिए महाड़ आना पड़ता था और ये इकलौता सार्वजनिक पानी का तालाब था यहां से कोई बाहरी व्यक्ति पानी पी सकता था। लेकिन अंटचऐबल्स को इससे पानी पीने की अनुमति नहीं थी। शहर में अंटचऐबल्स के क्वॉटरों में सिर्फ एकमात्र कुआं था। ये कुआं शहर के केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित था और ये नगरपालिका द्वारा रखरखाव की उपेक्षा के कारण 'चोक' हो गया था। *(बाबासाहेब आंबेडकर लेखन और भाषण, खंड 5)*

चावदार तालाब में पानी पीने की जुर्रत का बदला उच्च सामाजिक प्रभुत्व संवर्गों ने निम्न सामाजिक प्रभुत्व संवर्ग से लिया। उनकी बस्ती में जाकर तांडव मचाया, लोगों को लाठियों से पीटा। बच्चों, बूढ़ों, औरतों को पीट–पीटकर लहूलुहान कर दिया। घरों में तोड़फोड़ की। उन पर यह दोष लगाया कि निम्न सामाजिक प्रभुत्व संवर्गों ने तालाब से पानी पीकर तालाब को भी दूषित कर दिया था। पुजारियों के कहे अनुसार पूजा–पाठ और पंचगव्य से तालाब को फिर से शुद्ध करने के क्रिया की गयी।

महाड़ सत्याग्रह पानी पीने के अधिकार के साथ–साथ *"इंसान होने का अधिकार"* जताने के लिए भी किया गया था।

डॉ. आंबेडकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि ***"क्या यहां हम इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है? क्या यहां हम इसलिए आए हैं कि यहां के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं! दरअसल, इंसान होने का हमारा हक जताने के लिए हम यहां आए हैं।"***

महाड़ सत्याग्रह एक प्रतीकात्मक सत्याग्रह था। इस से हजारों वर्षों की सवर्ण सत्ता अथवा सामंती सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो सामाजिक पाएदान के सबसे निचले सतह के लोगों को वह हक भी देने को तैयार नहीं थी, जो जानवरों को भी प्राप्त था। हम सभी जानते हैं कि किसी भी तालाब में कोई भी जानवर पानी पी सकता था, लेकिन सामाजिक ढांचे के निचले सतह के लोगों को यह हक प्राप्त नहीं था।

> ***"विश्व का एक मात्र अनुठा सत्याग्रह है जो दो घूंट पानी के लिए किया गया।"***

इतिहासकारों ने महाड़ सत्याग्रह को हाशिए पर रखा। महाड़ के प्रतीकात्मक सत्याग्रह से डॉ. आंबेडकर को अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा की जीत के लिए संविधान बनने तक इंतजार करना पड़ा, जिसमें स्पष्ट तौर पर आधुनिक भारत में छुआछूत का निषेध किया गया है। महाड़ सत्याग्रह आज भी अपनी अंतिम विजय की प्रतीक्षा कर रहा है। जाति–पाति के कैंसर के विनाश के साथ ही महाड़ सत्याग्रह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगा। हर दिन जाति–पाति संबंधी क्रूर घटनाएँ सामने आने से स्पष्ट है कि राष्ट्रनिर्माताओं का यह स्वप्न की आजाद लोकतान्त्रिक भारत में किसी व्यक्ति से भेदभाव नही होगा, वास्तव में आज भी अधूरा है, अभी हम इस से कोसों दूर हैं।

कितनी सदियाँ और लगेंगी हमें केवल यह आत्मसात करने में कि आदमजाति एक ही है भले ही कितने संतों, गुरुओं, महापुरुषों और यहाँ तक कि आधुनिक एंथ्रोपोलोजी ने भी यह साफ कर दिया हो।

प्रस्तुतिः *बिन्दु*
वरिष्ठ लेखापरीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली

महाड़ सत्याग्रह का चावदार तालाब की आज की स्थिति जो कि अब एक स्मारक है

महाड़ सत्याग्रह आज 95 वर्ष बाद भी अपनी असली विजय की प्रतीक्षा कर रहा है। समाज से जातिवाद के कैंसर के विनाश के साथ ही यह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगा।

नहीं जानते होंगे भारत के आर्थिक विकास में डॉ. आंबेडकर का आधारभूत योगदान

दामोदर घाटी परियोजना का मैथन डेम

मजबूत आर्थिक नीतियों में डॉ. आंबेडकर के आधारभूत योगदान के कारण, भारत आजादी के बाद आर्थिक विकास में बड़ी प्रगति कर सका। हो सकता है कुछ पाठक यह कम जानते हो, क्योंकि इसके बारे में चर्चा ही कम हुई है। चाहे भारतीय रिजर्व बैंक के संस्थापन दिशानिर्देश हो या अर्थव्यवस्था के किसी अन्य पहलू को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, डॉ. आंबेडकर ने भारत को जो भी सर्वश्रेष्ठ था, वो दिया। इसकी चर्चा हम संक्षिप्त रूप में कर रहे हैं।

श्रम विभाग की स्थापना वर्ष नवंबर 1937 में हुई थी और डॉ. आंबेडकर ने जुलाई 1942 में श्रम विभाग संभाला था। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च *(ICSSR)* के भूतपूर्व अध्यक्ष **श्री सुखदेव थोराट** अपनी पुस्तक *'भारत की जल नीति और विद्युत ऊर्जा नियोजन' में आर्थिक योजना जल और बिजली नीति में डॉ. आंबेडकर की भूमिका* शीर्षिक के नीचे लिखते हैं:–

भारत की जल नीति और विद्युत ऊर्जा योजना

सिंचाई और विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए नीति निर्माण और योजना प्रमुख चिंता का विषय था। डॉ. आंबेडकर के मार्गदर्शन में श्रम विभाग ने बिजली प्रणाली विकास, पन बिजली स्टेशन स्थानों, जल विद्युत सर्वेक्षणों, बिजली उत्पादन की समस्याओं का विश्लेषण करने और थर्मल पावर स्टेशन जांच के लिए केंद्रीय तकनीकी शक्ति बोर्ड'' ***(सीटीपीबी)*** स्थापित करने का निर्णय लिया।

ग्रिड सिस्टम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने ''ग्रिड सिस्टम'' के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया, जो आज भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। यदि आज बिजली इंजीनियर प्रशिक्षण के लिए विदेश जा रहे हैं तो इसका श्रेय फिर से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को जाता है, जिन्होंने श्रम विभाग के नेता के रूप में विदेशों में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए नीति तैयार की थी। यह विडम्बना है कि भारत की जल नीति और विद्युत ऊर्जा नियोजन में डॉ. आंबेडकर द्वारा निभाई गई भूमिका को श्रेय कोई नहीं देता है।

14 अप्रैल 2016 को मुंबई में *'समुद्री निवेश शिखर सम्मेलन 2016'* के उद्घाटन के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. आंबेडकर की इस अल्पज्ञात भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा–

"हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि बाबासाहेब ने जल, नेविगेशन और बिजली से संबंधित दो शक्तिशाली संस्थानों का निर्माण किया था। संविधान के वास्तुकार 'जल और नदी नेविगेशन नीति' के निर्माता भी थे।"

दूसरे विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक योजना

जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भारत के लिए कई चुनौतियां थी, जैसे कि अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करना जिसमें कृषि में सुधार, उद्योगों का विकास, रक्षा सेवाएं पुर्नवास और पुनः तैनाती आदि शामिल हैं।

इसके लिए पुनर्निर्माण परिषद कमेटी ***(आरसीसी)*** का गठन किया गया था। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आरसीसी के सदस्य थे और उन्हें

अत्यंत महत्वपूर्ण के *''सिचाई और बिजली के लिए नीति समिति''* के अध्यक्ष की भूमिका सौपी गई थी। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद की आर्थिक योजना और देश में जल और विद्युत ऊर्जा संसाधनों के नियोजित विकास के उद्देश्य और रणनीति के निर्माण में उनकी सीधी भागीदारी के माध्यम से दिये राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में न तो आधुनिक भारत के इतिहास में अपेक्षित स्थान दिया गया है और न ही जन तक संवाद में चर्चा हुई है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक नियोजन और जल और विद्युत ऊर्जा नीति के उद्देश्य और रणनीति को तैयार करने में प्रत्यक्ष रूप से सीधे शामिल थे। हालांकि उन्होंने इस स्थिति में आर्थिक योजना और जल और विद्युत ऊर्जा संसाधन विकास में पर्याप्त योगदान दिया परंतु आश्चर्यजनक रूप से उनके योगदान के इस पहलू का शायद ही अध्ययन किया गया हो। इस संबंध में पिछले वर्षों में कुछ प्रयास सरकारी संस्थानों द्वारा किये गये हैं।

दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना के निर्माता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अमेरिका की **'टेनेसी घाटी प्राधिकरण'** की तर्ज पर दामोदर घाटी परियोजना पर काम शुरू किया और उसकी योजना तैयार की। न केवल दामोदर घाटी परियोजना बल्कि हीराकुंड परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना को भी उन्होंने उजागर किया वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। मूल परियोजना में सात प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था।

दामोदर नदी को **'बंगाल का शोक'** कहा जाता था। दामोदर नदी द्वारा लाए गए अवसाद के कारण हुगली नदी में अवसादन की समस्या पैदा होती थी तथा कोलकाता बंदरगाह भी इससे प्रभावित होता था। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नदी का उदगम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाडियों से होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा बाकी का आधा पश्चिम बंगाल में है।

परियोजना से मुख्य लाभ है-

- ★ झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाद प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण
- ★ 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की सुविधा
- ★ विभिन्न बांध स्थलों पर पन–बिजली का उत्पादन
- ★ मृदा अपरदन को रोकना

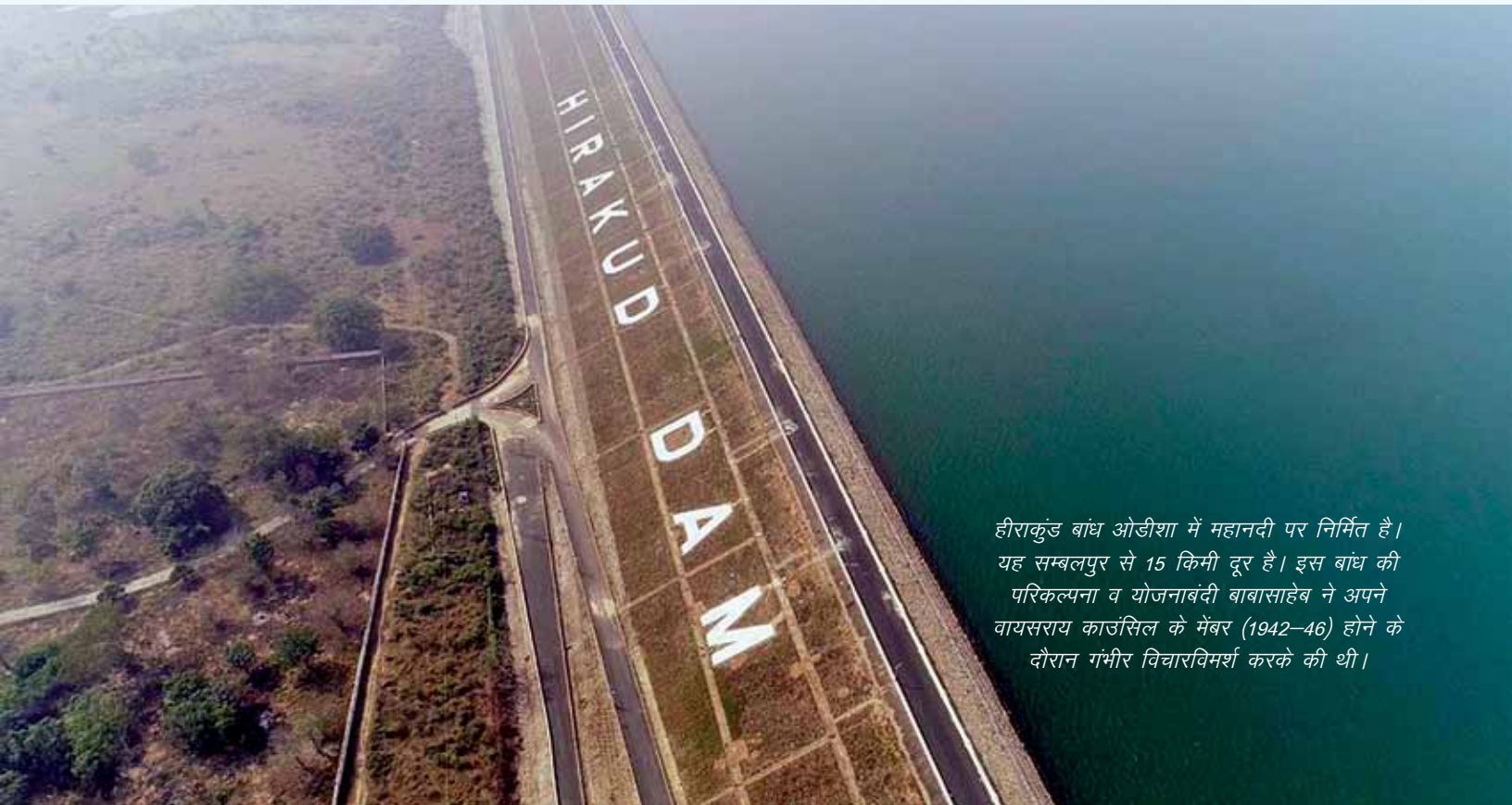

हीराकुंड बांध ओडीशा में महानदी पर निर्मित है। यह सम्बलपुर से 15 किमी दूर है। इस बांध की परिकल्पना व योजनाबंदी बाबासाहेब ने अपने वायसराय काउंसिल के मेंबर (1942–46) होने के दौरान गंभीर विचारविमर्श करके की थी।

- ★ क्षेत्र में औद्योगिक आधार को मजबूती प्रदान करता
- ★ मत्स्यन तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना
- ★ मलेरिया जैसी मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण, इत्यादि।

महानदी का नियंत्रण

1945 में, तत्कालीन श्रम सदस्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में, बहुउद्देश्यीय उपयोग के लिए महानदी को नियंत्रित करने के लिए संभावित लाभों में निवेश करने का निर्णय लिया गया था।

यह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर थे जिन्होंने वास्तव में, वायसराय परिषद में श्रम के तत्कालीन सदस्य के रूप में, भारत में बड़ी बांध प्रौद्योगिकियों को पेश करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी।

भारत की मूल संरचना के अहम निर्माण में इन सभी परियोजनाओं के प्रति उनकी प्रमुख भूमिका और योगदान शायद ही आम और ख़ास लोगों को पता हो। 1930 के बाद से बेसिन को अपने जल संसाधनों के विकास की इकाई के रूप में मानने पर नदी बेसिन की हाइड्रोलोजिकल परियोजना के इंजीनियरिंग संस्थाओं पर जोर दिया गया है।

बहुउद्देशीय परियोजना (सिंचाई और बिजली एक साथ उत्पादन) का श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में सिंचाई और बिजली विभाग को जाता है। ऐसी परियोजनाओं की बढ़ी हुई व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, यह उत्सुकता से महसूस किया गया कि तब उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञ निकाय पर्याप्त नहीं थे।

केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग (सीडब्ल्यूआईएनसी)

बाबासाहेब आंबेडकर ने मार्च 1944 में, और बाद में 4 अप्रैल, 1945 को वायसराय द्वारा केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग को मंजूरी दी। इस प्रकार बाबासाहेब ने भारत के विकास के लिए एक मजबूत तकनीकी संगठन बनाने में अहम योगदान दिया। यदि हमारे घर रोशन हैं और यदि हमारे खेत हरे–भरे हैं, तो यह इन परियोजनाओं की योजना बनाने में डॉ. आंबेडकर की शानदार भूमिका के कारण है, जिस पर आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर है।

अगर भारत में जल प्रबंधन और विकास जैसी कोई अवधारणा है, तो भारत की सेवा के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का श्रेय डॉ. आंबेडकर को जाता है। अगर यह बाबासाहेब की परिदृष्टि नहीं होती, तो भारत की विद्युत आपूर्ति, सिंचाई और विकास की स्थिति की कल्पना की जा सकती है।

वित्त आयोग की सभी रिपोर्टों के संदर्भ का मूल स्रोत एक तरह से डॉ. आंबेडकर की पीएच.डी थीसिस, *''ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास''* पर आधारित है जिसे 1923 में लिखा गया था। इसी कड़ी में अभी 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। *(संदर्भः डॉ. सुखदेव थोराट (1993) कमेमोरेटिव वाल्यूम (2016) भारत सरकार)*

प्रस्तुतिः *सुश्री रेखा,*
सहायक प्रशासन अधिकारी,
मुख्यालय, नई दिल्ली

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर जुलाई 1942 की इस ग्रुप फोटो में ब्रिटिश भारत की वायसराय कांउसिल के लेबर मेंबर की हैसियत से शामिल है। (बायें से दूसरे)

डॉ. आंबेडकर जल, नदी और नेविगेशन नीति के वास्तुकार: प्रधानमंत्री श्री मोदी

डॉ. आंबेडकर ने 20 जुलाई, 1942 से 29 जून, 1946 तक वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य (श्रम) के रूप में कार्य किया। ये चार साल और ग्यारह महीने, सामाजिक दूरदर्शी की गहन राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के साक्षी बने।

14 अप्रैल 2016 को मुंबई में समुद्री निवेश शिखर सम्मेलन 2016 के उद्घाटन के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान के पितामह जल, नदी और नेविगेशन नीति के निर्माता भी थे।

आधुनिक राष्ट्र के निर्माता के रूप में डॉ. आंबेडकर की इस अल्पज्ञात भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, *''हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि बाबासाहेब ने जल, नेविगेशन और बिजली से संबंधित दो शक्तिशाली संस्थानों का निर्माण किया था।*

यह थे: केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग और केंद्रीय तकनीकी शक्ति बोर्ड। डॉ. आंबेडकर भारत में जल और नदी नेविगेशन नीति के निर्माता भी हैं।"

डॉ. आंबेडकर ने 'ग्रिड सिस्टम' के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया था।

कैसे दी बाबासाहेब ने श्रमिकों को इज्जत की जिंदगी

श्रम कानून सुधारों में उनका योगदान

डॉ. आंबेडकर श्रम अधिकारों के लिए एक लंबे समय तक अधिवक्ता रहे हैं। श्रमिकों को इज्जत की जिंदगी देने के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन काल में ही उनके हितों की रक्षा करने और उनके हकों पर पहरा देने के लिये संघर्ष शुरू कर दिया था। ***वो पहले भारतीय विद्वान थे जो श्रमिकों के लिए कानूनी तौर पर ऐसे हक दिला पाये जो उनके लिए सदियों तक एक स्वप्न की तरह रहे थे।***

यह डॉ. आंबेडकर ही थे, जिन्होंने भारत में 14 घंटे के कार्य दिवस को 8 घंटे तक कम करके इसे भारत में लाए थे। वह इसे 27 नवंबर, 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में लेकर आए थे।

फैक्टरी कार्य के घंटों में कमी (8 घंटे डयूटी)

आज भारत में प्रतिदिन कार्य का समय लगभग 8 घंटे हैं। हमें अंदाजा नहीं कि कितने भारतीय जानते होंगे कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारत में श्रमिकों के अग्रणी उद्धारकर्ता थे। वह पहले भारतीय थे जो भारत में 8 घंटे की ड्यूटी लाए और काम की समय सीमा को 14 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया, जो भारत में श्रमिकों के लिए एक बेहतर जीवन का प्रकाशबिंदु बन गया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने श्रमिक नेता के रूप में और 1942 और 1946 के बीच *वायसराय की कार्यकारी परिषद* के **श्रम सदस्य** के रूप में श्रमिकों के लिए काफी कार्य किया।

समाज के प्रति डॉ. आंबेडकर का अपार योगदान है, लेकिन लगभग हर कोई **एक श्रमिक नेता के रूप में डॉ. आंबेडकर** की भूमिका को नजरअंदाज करता रहा है। श्रम विभाग की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी और डॉ. आंबेडकर ने जुलाई, 1942 में श्रम विभाग संभाला था।

भारत में मजदूरों को हक दिलाने वाला अगर कोई एक व्यक्ति था तो वह कोई और नहीं बल्कि बाबासाहेब आंबेडकर थे। उनके बिना भारतीय कामगारों का भविष्य अंधकारमयी होता। यह भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे, जो बहुआयामी और महान दूरदर्शी थे। किसी न किसी तरह से एक महान आर्थिक राष्ट्र के निर्माण में योगदान की उनकी दृष्टि श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए देश की आर्थिक नीव रखने में उत्प्रेरक थी।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का शानदार योगदान

सभी श्रमिक, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को डॉ. आंबेडकर का आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत में महिला श्रमिकों के लिए **'खान मातृत्व लाभ अधिनियम', 'महिला श्रम कल्याण कोष', 'महिला और बाल श्रम संरक्षण अधिनियम', 'महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ' और 'कोयला खानों में भूमिगत कार्य पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध की बहाली'** जैसे कई

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)

यदि आप अपनी कंपनी द्वारा आपको स्वास्थ्य बीमा देने से खुश हैं तो इसका श्रेय बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर को जाता है। ईएसआई श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, चिकित्सा अवकाश, काम करने के समय लगने वाली चोटों के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग होने के साथ मुआवजे के रूप में विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए बीमा के रूप में मदद करता है। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने इसे श्रमिकों के लाभ के लिए अधिनियमित और लागू कराया। कर्मचारियों की भलाई के लिए बीमा अधिनियम लाने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारत पहला देश था। इसका श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को जाता है।

'महंगाई भते' (डीए) में हर वृद्धि आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, तो यह आपके लिए डॉ आंबेडकर को धन्यवाद देने का अवसर भी होना चाहिए। यदि आपके पास **'अवकाश लाभ'** है, तो डॉ. आंबेडकर की वजह से यदि **'वेतनमान का संशोधन'** आपको खुश करता है, तो डॉ. आंबेडकर को याद कर उनके प्रति आभार प्रकट करना बनता है।

डॉ. आंबेडकर का **कोयला और अभ्रक खान भविष्य निधि** में योगदान भी महत्वपूर्ण था। उस समय कोयला उद्योग ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 31 जनवरी, 1944 को श्रमिकों के लाभ के लिए कोयला खान सुरक्षा संशोधन विधेयक अधिनियमित किया। 8 अप्रैल 1946 को, वह **'अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष'** लाए जिसने श्रमिकों को आवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी व्यवस्था में मदद की।

कैसे तय हुए थे काम के 8 घंटे

औद्योगिक क्रांति के समय कर्मचारी दिन में लगभग 10-16 घंटे काम किया करते थे। 25 सितंबर, 1926 को, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने फैक्ट्रियों के काम करने वाले लोगों के लिए हफ्ते में पांच दिन और रोज आठ घंटे काम करने की योजना पहली बार लागू की थी। इसके बाद अमेरिकी संसद (कांग्रेस) ने 1938 में हफ्ते में 44 घंटे के साथ फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट पारित किया। 24 अक्टूबर, 1940 को आठ घंटे आखिरकार दुनिया भर के विभिन्न उद्योगों में एक मानक समय में बन गया।

भारत में शुरूआत

बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत में रोज 12 घंटे से आठ घंटे काम करने की योजना लागू कराने में बाबा साहेब आंबेडकर की बड़ी अहम भूमिका थी। उन्होंने 27 नवंबर, 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में इस योजना को लागू करने का

प्रस्ताव रखा था। इस सम्मेलन में शामिल केंद्र और प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों ने सर्वसम्मति से सप्ताह में 48 घंटे के सिद्धांत का समर्थन किया था।

ऐसे बना कानून

आजादी के बाद कारखाना अधिनियम 1948 लागू होने के बाद रोज काम करने के आठ घंटे निर्धारित किए गए। इस अधिनियम के तहत आठ घंटे से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त मजदूरी देने का प्रावधान भी शामिल था। साथ ही कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का भी प्रावधान था। 1987 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया।

श्रम कल्याण कोष

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 'श्रम कल्याण कोष' से उत्पन्न महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देने के लिए बीपी अगरकर के मार्गदर्शन में एक सलाहकार समिति का गठन किया। बाद में उन्होंने जनवरी 1944 को इसे प्रख्यापित किया। वायसराय परिषद के श्रम सदस्य के रूप में, डॉ. आंबेडकर ने श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए।

उन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए आवश्यक शिक्षा और महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करके, स्वास्थ्य देखभाल और महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश प्रावधान प्रदान किए। डॉ. आंबेडकर ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की रक्षा के लिए **1942 में त्रिपक्षीय श्रम परिषद** की स्थापना की श्रमिकों और नियोक्ताओं को श्रम नीति के निर्माण में भाग लेने के लिए समान अवसर दिया और ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों की अनिवार्य मान्यता शुरू करके श्रमिक आंदोलनों को मजबूत किया।

अगर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जा सकते हैं, तो यह बाबासाहेब आंबेडकर की वजह से है। उन्होंने श्रमिकों द्वारा 'हड़ताल के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी थी। 8 नवंबर 1943 को डॉ. आंबेडकर ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता के लिए 'भारतीय ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक' लाए।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने भारत में महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए

- ★ खान मातृत्व लाभ अधिनियम,
- ★ महिला श्रम कल्याण कोष,
- ★ महिला एवं बाल श्रम संरक्षण अधिनियम,

- ★ महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ श्रम,
- ★ कोयला खदानों में भूमिगत कार्य पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध की बहाली,
- ★ भारतीय कारखाना अधिनियम।
- ★ स्वास्थ्य बीमा योजना
- ★ भविष्य निधि अधिनियम।
- ★ कारखाना संशोधन अधिनियम।
- ★ श्रम विवाद अधिनियम।
- ★ न्यूनतम मजदूरी
- ★ श्रमिकों को महंगाई भत्ता (डीए)। उजरती श्रमिकों को अवकाश लाभ।
- ★ कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन।

★ ***भारतीय सांख्यिकी कानून:***

1942 में, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित किया। बाद में डीके पैसैदी (पूर्व उप प्रधानाचार्य, सूचना अधिकारी, भारत सरकार) ने अपनी पुस्तक में कहा – डॉ. आंबेडकर के भारतीय सांख्यिकी अधिनियम के बिना वह श्रम शर्तों, उनकी मजदूरी दरों, अन्य आय मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा और अन्य धन, श्रम विवादों को तैयार नहीं कर सकते थे।

★ ***भारतीय ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक:*** भारतीय श्रम अधिनियम 1926 में अधिनियमित किया गया था। परंतु इससे केवल ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत करने में मदद मिली। लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। 8 नवंबर, 1943 को वे ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता के लिए भारतीय ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक लाए।

★ ***कोयला और अभ्रक खान भविष्य निधि:*** उस समय कोयला उद्योग ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 31 जनवरी 1944 को कामगारों के लाभ के लिए **कोयला खान सुरक्षा (स्टोविंग) संशोधन विधेयक** अधिनियमित किया। 8 अप्रैल 1946 को, वह अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष लाए जिसने श्रमिकों को आवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी व्यवस्था में मदद की।

★ ***राष्ट्रीय रोजगार अभिकरण (रोजगार कार्यालय):*** डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने रोजगार कार्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

बाबासाहेब द्वारा लेबर कल्याण के लिए पारित करवाये गए कुछ कानूनों की न्यूज क्लिप।

उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सरकार में श्रम सदस्य के रूप में भारत में रोजगार कार्यालय बनाए और इसलिए ट्रेड यूनियनों, श्रमिकों और सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रम मुद्दों को सुलझाने और सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास पर पहल शुरू करने का त्रिपक्षीय तंत्र भी बनाया।

उनके अथक प्रयासों के कारण **राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी** का सृजन हुआ था।

प्रस्तुति: *परमजीत सिंह, एलएलबी,*
मास्टर ऑफ सोशल वर्क,
274, मोहल्ला महिताबगढ़,
जिला कपूरथला–144601

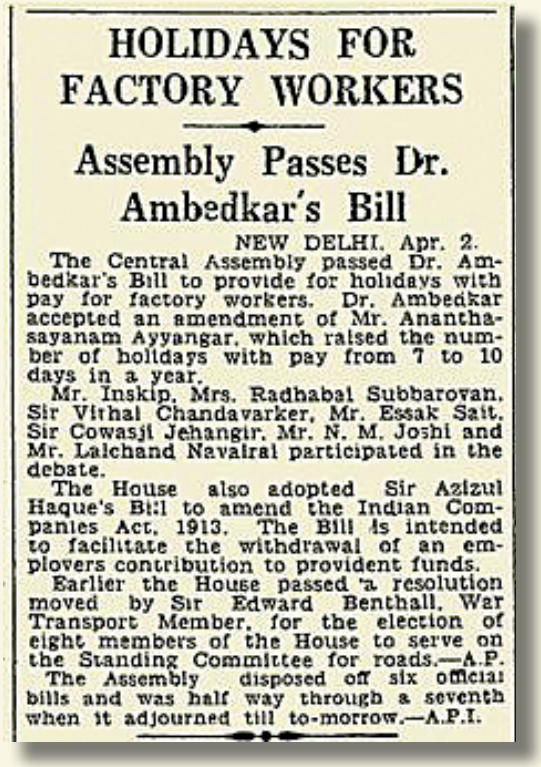

HOLIDAYS FOR FACTORY WORKERS

Assembly Passes Dr. Ambedkar's Bill

NEW DELHI, Apr. 2.

The Central Assembly passed Dr. Ambedkar's Bill to provide for holidays with pay for factory workers. Dr. Ambedkar accepted an amendment of Mr. Ananthasayanam Ayyangar, which raised the number of holidays with pay from 7 to 10 days in a year.

Mr. Inskip, Mrs. Radhabai Subbarovan, Sir Vithal Chandavarker, Mr. Essak Sait, Sir Cowasji Jehangir, Mr. N. M. Joshi and Mr. Lalchand Navalrai participated in the debate.

The House also adopted Sir Azizul Haque's Bill to amend the Indian Companies Act, 1913. The Bill is intended to facilitate the withdrawal of an employers contribution to provident funds.

Earlier the House passed a resolution moved by Sir Edward Benthall, War Transport Member, for the election of eight members of the House to serve on the Standing Committee for roads.—A.P.

The Assembly disposed off six official bills and was half way through a seventh when it adjourned till to-morrow.—A.P.I.

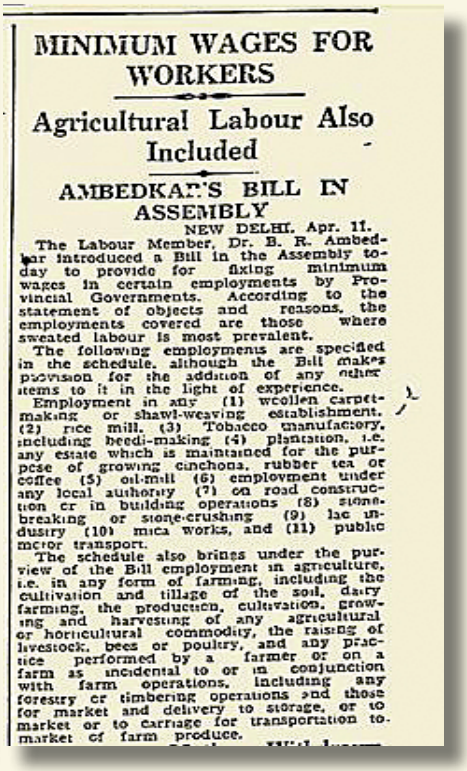

MINIMUM WAGES FOR WORKERS

Agricultural Labour Also Included

AMBEDKAR'S BILL IN ASSEMBLY

NEW DELHI, Apr. 11.

The Labour Member, Dr. B. R. Ambedkar introduced a Bill in the Assembly today to provide for fixing minimum wages in certain employments by Provincial Governments. According to the statement of objects and reasons, the employments covered are those where sweated labour is most prevalent.

The following employments are specified in the schedule, although the Bill makes provision for the addition of any other items to it in the light of experience.

Employment in any (1) woollen carpet-making or shawl-weaving establishment, (2) rice mill, (3) Tobacco manufactory, including beedi-making (4) plantation, i.e. any estate which is maintained for the purpose of growing cinchona, rubber tea or coffee (5) oil-mill (6) employment under any local authority (7) on road construction or in building operations (8) stone-breaking or stone-crushing (9) lac industry (10) mica works, and (11) public motor transport.

The schedule also brings under the purview of the Bill employment in agriculture, i.e. in any form of farming, including the cultivation and tillage of the soil, dairy farming, the production, cultivation, growing and harvesting of any agricultural or horticultural commodity, the raising of livestock, bees or poultry, and any practice performed by a farmer or on a farm as incidental to or in conjunction with farm operations, including any forestry or timbering operations and those for market and delivery to storage, or to market or to carriage for transportation to market of farm produce.

क्यों भारतीय महिलाओं को डॉ. आंबेडकर का आभारी होना चाहिए?

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और कल्याण हेतु ऐसा क्या खास किया, इस पर चर्चा करने से पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी उनके इस उद्धरण का कि–

''मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की स्थिति से मापता हूं।''

महिलाओं पर पुरुषों द्वारा किए गए सदियों के शासन और भेदभाव के कारण सशक्तिकरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वे दुनिया भर में पुरुषों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा और भेदभावपूर्ण प्रथाओं का निशाना है। भारत अलग नहीं है। महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाना है जो वो हो सकती है। हम उन्हें सशक्तिकरण के एक हिस्से के रूप में अवसर, सुविधाएं देंगे, जिसकी हर महिला हकदार हैं।

ब्रिटिश शासनकाल तथा स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण में डॉ. आंबेडकर का योगदान इतना बड़ा है कि भारत के पूरे इतिहास में इस स्तर की मिसाल नही मिलती है, जब किसी ने इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए इतने अधिकार एवं महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए कार्य किए हों ।

वे एक उत्साही नारीवादी थे

बाबासाहेब आधुनिक भारत में महिलाओं की उन्नति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले पहले भारतीय थे। वे चाहते थे कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में। उन्हें सशक्त बनाने के लिए, ब्रिटिश शासन के तहत एक विधायक के रूप में वे कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले पहले लोगों में से थे।

समानता और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति में दृढ़ विश्वास

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सामाजिक शिक्षा, उनके सुख और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारी से अधिक महत्वपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं के प्रत्येक वर्ग को उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए और महिलाओं की गरिमा और शील को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना आवश्यक है।

एक दृढ़ संकल्प सेनानी और एक प्रगाढ़ विद्वान ने समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के पथ पर ले जाने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं।

महिला सशक्तिकरण के सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए उनकी पत्नी सुश्री रमाबाई डॉ आंबेडकर की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक थीं। वह नम्रता, लचीलापन और करुणा के प्रतीक के रूप में बाबासाहेब के हर संघर्ष

का समर्थन करने के लिए चुपचाप साथ खड़ी रहीं। बाबासाहेब ने सामाजिक और आर्थिक अधिकार, काम और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समानता के सिद्धांत की स्थापना की। ***स्वतंत्रता और समानता*** की स्थापना के लिए बाबासाहेब की प्रतिबद्धता ने महिलाओं को शिक्षा, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रगति और आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का विश्वास दिलाया है।

डॉ. आंबेडकर महिलाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों में विश्वास करते और बढ़ावा देते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक विवाहित महिला को अपने पति की गतिविधियों में एक दोस्त के रूप में भाग लेना चाहिए। लेकिन उन्हें गुलामों के जीवन को नकारने का साहस दिखाना होगा। उन्हें समानता के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए। अगर सभी महिलाएं इसका पालन करें तो उन्हें उचित सम्मान और पहचान मिलेगी।

उन्होंने कहा, ***''हम जल्द ही बेहतर दिन देखेंगे और अगर पुरुष शिक्षा के साथ–साथ स्त्री शिक्षा को भी मंजूर किया जाए तो हमारी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी।"***

उन्होंने परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था, जिस में महिलाओं को सिर्फ मर्द की दासी ही समझा जाता था और इसी रूप में व्यवहार किया जाता था, के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया और इस उद्देश्य के लिए 1920 में ***''मूक नायक''*** और 1927 में ***"बहिष्कृत भारत"*** पत्रिका के शुभारंभ से इस अमानवीय व्यवस्था को बदलने के लिए

आवाज बुलंद करनी शुरू की। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने स्त्री–पुरुष समानता और शिक्षा की आवश्यकता पर उचित जोर दिया और वंचित वर्गों के साथ–साथ महिलाओं की समस्याओं को भी उजागर किया।

जनवरी, 1928 में मुंबई में एक महिला संघ की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष के रूप में रमाबाई, डॉ. आंबेडकर की पत्नी को नियुक्त किया गया। ***महिलाओं को साहसपूर्वक बोलने हेतु सशक्त बनाने के लिए डॉ. आंबेडकर का प्रोत्साहन तब देखा गया जब 1931 में सुश्री राधाबाई वडाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ''अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा सैकड़ों बार मरना बेहतर है। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे।"*** डॉ. आंबेडकर महिलाओं की ताकत और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में उनकी भूमिका में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, ***''मैं समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की स्थिति से मानता हूँ। शादी करने वाली हर लड़की अपने पति के साथ खड़ी हो, अपने पति के दोस्त और समान होने का दावा करे, और उसकी दासी होने से इंकार कर दे। मुझे यकीन है कि यदि आप इस सलाह का पालन करते हैं, तो आप अपने आप को सम्मान और प्रतिष्ठा दिला पाएंगे।''***

भारतीय महिलाओं को डॉ. आंबेडकर की सौगात

संविधान में स्त्री–पुरुष समानता को मौलिक अधिकार के रूप में निर्धारित किया गया है। लेकिन 19वीं शताब्दी में महिलाओं की अत्यन्त अधः पतन और अधीनता की स्थिति से 20वीं शताब्दी के मध्य में समानता की स्थिति में परिवर्तन आधुनिक युग में महिलाओं की प्रगति का एक साधारण मामला नहीं था।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो संवैधानिक प्रावधान बनाए उनको लागू करने से महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। भारत के संविधान में अलग अलग संस्थाओं द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विशेष कदमों का प्रावधान किया गया है। ***भारत के संविधान के प्रावधानों का एक कानूनी बिंदु पुरुषों की तरह समाज में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समानता प्रदान करना है।***

सामाजिक कानूनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में त्वरित और प्रभावी परिवर्तन पर विचार किया गया। भारत का संविधान कई मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता

की गारंटी देता है जैसे जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय महिलाएं भी भारतीय पुरुषों की तरह ही इन अधिकारों की हकदार हैं।

अनुच्छेद 14 महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 15(1) विशेष रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 16 किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है।

आजादी के बाद, भारतीय संविधान के प्रावधानों से प्राप्त शक्तियों के सहारे महिलाओं के उत्थान के लिए कई कानून पारित किए गए। ये कानून पुरुषों को समान अधिकार और विशेषाधिकार देने, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने, स्त्री–पुरुष की असमानता को दूर करने और उनके आत्म साक्षात्कार और विकास के रास्ते में आने वाली बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिए लाए गए हैं।

महिलाओं के उत्थान के लिए पारित महत्वपूर्ण अधिनियम

- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954**
- **हिंदू विवाह अधिनियम** 1955: इस अधिनियम ने विवाह और तलाक के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों को मान्यता दी है। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत या तो पुरुष या महिला और या दोनों आपसी सहमति से तलाक के लिए अदालत में याचिका पेश कर सकते हैं. पत्नी और पति दोनों को तलाक लेने का समान अधिकार है। इस अधिनियम ने महिलाओं को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया।
- **हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम** 1956: इस अधिनियम के तहत एक महिला किसी लड़के या लड़की को अपने बेटे या बेटी के रूप में गोद ले सकती है।
- **हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम** 1956: यह अधिनियम प्रावधान करता है कि एक महिला अपने नाबालिग बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में कार्य करने की हकदार है।
- **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम** 1956: इस अधिनियम के परिणामस्वरूप महिला को पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार प्राप्त हैं। यह अधिनियम हिंदू कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है। परंतु यह 2005 के संशोधन तक नहीं था कि बेटियों को बेटों के समान संपत्ति की प्राप्ति की अनुमति दी गई थी। यह निरपवाद रूप से महिलाओं को संपति के अधिकार प्रदान करता है।
- **हिंदू महिला संपति का अधिकार अधिनियम** 1973: इस अधिनियम ने महिलाओं को अधिक सुविधाएं दी हैं। इस अधिनियम के तहत बेटी विधवा और मां को मृतक की संपत्ति एक साथ विरासत में मिल सकती है। अब महिलाएं अपनी संपति को पूरी तरह से बेचने, गिरवी रखने और अपनी इच्छानुसार निपटाने के पूर्ण अधिकार के साथ अपने पास रखेंगी। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार, महिला को जीवनपर्यंत सहदायिक संपति में अपने पति के हिस्से को इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन संपति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु अब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है कि जिनके पति नहीं रहे, उन्हें वसीयत में मिली संपत्ति पर पूरी तरह से नैतिक अधिकार है।
- **दहेज निषेध अधिनियम** 1961: इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना या मांगना एक अपराध है जिसके लिए कारावास या/और जुर्माना हो सकता है।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम** 1976: यह अधिनियम पुरुष और महिला श्रमिकों के

क़ानून मंत्री डॉक्टर आंबेडकर हिन्दू कोड बिल पर संसद में चर्चा करते हुए. फ़ोटो साभार: दीक्षाभूमि, नागपुर और लोकवांग्मय प्रकाशन

बीच मजदूरी भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।

भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डॉ. आंबेडकर के प्रयासों का प्रभाव

महिला सशक्तिकरण स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, भलाई, आर्थिक स्वतंत्रता और वित्तीय आत्मनिर्भरता तक पहुंच की नींव पर टिका है।

डॉ. आंबेडकर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों, सिफारिशों, सुझावों और विधियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया है।

वर्तमान में कानून योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के रूप में करीब 70 राष्ट्रीय स्तर के व्यवधान हैं, साथ ही 40 से अधिक राज्य व्यवधान है जिनका उद्देश्य अन्य उद्देश्यों के अलावा रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर है।

संविधानिक शक्तियों के कारण भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बने कानून

महिला सशक्तिकरण के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कुछ विशिष्ट कानूनों की सूची यहां दी गई हैं–

- ★ समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- ★ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- ★ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (1995 में संशोधित)
- ★ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983
- ★ महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
- ★ सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
- ★ राष्ट्रीय महिला आयोगः जनवरी, 1992 में स्थापित
- ★ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- ★ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- ★ गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994
- ★ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण) अधिनियम, 2013
- ★ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2015 यह अधिनियम पहले के किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एक महत्वपूर्ण तबदीली करता है, क्योंकि अपराध के लिए सजा के लिए किशोर आयु अब 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है।

संशोधित मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 यह कामकाजी महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान उनके हितों की रक्षा करता है। इस अधिनियम के अनुसार, वैतनिक मातृत्व अवकाश (12 से 26 सप्ताह तक), वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी (सामान्य वेतन लाभ के साथ) और कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाएं शामिल है। यह अधिनियम महिलाओं को अपने काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए अधिक लाभ देता है।

1993 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार दिया गया है जो भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील पत्थर है। इस संशोधन के साथ स्थानीय शासन में चुनाव के विभिन्न स्तरों पर यानि पंचायत ब्लॉक और नगर पालिका चुनावों में महिलाओं को 33.33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

बाबासाहेब के प्रयासों और योगदान के कारण ही आज महिलाएं काफी हद तक आत्म निर्भर हैं। समय–समय की सरकारों ने भारतीय समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की और कई कानूनों को लागू किया है।

महिला सशक्तिकरण की बाधाएँ और चुनौतियों

अफसोस है कि आज भी बहुत सी महिलाएं शोषण और उत्पीड़न का सामना

महिलाओं को मातृत्व लाभ

करती है जो विभिन्न प्रकार के हो सकते है, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और यौन उन्हें अक्सर बलात्कार दुर्व्यवहार और शारीरिक और बौदधिक हिंसा के अन्य रूपों का शिकार होना पड़ता है।

बाबासाहेब के महापरिनिर्वाण पर संसद में शोक संदेश के समय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ''बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक थे।'' स्त्री–पुरुष समानता पर आधारित समाज का उनका सपना अभी भी पूर्ण रूप से साकार नहीं हुआ है।

पुरुषों में निहित प्रभुत्व के कारण वे अक्सर अपनी महिला प्रतिपक्ष को उनके जितना ऊंचा उठने की अनुमति नहीं देते है। महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों से बधी होती है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक की धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए भी प्रतिबंधित किया जाता है। हमारे समाज में अभी भी लड़के को लड़कियों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है और बालिकाओं की अपेक्षा बालक को शिक्षा और स्वस्थ आहार को प्राथमिकता दी जाती है। ''बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ'' योजना का नाम ही यह इशारा करता है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज में बेटियाँ उस सम्मान से आज भी वंचित है जिसके लिए डॉ. आंबेडकर ने संवैधानिक प्रावधान बनाए थे। अतः अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

इसलिए उन्होंने ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं है, तो यह बुरा साबित होगा।

संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हैं, तो यह अच्छा साबित होगा।

बेटों के लिए माता-पिता की वरीयता की प्रथा

भारत में सांस्कृतिक रीतियों, विशेष रूप से पितृवंशीयता यानि पुरुष वंशजों के माध्यम से विरासत और पितृलोकता (पति के माता–पिता के साथ या उनके पास रहने वाले विवाहित जोड़े), लैंगिक असमानता और स्त्रियों के प्रति रुढ़ीगत व्यवहार के विचारों को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते है। बुढ़ापे में माता–पिता के लिए देखभाल करने वालों के रूप में बेटों के लिए सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित माता–पिता की वरीयता के महत्व से निकलती है। बेटियों के लिए खराब परिणामों से जुड़ी रुढ़ियाँ, जैसे दहेज प्रथा, जिसमें शादी के समय दुल्हन के परिवार से दूल्हे को नकदी या महंगा सामान लड़की पक्ष से दिया जाता है। यह भी महिलाओं को अक्षम करता है। इस प्रथा से अक्सर महिलाओं के खिलाफ उनके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज से संबंधित हिंसा भी होती है, यदि दहेज को अपर्याप्त माना जाता है और अधिक पैसों की मांग करने के लिए भी प्रताड़ित किया जाता है।

ये प्रथाएँ माता–पिता को लड़कियों को न पैदा करने या लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम खर्च करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। माता–पिता की इस तरह की प्राथमिकताएं भारत में तेजी से बढ़ रहे लिंगानुपात में परिलक्षित होती है। 2011 में भारत में लिंग निर्धारण को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बावजूद प्रति 1000 लड़कों पर छह साल से कम उम्र की 919 लड़कियां थीं। महिलाओं को उनके घरों में और समाज में समान समझे जाने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है।

इसलिए बाबासाहेब के आधारभूत विचार सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना पहले थे। ये महिला सशक्तिकरण के पक्षधर के रूप में एक 'दीप स्तम्भ' की तरह हमेशा रोशनी दिखाते रहेंगे। इसके लिए भारत में अभी बहुत ज्यादा इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। जबकि नई और नवोन्मेषी योजनाओं और नीतियों का हमेशा स्वागत रहेगा, परंतु हमें उनके बेहतर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने और अंतिम मील तक पहुंचने की आवश्यकता है।

प्रस्तुतिः *सुश्री रेखा,*
स. प्रशासन अधिकारी
मुख्यालय, नई दिल्ली

ऐसे
युगपुरूष
बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर
जिन्हें आप नहीं जानते होंगे

पंच तीर्थ

जन्मभूमि : महू, मध्य प्रदेश

शिक्षाभूमि : लंदन

विपुल प्रतिभा के धनी, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, श्रद्धेय डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर से जुड़े पांच स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित करने का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है।

1. जन्मभूमिः मध्य प्रदेश के महू में
2. शिक्षाभूमिः लंदन में डॉ. आंबेडकर मेमोरियल,
3. नागपुर में दीक्षाभूमि, यहाँ करीब 6 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी
4. चैत्या भूमिः मुंबई में और,
5. महापरिनिर्वाण भूमिः दिल्ली में नेशनल मेमोरियल।

"ये स्थान, ये तीर्थ, सिर्फ ईंट–गारे की इमारत भर नहीं हैं, बल्कि ये जीवंत संस्थाएं हैं, आचार–विचार के सबसे बड़े संस्थान हैं।" इन पांच महत्वपूर्ण स्थानों को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनाने के लिए प्रधान मंत्री श्री मोदी ने विशेष प्रयास किया है।

डॉ. आंबेडकर ने जो पिछड़े और कमजोर हैं उनको ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया। सामाजिक विकारों से ऊपर उठकर कोलंबिया और लंदन यूनिवर्सिटियों शिक्षा पाने वाला **पहला डबल डॉक्टरेट** भारतीय बनने के साथ ही वे एक ओजस्वी लेखक, यशस्वी वक्ता, कांस्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष और प्रथम कानून मंत्री थे।

उनका मानना था कि एक आदर्श समाज की रचना के लिए हर वर्ग के लोगों के लिए सामान अधिकार मिलना जरूरी है। बाबासाहेब ने न्यायप्रियता को प्राथमिकता दी। इसी सोच को साकार करने के लिए सामान अधिकारों के लिये लड़े और एक संविधान की संरचना की जिसमें सभी एक दूसरे से एक सूत्र में जुड़े हुए हैं।

इस पंच तीर्थ की शुरूआत है, बाबासाहेब के इंदौर स्थित महु की जन्म भूमि से। महु में 'सामाजिक समरसता सम्मेलन' भी हर साल आयोजित किया जाता है। स्मारक का उद्घाटन 14 अप्रैल, 1991 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने किया था। महु भोपाल से 216 कि. मी. और इंदौर से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

महापरिनिर्वाण भूमिः डॉ. आंबेडकर नेशनल मेमोरियल 26 अलीपुर रोड, दिल्ली

'बाबासाहेब को सीमाओं में न बांधे। उन्हें विश्व मानवीयता के रूप में देखें।' **डॉ. आंबेडकर नेशनल मेमोरियल की 21 मार्च 2016 को आधारशिला रखने के समय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा,** ***'बाबासाहेब को सिर्फ दलितों का मसीहा कहकर सीमित न करें। उन्हें भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नही। वो हर समाज के नेता थे। वो हर पीड़ित की आवाज थे। राजनीतिक एकीकरण का जो काम सरदार पटेल ने किया था, उसी तरह बाबासाहेब ने सामाजिक एकता का एकीकरण किया।'***

डॉ. आंबेडकर 1 नवम्बर, 1951 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में सिरोही के महाराजा के घर में रहने लगे जहां उन्होंने 6 दिसम्बर, 1956 को आखिरी सांस ली और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यहीं पर यह स्मारक बनाया गया है।

13 अप्रैल 2018 को मेमोरियल देश को समर्पित

डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च 2016 को रखी थी। दो साल में ही निर्माण पूरा करवा के इसको 13 अप्रैल 2018 को देश को समर्पित किया।

इस मेमोरियल को पुस्तक का आकार दिया गया है जो कि संविधान का प्रतीकात्मक है। इसमें एक प्रदर्शनी स्थल, स्मारक, बुद्ध की प्रतिमा के साथ ध्यान केंद्र और डॉ. बाबासाहेब की 12 फुट ऊंची प्रतिमा है। प्रवेश द्वार पर 11 मीटर का अशोक स्तंभ भी मौजूद है। संग्रहालय में मल्टीमीडिया के जरिये आंबेडकर के जीवन और आधुनिक भारत को उनके योगदान की जानकारी दी जाती है।

इसमें एक मानव आकार का रोबोट है जो डॉ. आंबेडकर की तरह ही दिखाई देता है, जो संविधान सभी में दिये गये एक भाषण को प्रस्तुत करता दिखाई देता है। उनके जीवन से संबंधित 27 प्रदर्शनियाँ हैं, जो उनके जीवन कार्य, साजो–समान और उनके जीवन के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है और प्रदर्शित करती हैं।

दीक्षाभूमि : नागपुर

महापरिनिर्वाण भूमि : दिल्ली

चैत्या भूमि : मुंबई

पंच स्थलों के भिती चित्रों से उनकी झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलती है। संग्रहालय के पश्चिमी भाग में एक सुंदर वृत्ताकार ध्यान कक्ष बनाया गया है इसे वातानूकुलित भी किया गया है। यहॉ बुद्ध की स्कंद संगमरमर की मूर्ति भी स्थापित की गई है।

26 अलीपुर रोड पर बना ये स्मारक, दिल्ली ही नहीं, देश के मानचित्र पर हमेशा–हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यहां आकर लोग बाबासाहेब के जीवन से जुड़ी बातों को, उनकी दृष्टि को, और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

बाबासाहेब को सीमाओं में न बांधे। उन्हें विश्व मानवीयता के रूप में देखें।

डॉ. आंबेडकर नेशनल मेमोरियल की 21 मार्च 2016 को आधारशिला रखने के समय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "बाबासाहेब को सिर्फ दलितों का मसीहा कहकर सीमित न करें। उन्हें भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नही। वो हर समाज के नेता थे। वो हर पीड़ित की आवाज थे। राजनीतिक एकीकरण का जो काम सरदार पटेल ने किया था, उसी तरह बाबासाहेब ने सामाजिक एकता का एकीकरण किया।"

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'बाबासाहेब को सीमाओं में न बांधे। उन्हें विश्व मानवीयता के रूप में देखें। दुनिया जैसे मार्टिन लुथर किंग को देखती है, वैसे ही हमें बाबासाहेब आंबेडकर को देखना चाहिए। इसलिए मानवता में जिस–जिस का विश्वास है, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि बाबासाहेब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। आजादी के समय सामाजिक बिखराव था। हमारे यहां ऊंच–नीच का भाव था। जाति–भाव का जहर था। लेकिन बाबासाहेब ने इसे दूर करने का काम किया।"

"दुनिया जब मार्टिन लूथर किंग की चर्चा करे तो बाबासाहेब की चर्चा करने पर भी मजबूर हो जाए।"

"वो तब होगा, जब हम बाबासाहेब का सही रूप, उनके विचारों की सही बात, उनके काम की सही बात, दुनिया के पास सही स्वरूप में प्रस्तुत करें, इस केन्द्र का यह सबसे बड़ा काम रहेगा कि पूरा विश्व बाबासाहेब को जाने एवं समझे। भारत के मूलभूत तत्वों को जाने और समझे और यह बाबासाहेब के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है।"

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आगे कहा– बाबासाहेब को विश्व मानव के रूप में हमें देखना चाहिए क्योंकि वो मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। और हमें संविधान से जो कुछ मिला है वो जाति विशेष के कारण नही परंतु अन्यायों की परंपराओं को नष्ट करने के एक उत्तम प्रयास के रूप में मिला है।

बाबासाहेब को ऐसे सीमित ना करें। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरूष हैं। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है।

जिस रूप में मार्टिन लूथर किंग को देखती है हमें बाबासाहेब को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर मार्टिन लूथर विश्व के दबे–कुचले लोगों की आवाज बन सकते हैं तो आज बाबासाहेब भी विश्व के दबे–कुचले लोगों की आवाज बन सकते हैं।

डॉ. आंबेडकर नेशनल मेमोरियल 13

"आज की नई पीढ़ी, जब इस मेमोरियल में आएगी, तो यहां लगी प्रदर्शनी देखकर, यहां म्यूजियम में आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनके जीवन के अहम पड़ावों को देखकर, बाबासाहेब के जीवन के अथाह विस्तार को समझ पाएगी।"

–प्रधानमंत्री श्री मोदी, 13 अप्रैल 2018

अप्रैल 2018 को देश को समर्पित करते समय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहाः "ये स्मारक, एक असाधारण व्यक्ति के असाधारण जीवन का प्रतीक है।"

"ये स्मारक, मां भारती के होनहार सपूत के आखिरी दिनों की यादगार है।"

"आज की नई पीढ़ी, जब इस मेमोरियल में आएगी, तो यहां लगी प्रदर्शनी देखकर, यहां म्यूजियम में आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनके जीवन के अहम पड़ावों को देखकर, बाबासाहेब के जीवन के अथाह विस्तार को समझ पाएगी।" प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर आगे कहा–

"बाबासाहेब की विचारधारा के मूल में **'समानता'** अनेक रूपों में निहित रही है।

1. **सम्मान की समानता,**
2. **कानून की समानता,**
3. **अधिकार की समानता,**
4. **मानवीय गरिमा की समानता,**
5. **अवसर की समानता।**

ऐसे कितने ही विषयों को बाबासाहेब ने अपने जीवन में लगातार उठाया। उन्होंने हमेशा उम्मीद जताई थी कि भारत में सरकारें संविधान का पालन करते हुए बिना पंथ का भेद किए हुए, बिना जाति का भेद किए हुए चलेंगी।"

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "मैं आज देश के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये बाबासाहेब की सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र निर्माण के पवित्र यज्ञ में उनका योगदान ही है जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में निवास करते हैं।"

"सामाजिक अधिकार सिर्फ कहने–सुनने की बात नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है।

जिस 'न्यू इंडिया' की बात मैं करता हूं वो बाबासाहेब के सपनों का भी भारत है।"

बाबासाहेब ने 1951 में केंद्रीय कैबिनेट से क्यों दिया था इस्तीफा?

डॉ. आंबेडकर नेशनल मेमोरियल को 13 अप्रैल 2018 को देश को समर्पित करते समय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहाः

एक बार बाबासाहेब को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा की नौबत आ गई थी। अपने बयान

'सामाजिक अधिकार सिर्फ कहने-सुनने की बात नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है। जिस 'न्यू इंडिया' की बात मैं करता हूं वो बाबासाहेब के सपनों का भी भारत है।'

–प्रधानमंत्री श्री मोदी

में बाबासाहेब ने एक–एक करके अपनी तकलीफों का जिक्र किया था। वो वजहें भी विस्तार से बताईं थीं, जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उस बयान की कुछ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ऐसी हैं–

बाबासाहेब ने लिखा था–

"मुझे कैबिनेट की किसी कमेटी में नहीं लिया गया।

न ही विदेश मामलों की कमेटी में,

न ही रक्षा कमेटी में।

जब आर्थिक मामलों की कमेटी बन रही थी, तो मुझे लगा कि उसमें मुझे जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र और वित्तीय मामलों का छात्र रहा हूं। लेकिन मुझे उसमें भी छोड़ दिया गया।"

इस तरह, जिस व्यक्ति ने दुनिया के एक से बढ़ कर एक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की हो और जिस व्यक्ति ने सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान को रचा हो, उसकी बारीकी पर घंटों चर्चा की हो, उसको नजरअंदाज किया गया था। खुद बाबासाहेब ने कहा है कि उन्हें सिर्फ एक मंत्रालय दिया गया जिसमें बहुत काम नहीं था। वो सोचते थे योजनाएं बनाने के काम से जुड़ेंगे, जिन विषयों के वो माहिर हैं, उनमें अपने अनुभव का फायदा देश को देंगे, लेकिन उन्हें इन सबसे दूर रखा गया। यहां तक की मंत्रिमंडल विस्तार के समय, किसी मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी तक बाबासाहेब को नहीं दी गई।

एक और बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाबासाहेब ने इस्तीफा दिया।

अपने बयान में बाबासाहेब ने लिखा था–

"अब मैं आपको वजह बताना चाहता हूं जिसने सरकार से मेरा मोहभंग कर दिया। ये पिछड़ों और दलितों के साथ किए जा रहे बर्ताव से जुड़ा है। मुझे इसका अफसोस है कि संविधान में पिछड़ी जातियों के हितों के संरक्षण के लिए उचित प्रावधान नहीं हैं। ये कार्य एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर होना था। संविधान को लागू हुए एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन सरकार ने अब तक आयोग नियुक्त करने के बारे में सोचा तक नहीं है।"

"1951 में जब बाबासाहेब को मंत्रि परिषद से इस्तीफा की नौबत आई तो इस की एक वजह थी 'महिलाओं को संपत्ति–परिवार में समान हक दिलाने का कानून।"

डॉ. आंबेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था जब भारतीय संसद द्वारा व्यापक हिंदू कोड बिल को हटा दिया गया। इस विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य थे – पहला, हिंदू महिलाओं को उनके उचित अधिकार देकर उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना और दूसरा, सामाजिक विषमताओं और जातिगत असमानताओं को समाप्त करना।

इस विधेयक की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं:

- ★ महिलाओं द्वारा लड़कियों को गोद लेने, तलाक की इजाजत और परिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी का अधिकार दिया गया था।
- ★ इस बिल ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को विवाह के अस्थिर होने पर तलाक का अधिकार दिया।
- ★ विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया।
- ★ बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया।
- ★ अंतर्जातीय विवाह और किसी भी जाति के बच्चों को गोद लेने की अनुमति होगी।

"उस समय एक बिल पर काम चल रहा था। बिल में महिलाओं को पारिवारिक–संपत्ति में समान हक दिलाने का जिक्र था। ये टाटा–बिड़ला की बेटियों के साथ–साथ वंचित वर्ग की बेटियों के लिए भी था। उस वक्त की सरकार इन प्रोग्रेसिव बातों के हक

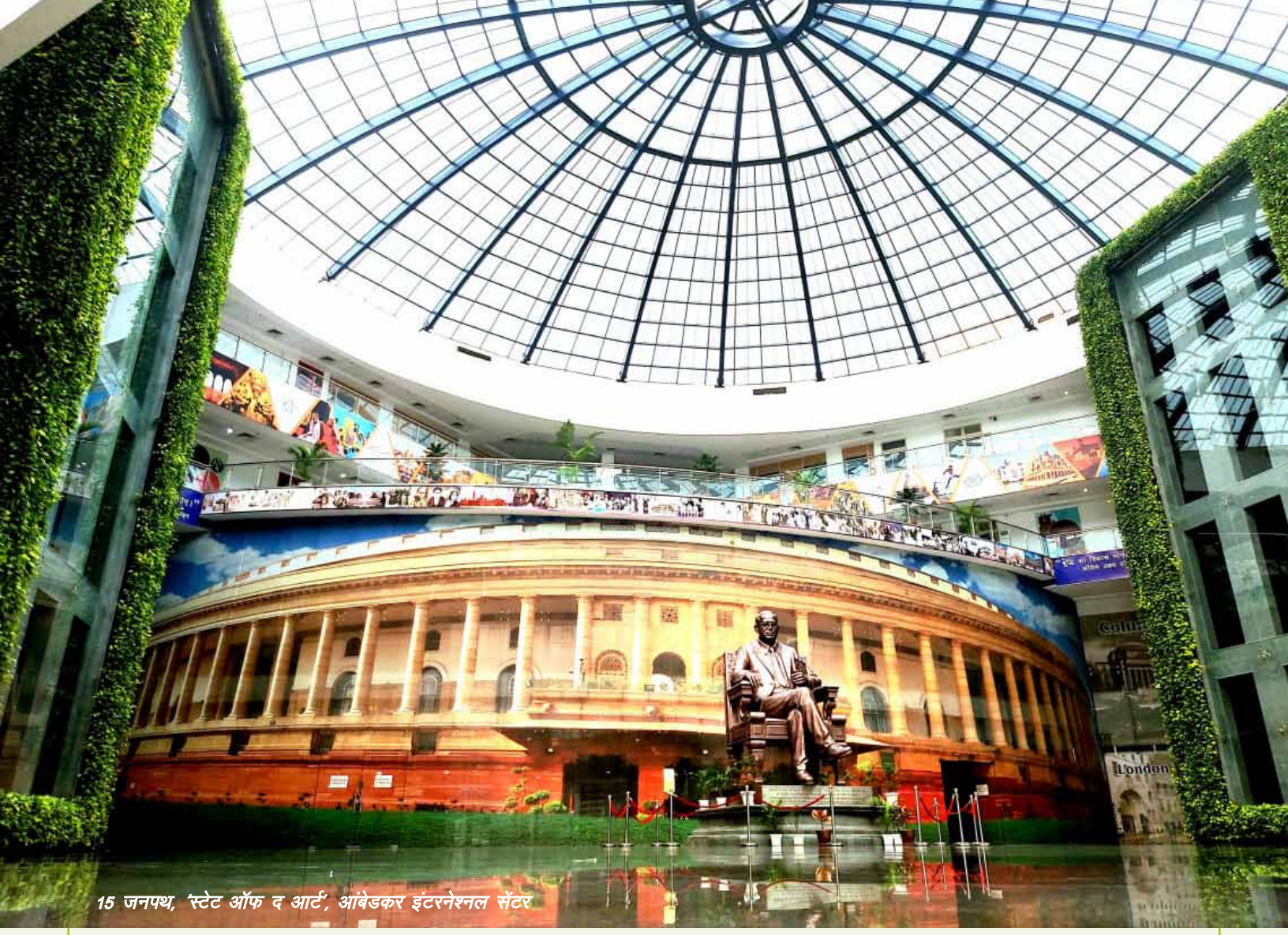

15 जनपथ, 'स्टेट ऑफ द आर्ट', आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर

में नही थी। यह कहा गया कि बेटी तो बहू बनकर चली जाती है। ये कैसे होगा। ऐसे वक्त पर बाबासाहेब को लगा कि अगर भारत की नारी को हक नहीं मिला तो फिर उस सरकार का वे हिस्सा नही बन सकते। अतः उन्होंने भारतीय नारियों के हक के लिए वह सरकार छोड़ दी थी।"

बाबासाहेब को झेलनी पड़ी बाद में भी उपेक्षा

वर्षों तक क्यों नही संसद के सेंट्रल हॉल में बाबासाहेब का चित्र लगाया गया ? और वर्षों तक क्यों नही बाबासाहेब को 'भारत रत्न' प्रदान किया गया ?

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आगे कहा– सोचिए, जिस व्यक्ति ने सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान को रचा हो, उसकी बारीकी पर घंटों चर्चा की हो, उसी के लिए सेंट्रल हॉल में कोई जगह नहीं थी। बाबासाहेब का चित्र लगाने के खिलाफ ये तर्क दिया जाता था कि सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है।

एक लंबे अरसे के बाद विपक्ष की सरकार बनने के बाद 12 अप्रैल 1990 को संसद के सेंट्रल हॉल में बाबासाहेब का चित्र लगाया गया। बाबासाहेब को भारत रत्न 31 मार्च 1990 को दिया गया। 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बाबासाहेब ने 1952 में लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था। यह भी एक कड़ु सत्य है कि 1952 की लोक सभा चुनावों और 1953 में भंडारा सीट से लोकसभा के उपचुनाव में बाबासाहेब को हराने के लिए उस समय के सत्तारुढ़ दल ने उनके खिलाफ प्रचार कर हर तरह की कोशिश की। संविधान के रचयिता के साथ यह कैसा सलूक था? परंतु फिर भी वे अपने शुभचिंतकों के बल पर राज्य सभा के सदस्य बनने में कामयाब रहे और देश को यथासंभव अपनी सेवायें देते रहे।

वर्षों अधूरा पड़ा रहा 15 जनपथ पर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण

15 जनपथ पर बने आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का विचार 1992 में सामने आया था। लेकिन 22 साल तक इसकी भी फाइल कहीं दबी रह गई। अब जाकर प्रधानमंत्री के विशेष प्रयासों से यह दिसंबर 2017 में अस्तित्व में आया। डॉ. आंबेडकर के विचारों का प्रतीक ये 'स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेश्नल सेंटर' अब दिल्ली की शान बना हुआ है।

(13 अप्रैल 2018 को डॉ. आंबेडकर नेशनल मेमोरियल देश को समर्पित करते समय प्रधानमंत्री श्री मोदी के भाषण पर आधारित।)

प्रस्तुतिः *के. एस. रामुवालिया*
प्रधान निदेशक

पंच तीर्थ

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ स्थानों में सबसे पहले है, उनकी जन्मभूमि महू, इंदौर के निकट वर्तमान मध्य प्रदेश में।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महू में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के जन्मस्थली स्मारक में।

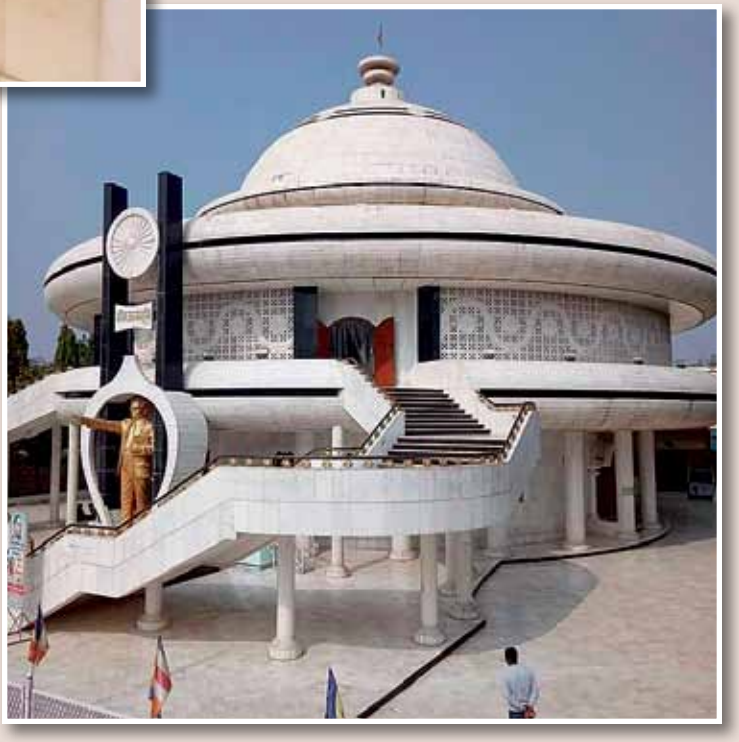

पंच तीर्थों में से एक दिल्ली में स्मारक बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के महापरिनिर्वाण स्थान 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, जो भव्य अतिआधुनिक तकनीक से बनाया गया है। इसमें उनके जीवन को मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

इसी स्मारक के अंदर बना ज्ञानकेंद्र का भव्य दृश्य।

पंच तीर्थों में से एक है दीक्षाभूमि नागपुर। इस जगह का असतित्व 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा के साथ हुआ था।

इस स्थान के एरियल दृश्य।

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर का मुंबई में ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण घर–'राजगृह'।

'स्टैचू ऑफ इक्येलिटी' भव्य स्मारक, मुंबई जिस पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है।

पंच तीर्थों में से एक स्थान चैत्या भूमि स्मारक, मुंबई।

चैत्या भूमि स्मारक के एरियल दृश्य।

BHEEM GARJANA
MUSIC AND LYRICS RAJSHREE AND SARVESHREE

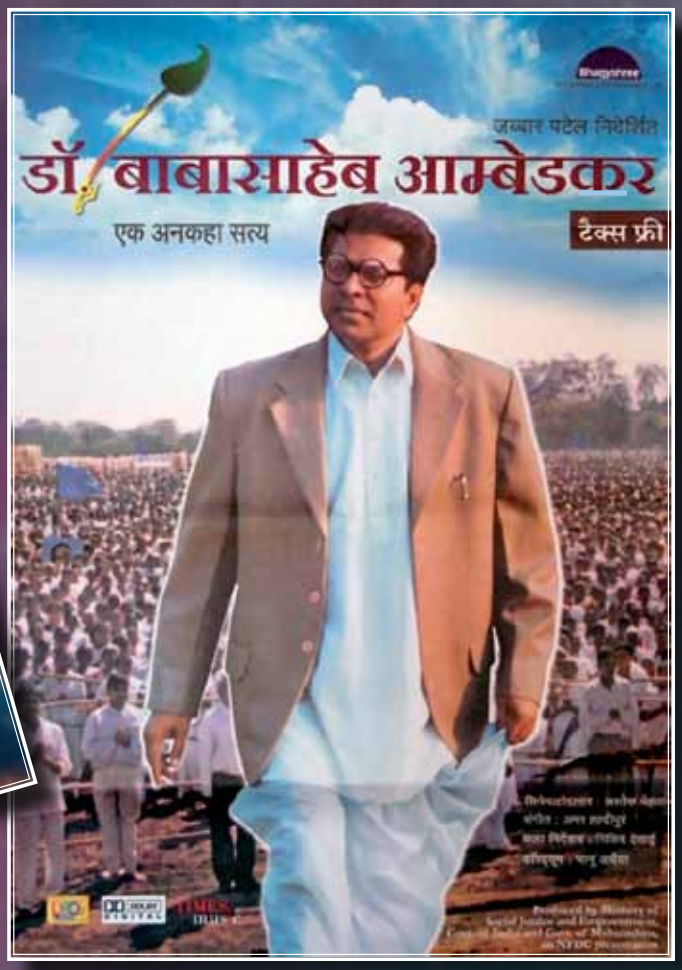
Rajshree
जब्बार पटेल निर्देशित
डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर
एक अनकहा सत्य
टैक्स फ्री

नजरअंदाज किया फिल्म बनाने वालों ने युगपुरुष डॉ. आंबेडकर को

अगर आप भारतरत्न बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर पर बनी फिल्मों के बारे में सोचते हैं, तो ज्यादातर लोगों को एक ही नाम याद आता हैं–जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" फिल्म, जिसमें अभिनेता मामूट्टी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी में थी, और इसका हिंदी संस्करण 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' (2000) भी लोकप्रिय रहा है।

लेकिन "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" फिल्म के पहले और बाद में डॉ. आंबेडकर पर कई फिल्में बनी हैं, जिनमें से ज्यादातर क्षेत्रीय भाषाओं तक ही सीमित हैं, तथा कुछ को हिंदी में डब किया गया हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि आज तक बॉलीवुड द्वारा बाबासाहेब पर कोई भी हिंदी फिल्म नहीं बनाई गई है! बाकी भाषाओं की बात करें तो भी पता चलता है की 1990 तक किसी ने नही सोचा उन पर फिल्म बनाने का। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता को उनके जीवन से परिचित नही होने दिया।

भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर लगभग 13 फिल्में बनी है, जोकि हिन्दी, मराठी, कन्नड़, तेलुगू तथा अंग्रेजी में है। फिल्मों के निर्माता–निर्देशकों ने अपने–अपने तरीके से बाबासाहेब को चित्रित करने की कोशिश की है।

'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ' (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 2000) यह एक 2000 की अंग्रेजी फिल्म है, जो जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित है। इसमें डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की भूमिका अभिनेता मामूट्टी ने निभाई थी, तथा प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने रमाबाई आंबेडकर की भूमिका निभाई थी, जबकि मृणाल कुलकर्णी ने बाबासाहेब की दूसरी पत्नी सविता आंबेडकर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को अंग्रेजी के अलावा 9 भाषाओं – हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, गुजराती इत्यादि में डब किया गया है। यह फिल्म केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक परियोजना थी।

इस फिल्म ने 1999 में भारत के तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं।

1. अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म
2. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – मामुट्टी
3. सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन – नितिन चंद्रकांत देसाई

परंतु भारत में कमजोर और उत्पीड़ित वर्गों के मुक्ति और भारत के संविधान को आकार देने में उनके योगदान के लिए जाने जाते बाबासाहेब पर बनी इस फिल्म के हिंदी संस्करण को कर मुक्त होने पर भी अधिकतर लोगों ने नहीं देखा।

प्रस्तुतिः *सुश्री नेहा यादव*
क.हि.अ., मुख्यालय, नई दिल्ली

मुख्य फिल्में

1) भीम गर्जना (1990) मराठी
2) बालक आंबेडकर (1991) कन्नड
3) डॉ. आंबेडकर (1992) तेलुगू
4) युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (1993) मराठी
5) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (2000) अंग्रेजी
6) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (2000) हिन्दी
7) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (2000) तेलुगू, भाग 1 एवं 2
8) डॉ. बी. आर. आंबेडकर (2005) कन्नड
9) रमाबाई भीमराव आंबेडकर (2010) मराठी
10) रमाबाई भीमराव आंबेडकर (2010) हिंदी
11) शूद्रः द राइजिंग (2012) हिंदी
12) ए जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध (2013) हिंदी
13) सरणं गच्छामि (2017) तेलुगु

शॉर्ट फिल्में एवं डॉक्यूमेंट्री

1) स्पेशल फीचर ऑन डॉ बी आर आंबेडकर–एपिसोड 1 से 6 (1992–93) हिंदी
2) हस्ताक्षर–ए शॉर्ट फिल्म ऑन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (2018) गुजराती
3) प्रधान मन्त्री–हिंदू कोड बिल, एपिसोड 5 (2013) हिंदी
4) संविधान–बी आर आंबेडकर. एपिसोड 1 से 10 (2014) हिंदी–अंग्रेजी
5) गर्जा महाराष्ट्र–एपिसोड 15–डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (2018) मराठी

बाबासाहेब के जन्म स्थान महू कैंट (इंदौर के पास) की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी नज़र...

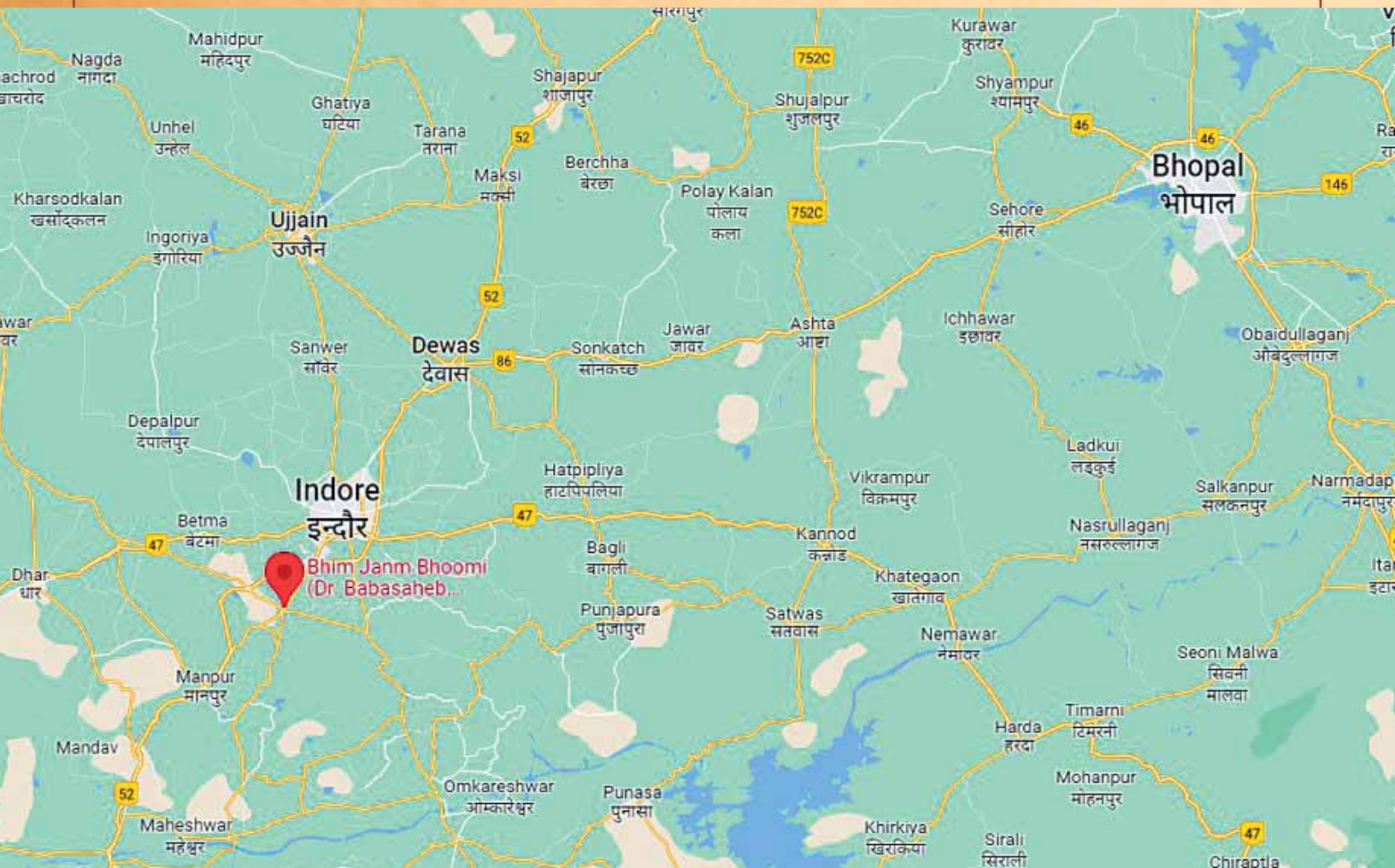

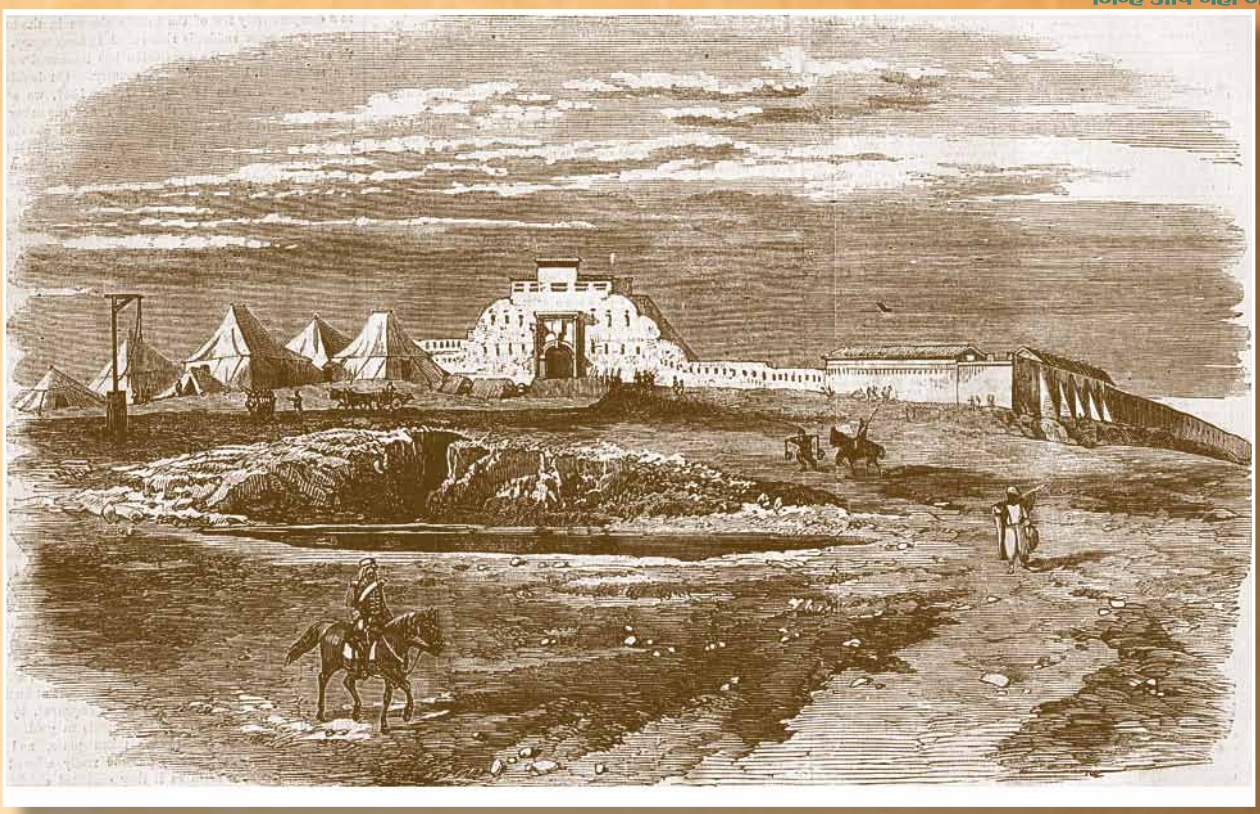

महू फोर्ट 1858

महू कैंट की आर्मी मैस और क्वाटर्स 1863

महू कैंट में क्वाटर्स और बंगले सन् 1890–1910

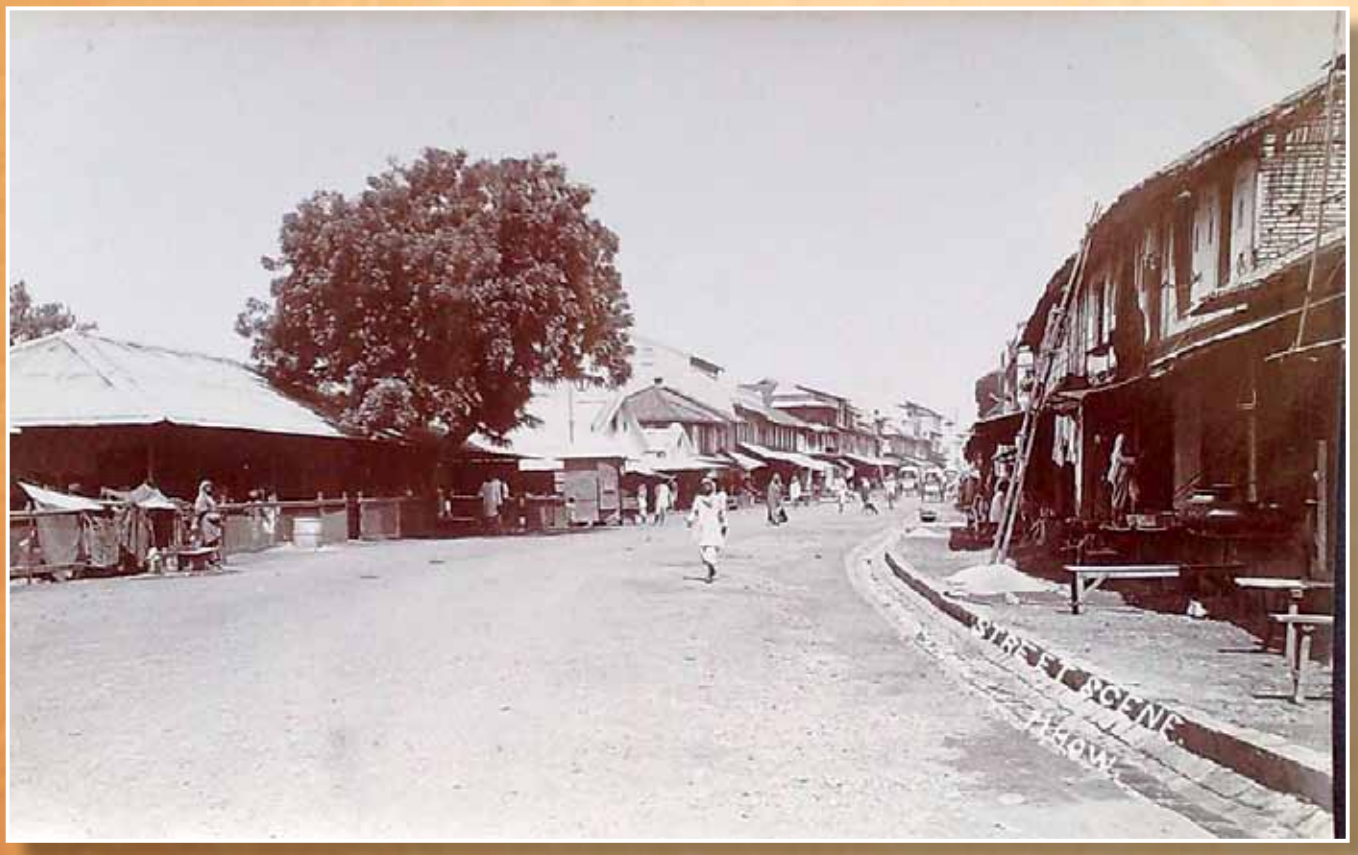

महू के बाजार का दृश्य सन् 1912

महू में बाबासाहेब की जन्मस्थली स्मारक का रात का दृश्य।

बाबासाहेब अपनी जन्मस्थली महू में सन् 1941 में अपने प्रियजनों के साथ एक यादगारी तस्वीर में।

महू में बाबासाहेब की जन्मस्थली स्मारक के अंदर का दृश्य।

एक महान अर्थशास्त्री जिसका जिक्र बहुत ही कम हुआ है

"डॉ. आंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं। उन्होंने आज जो कुछ भी हासिल किया है, उससे कहीं अधिक के वे हकदार हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अद्‌भुत है और हमेशा याद रखा जाएगा।" –डॉ. अमर्त्य सेन, नोबल पुरस्कार विजेता ने कहा है।

उनके आर्थिक विचार पारलौकिक नहीं थे। डॉ. आंबेडकर के मन में हमेशा यह बात थी कि उनके विचार समग्र रूप से राष्ट्र के हित में है। डॉ. आंबेडकर की विद्वता, जन आंदोलनों, सरकार और बाहर की भूमिका सदियों पुराने जाति–ग्रस्त, स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण समाज में सामाजिक समानता और सांस्कृतिक एकीकरण के निर्माण के माध्यम से एक लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माण की उनकी व्यापक दृष्टि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।

डॉ. आंबेडकर मूलरूप में उच्चकोटि के एक अर्थशास्त्री थे। उनके महान व्यक्तित्व के इस पहलु का जिक्र बहुत ही कम हुआ है। कोलंबिया युनिवर्सिटी से पीएच.डी. के उपरांत उन्होंने लंदन स्कूल आफ इकनॉमिक्स से 1923 में अर्थशास्त्र में पुनः डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉ आंबेडकर अर्थशास्त्र में पीएच. डी. करने वाले पहले भारतीय होने के साथ–साथ दक्षिणी एशिया उपमहाद्वीप पहले डबल डॉक्टरेट भी हैं। यह उपलब्धि दुर्लभ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्यों, वित्तीय प्रणाली और रुपये पर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मूल काम किए हैं। इस संबंध में उनके द्वारा किए तीन शोध कार्य प्रमुख हैं:

1. *एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी (एम०ए० का थीसिस)*
2. *द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया (पीएच०डी० थीसिस, 1917, प्रकाशन 1925)*
3. *द प्राब्लम आफ द रुपी : इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन (डी.एससी. थीसिस, प्रकाशन वर्ष 1923)*

हम में से बहुत कम लोगो को ही मालूम है कि उनका ***एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी*** में उन्होंने ब्रिटिश भारत शासन की विस्तृत आर्थिक आलोचना की है। इसमें तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह साबित किया कि ब्रिटिश शासन भारत की जनता की बर्बादी और गरीबी का वाहक है। ब्रिटिश शासन की सारी नीति भारत की धन संपदा को बाहर ले जाने के लिए बनी है। भारत के देसी औद्योगिक ढांचे को नष्ट करना और भारत को इंग्लैंड को कच्ची सामग्री देने वाला देश बनाना इसका उद्धेश्य रहा है। यही नहीं ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों की तुलना में भी भारत के साथ भेदभाव किया जा रहा था। भारत में मूलभूत आधारिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर खर्च कम करके ब्रिटेन के साम्राज्यवादी युद्धों के लिए सेना पर अधिक खर्चा करना इसकी एक प्रमुख नीति थी।

हम में से बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि उनका *'एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस आफॅ द ईस्ट इंडिया कंपनी'* में उन्होंने ब्रिटिश भारत शासन की विस्तृत आर्थिक आलोचना की है। इसमें तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह साबित किया कि ब्रिटिश शासन भारत की जनता की बर्बादी और गरीबी का वाहक है।

अपनी किताब ***'द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेज इन ब्रिटिश इंडिया' (1925)*** में उन्होंने केंद्र और प्रांतों के आर्थिक संबंधों की 1833 से 1921 तक की समीक्षा की, इसके लिए उन्होंने 1792 से आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया था। आधुनिक भारत की वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था, टैक्स के सिद्धांत, प्रांतीय राजस्व की समस्या और केंद्र–राज्य के अधिकार और रिश्तों पर यह महत्वपूर्ण कार्य है। उनकी इस विशेषज्ञता ने संविधान निर्माण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शोध कार्य में उन्होंने साबित किया कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन की टैक्स प्रणाली सिर्फ गरीब और किसानों पर राजस्व का भार डालती थी और जन कल्याण के बजाय जमींदारों, संभ्रांत तबके की जीवन शैली और ब्रिटिश शासन को पोषित करने के लिए निर्मित थी।

द प्राब्लम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन (1923)

इसमें उन्होंने 19वीं शताब्दी से भारतीय मुद्रा प्रणाली के विकास की विवेचना की। और भारत के लिए किस प्रकार की मुद्रा प्रणाली उपयुक्त है, इसका सुझाव रखा। उन्होंने मुद्रा के मूल्य की स्थिरता को अत्यंत आवश्यक माना और वित्तीय नीति के आय वितरण एवं विषमता पर होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला। उनका तर्क था कि सरकार की नोट छापने की शक्ति सीमित होनी चाहिए नहीं तो सरकारों को नोट छापकर रुपये के मूल्य को बर्बाद करने से रोका नहीं जा सकेगा। उनकी यह आशंका स्वतंत्रता के पश्चात और 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले के समय में सही साबित हुई जब सरकारी घाटे को

पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में छापे जा रहे नोटों से जनित मुद्रास्फीति से रुपये का मूल्य अस्थिर हो गया था।

कृषि की आर्थिक समस्या से संबंधित विषयों पर उन्होंने अधिक शोधपत्र नहीं लिखे थे, परंतु उनका 1918 का शोधपत्र आज भी सार्थक है। इसमें उन्होंने यह दिखाया था कि कैसे खेती की उत्पादकता सिर्फ जमीन और खेतों के आकार पर ही नहीं, बल्कि उत्पादन के अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं। इसीलिए कृषि में पूंजी निवेश की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में इस क्षेत्र में पूंजी निवेश गिरा है। परंतु यह कार्य आजादी के बाद ही हो पाया जब सत्तर के दशक में सरकार द्वारा कृषि में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, जिसका नतीजा हरित क्रांति के रूप में सामने आया।

उनका 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' का सिद्धांत, जिसे तीन दशक बाद नोबेल विजेता आर्थर लुइस ने प्रचारित किया

डॉ. आंबेडकर ने यह तर्क दिया था कि कृषि में जरूरत से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिनके होने या न होने से उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत है, जिसे आंबेडकर ने तभी चिन्हित कर दिया था, जबकि अर्थशास्त्र की मुख्यधारा में यह करीब तीन दशक बाद प्रचलित हुआ जब नोबेल विजेता आर्थर लुइस ने इसे प्रचारित किया। आंबेडकर के अनुसार इसका एक ही समाधान था–औद्योगिक। औद्योगिक ही कृषि में लगी अतिरिक्त श्रमिक आबादी को सार्थक रोजगार दे सकता है और उसे गरीबी से निकलने में सहायक होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी उनके इस सिद्धांत को पूरी तरह से सही दर्शाती है। डॉ. आंबेडकर का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रशासनिक स्तर पर तब हुआ जब वो वायसरॉय की काउंसिल के मेंबर बने। उन्होंने भारत की वित्तीय व्यवस्था से लेकर दामोदर, हीराकुंड जैसी नदी घाटी परियोजनाओं को बनाने

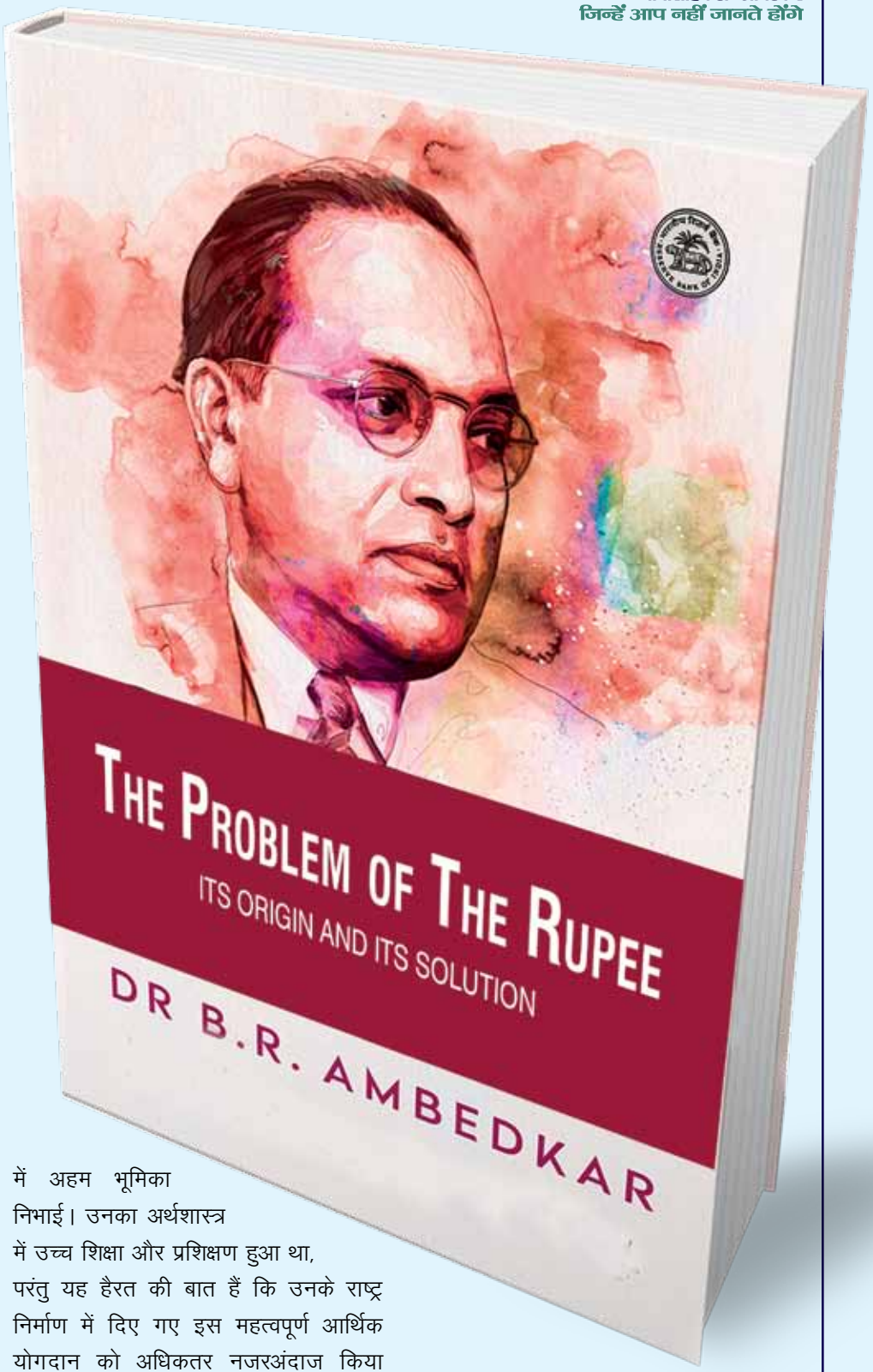

में अहम भूमिका निभाई। उनका अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण हुआ था, परंतु यह हैरत की बात हैं कि उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए इस महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान को अधिकतर नजरअंदाज किया गया है।

प्रस्तुति: श्री हीरा बल्लभ भट्ट
सलाहकार (राजभाषा)
मुख्यालय, नई दिल्ली

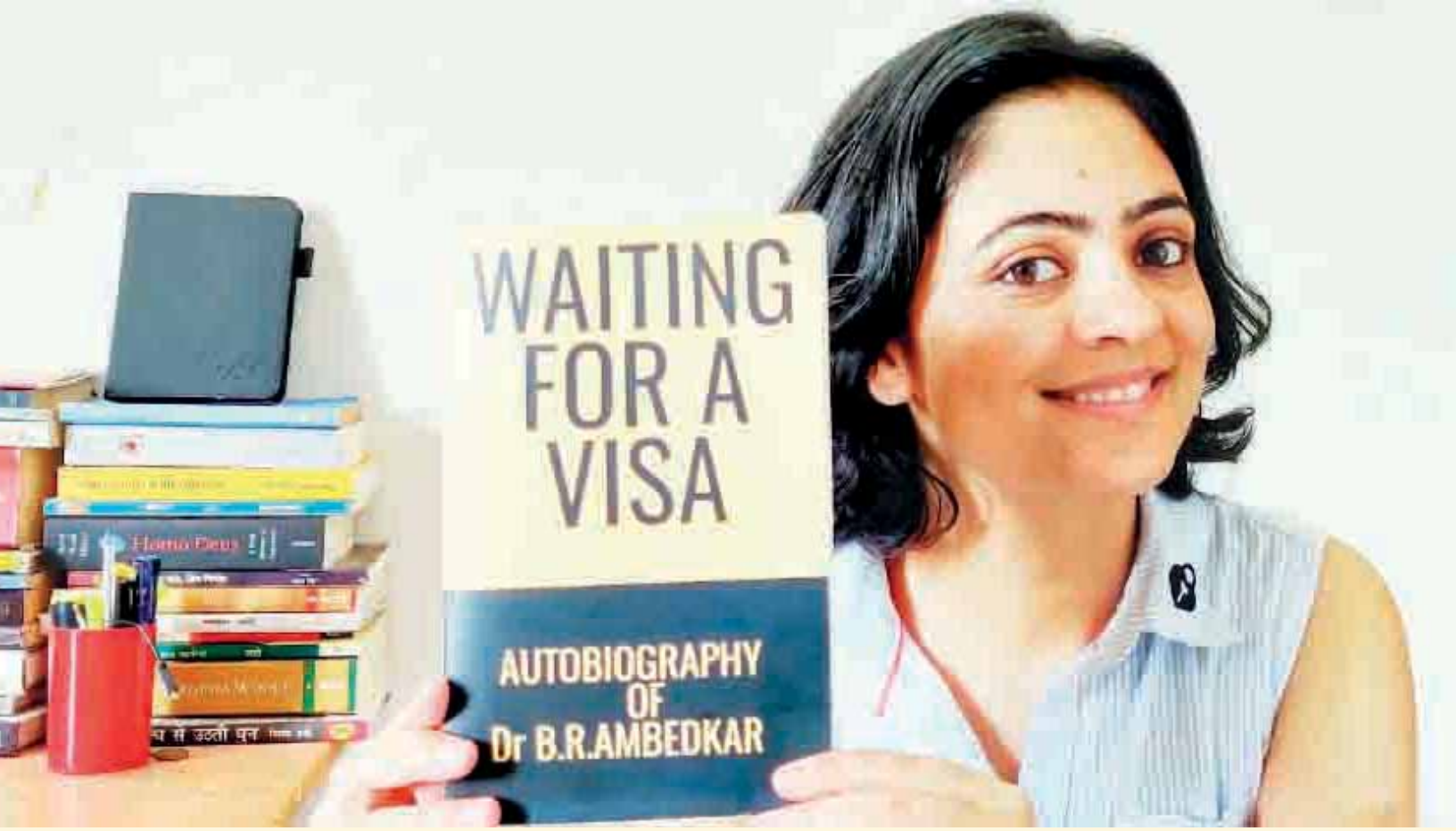

कोलंबिया युनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है डॉ. आंबेडकर की आत्मकथा: ‘वेटिंग फॉर ए वीजा’

डॉ. आंबेडकर की आत्मकथा जो उन्होंने 1935–36 में लिखी। यह कोलंबिया युनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। इस तथ्य और इस किताब के बारे में कम लोग ही जानते हैं।

डॉ. बी. आर. आंबेडकर की बहुत सारी किताबें, भले ही विश्वभर में उन किताबों की ख्याति महान और जरूरी किताबों के रूप में हो परंतु वे आज भी भारत में उपेक्षा का शिकार हैं। इसका सीधा कारण हमारे समाज का जातीय और वैचारिक पूर्वाग्रह ही हो सकता है। उनकी ऐसी ही एक किताब ***‘वेटिंग फॉर ए वीजा’*** है जो उनकी आत्मकथा है।

उनकी आत्मकथा छह हिस्सों में विभाजित है। पहले हिस्से में डॉ. आंबेडकर ने अपने बचपन की एक यात्रा का वर्णन किया। कैसे यह यात्रा अपमान की भयावह यात्रा बन गई थी। दूसरे हिस्से में उन्होंने विदेश से अध्ययन करके लौटने के बाद बड़ौदा नौकरी करने के लिए जाने और ठहरने की कोई जगह न मिलने की अपमानजनक पीड़ा का वर्णन किया है।

तीसरे हिस्से में शोषित वर्ग के गांवों में उत्पीड़न की घटनाओं को जानने के लिए भयावह घटनाक्रम को रखा है। चौथे हिस्से में दौलताबाद का किला देखने के लिए जाने और सार्वजनिक टैंक में पानी पीने के बाद के अपमान का वर्णन किया है। चौथे और पांचवें हिस्से में उन्होंने शोषित वर्ग के अन्य लोगों की अपमानजनक

‘वेटिंग फॉर ए वीजा’

यह **वसंत मून** द्वारा संपादित ***‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : राटिंग्स एंड स्पीचेज’, वाल्यूम–12*** में संग्रहित है। जिसे महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने 1993 में प्रकाशित किया। इसे ***पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी*** ने पुस्तिका के रूप में 19 मार्च, 1990 में प्रकाशित किया था। इसे डॉ. आंबेडकर ने 1935 या 1936 में लिखा था। ***कोलंबिया युनिवर्सिटी*** के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने के लिए और कक्षा में पढ़ाने के लिए बेहतर बनाने के उद्देश्य से **प्रोफेसर फ्रांसिस वी, प्रिटचेट** ने इसे संपादित किया है।

कहानी पर केंद्रित किया है। चौथे हिस्से में उन्होंने यह बताया है कि स्वर्ण डॉक्टर द्वारा एक शोषित वर्ग की महिला का इलाज करने से इंकार कर देने पर कैसे उसकी मौत हो जाती है। पांचवें हिस्से में उन्होंने एक शोषित वर्ग के कर्मचारी के जातिगत उत्पीड़न का वर्णन किया है। उसका उत्पीड़न इस कदर होता है कि वह सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है।

यह आत्मकथा मूलतः विदेशी लोगों के लिए विशेष तौर पर लिखी गई है, जो यह समझ ही नहीं पाते कि छूआछूत किस बला का नाम है और इसका परिणाम क्या होता है? डॉ. आंबेडकर ने आत्मकथा की शुरुआत में ही लिखा है कि 'विदेश में लोगों को छुआछूत के बारे में पता तो है लेकिन वास्तविक जीवन में इससे वास्ता न पड़ने के कारण, वे यह नहीं जान सकते कि दरअसल यह प्रथा कितनी दमनकारी है।

उन्होंने यह उदाहरणों के माध्यम से बताना बेहतर समझा। वो कहते हैं, "इन उदाहरणों में कुछ मेरे अपने अनुभव हैं तो कुछ दूसरों के अनुभव। मैं अपने साथ हुई घटनाओं के जिक्र से शुरुआत करता हूँ।"

कोरेगांव की यात्रा

सबसे पहले अपने जीवन की छुआछूत से जुड़ी तीन घटनाएं बताते हैं। पहली घटना वह 1901 की बताते हैं, जब उनकी उम्र करीब 10 वर्ष की थी। जब वे अपने भाई और बहन के बेटे के साथ सातारा से अपने पिता से मिलने कोरेगांव की यात्रा पर जाते हैं। अछूत समुदाय के होने के चलते इन बच्चों पर पूरी यात्रा के दौरान दुख और अपमान का कैसा कहर टूटता है, इसका वर्णन उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में किया है। इसे उन्होंने *'बचपन में दु:स्वप्न बनी कोरेगांव की यात्रा'* शीर्षक दिया है।

बड़ौदा का कड़वा सच

दूसरी घटना को उन्होंने *'पश्चिम से लौटकर आने के बाद बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली'* शीर्षक दिया है। उन्होंने लिखा, 'पश्चिम से मैं 1916 में भारत लौट आया। मुझे बड़ौदा नौकरी करने जाना था। यूरोप और अमरीका में पांच साल के प्रवास ने मेरे भीतर से ये भाव मिटा दिया था कि मैं अछूत हूं।

जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल हावी था कि मैं कहां जाऊं, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई तक परेशान था।

हिंदू होटल जिन्हें विशिष्ट कहा जाता था, को मैं पहले से ही जानता था। वे मुझे नहीं रखेंगे। वहां रहने का एकमात्र तरीका

> **"...जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल हावी था कि मैं कहां जाऊं, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई तक परेशान था।..."**

> **"... परंतु मेरी स्थिति अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था कोई गैर-अछूत नल ना खोले तब तक मेरे लिए प्यास बुझाना सम्भव ही नही था। ..."**

था कि मैं झूठ बोलूं। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था।' फिर उन्हें किन-किन अपमानों का सामना करना पड़ा और कैसे उनकी जान जाते-जाते बची इसका विस्तार से वर्णन किया है।

चालिसगांव में आत्मसम्मान, गंवारपन और गंभीर दुर्घटना

तीसरी घटना का वर्णन उन्होंने *'चालिसगांव में आत्मसम्मान, गंवारपन और गंभीर दुर्घटना'* शीर्षक से किया है। वे लिखते हैं कि 'यह बात 1929 की है। मुंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर तालुका में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी। इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्य को खंडेश के दो जिलों में जाने का कार्यभार मिला।' इस जांच के सिलसिले में उन्हें

'वेटिंग फॉर ए वीजा'

1935–36 के दरमियान लिखी गई उनकी ये 20 पृष्ठों की एक आत्मकथा है। यह उनके द्वारा हस्तलिखित है जिसमें उन्होंने उन घटनाओं और तल्ख़ तजुर्बो का बयान किया है जिनमें उनको अस्पृश्यता का कटु अनुभव हुआ था।

किन हालातों का सामना करना पड़ा और इस इलाके में दलितों की कितनी दयनीय स्थिति थी। इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने किया है।

दौलताबाद के किले का पानी

चौथी घटना का वर्णन उन्होंने *'दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना'* शीर्षक से किया है। वे लिखते हैं, "यह 1934 की बात है, दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने को कहा। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम वेरूल की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। यह तय किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहां पर बाकी लोग मेरे साथ हो लेंगे। वेरूल जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था। यह हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में आता था।"

डॉ. आंबेडकर लिखते हैं, "औरंगाबाद के रास्ते में हमें पहले दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना भी शामिल कर लिया।" दौलताबाद किले में प्यासे आंबेडकर और उनके साथियों ने पानी पी लिया। इसका क्या हश्र हुआ और कैसे जान जाने की नौबत आ गई। इस घटना का भी विस्तार से वर्णन किया है।

डॉक्टर का इलाज से जवाब देना और एक जवान का नौकरी छोड़ना

छठी और सातवीं घटना अन्य दलित स्त्री–पुरुष से जुड़ी हुई है। जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं–'डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई' और 'गाली–गलौज और धमकियों के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी'।

अपमानों की व्यापकता का कैंसर

'वेटिंग फॉर ए वीजा' में उन्होंने बचपन से लेकर 1934–35 तक के अपने अपमानों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, जो अपमान उन्हें तथाकथित नीची जाति में पैदा होने के चलते झेलना पड़ा।

वे लिखते हैं,

"स्कूल में मुझे पता था कि प्यास लगने पर, गैर–अछूत वर्ग के बच्चे, पानी के नल के पास जा सकते हैं, उसे खोल सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं...परंतु मेरी स्थिति अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था कोई गैर–अछूत नल ना खोले तब तक मेरे लिए प्यास बुझाना सम्भव ही नही था।"

यह अपमान सिर्फ हिंदू धर्म के अनुयायियों ने ही नहीं किया, पारसियों और इसाईयों ने भी किया था। भारत में मुसलमान, पारसी और क्रिश्चियन सुमदायों में भी किस कदर जातिवाद का जहर फैला हुआ था, इसका पता किसी को भी आंबेडकर की यह आत्मकथा पढ़ कर चल सकता है। पूरे भारतीय जन की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले डॉ. आंबेडकर को लंबे समय तक उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों आंबेडकर की आत्मकथा उपेक्षा का शिकार रही, और यह अभी भी है। शायद यह कड़वे समय का सच था और यह अभी भी किसी न किसी बदले हुए रूप में जिंदा है।

प्रस्तुतिः के. एस. रामुवालिया
प्रधान निदेशक

शुभेच्छु

जिनका डॉ. आंबेडकर की जिंदगी में रहा अहम रोल

*बड़ौदा के **महाराज सयाजीराव गायकवाड़ (तृतीय)** जिन्होंने (बाबासाहेब) युवा डॉ. भीमराव आंबेडकर को विदेश पढ़ाई के लिए प्रतिमाह 11.50 पौंड तीन साल के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी। (1913) उससे पहले कॉलेज में पढ़ाई के लिए भी 25 रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी थी। (1908)*

मूकनायक से महानायक

मार्च 1920 में डॉ. आंबेडकर ने डिपरैसड क्लास्स की कांफ्रेंस कोल्हापुर में मनंगांव में आयोजित की जिसमें कोल्हापुर के महाराजा साहूजी में उपस्थित होकर कहा कि डॉ. आंबेडकर के राष्ट्रीय नेता होंगे। इस कांफ्रेंस की समाप्ति पर महाराजा साहूजी ने डॉ. आंबेडकर और उनके अनुयायियों के साथ भोजन लिया था।

–धनंजय कीर, पृष्ठ 42

*साहूजी महाराज, कोल्हापुर जिनकी मदद से डॉ. आंबेडकर ने **'मूक नायक'** (1920) साप्ताहिक समाचार शुरू किया था।*

दीक्षा भूमि नागपुर और संविधान की मूल प्रति

नागपुर स्थित दीक्षा भूमि को "धम्म चक्र स्तूप" के नाम से भी एक पवित्र स्मारक माना जाता है। इस को बनाने में 23 साल लग गए थे और 18 दिसंबर 2001 को इसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ.. के. आर. नारायणन ने राष्ट्र को समर्पित किया था।

भारत के संविधान की असली प्रति

अगर आप ने भारत के संविधान की असली प्रति आज तक नही देखी है तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भारत के संविधान की असली ड्राफ्ट प्रति रखी गयी है। जिस संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ आंबेडकर ने दिन रात एक कर दिया था। इसको देखने के लिए तांता लगा रहता है। संविधान की मूल पांडुलिपि 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी है। यह हाथ से चर्मपत्र की शीटों पर लिखा गया था और इसकी पांडुलिपि में 251 पृष्ठ हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति को लिथोग्राफी में संकलित किया गया है और इसमें सुनहरे–पॉलिश अक्षर हैं। इसमें 395 आर्टिक्ल्स और 285 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉ बी आर आंबेडकर के हस्ताक्षर तो शामिल हैं ही।

भारत के संविधान की एक और असली प्रति संसद के केंद्रीय पुस्तकालय में रखी गयी है और जानकारी अनुसार एक अन्य मूल प्रति सारदा विलास शैक्षणिक संस्थान, मैसूर के पास है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं।

संविधान छपा नहीं था बल्कि हस्तलिखित था। संविधान लिखने का काम सुलेखक **प्रेम बिहारी नारायण रायजादा** को दिया गया था। उन्होंने अपने काम के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया। **प्रेम फाउंडेशन** के अनुसार पूरी प्रक्रिया के दौरान 432 **पेन–होल्डर निब** का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने इस सुलेख के लिए **नंबर 303 निब** का इस्तेमाल किया। लिखने के लिए उन्हें 'कांस्टीट्यूशन हॉल' में एक कमरा आवंटित किया गया था जिसे बाद में 'कॉन्स्टीट्यूशन क्लब' के नाम से जाना जाने लगा। संविधान में **प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस** द्वारा बनाए गए चित्र भी हैं। इसमें ऐतिहासिक महाकाव्यों, ऐतिहासिक शख्सियतों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम आदि के चित्र शामिल हैं। तैयार पांडुलिपि का वजन 13 किलो था। इस पांडुलिपि पर 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

बाबासाहेब का टाइपराइटर जिस पर सम्भवतः संविधान का मसौदा तैयार किया गया।

वह कलम जिससे डॉ. आंबेडकर संविधान पर हस्ताक्षर करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने नारंगी रंग के विल्सन इंक पेन का इस्तेमाल किया था।

संविधान की प्रतियों के लिए उपचारित शत प्रतिशत सूती कपड़े से बने, स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज के लिए आपूर्ति किए जाने वाले कागज **हस्तनिर्मित कागज संस्थान** (HMP)

पुणे में हस्तनिर्मित किए गए थे। 90 से 110 जीएसएम बॉन्ड पेपर को इसकी ''गुणवत्ता'' और स्थायित्व के लिए चुना गया था। यह 100 से अधिक वर्षों तक खराब नहीं होता।

संविधान के प्रमुख संस्थापक

संविधान कहो और पहली छवि जो दिमाग के सामने आती है, वह डॉ बी. आर. आंबेडकर की है जो संविधान सभा की **'मसौदा समिति'** के प्रमुख थे। जबकि भारत के संविधान के लेखक डॉ. भीमराव आंबेडकर थे, वहीं संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी इस दस्तावेज के निर्माण में अहम योगदान दिया।

भारतीय संविधान के प्रमुख जनक जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद आदि तो सभी जानते ही हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे हम ज्यादा नही जानते। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण प्रमुख यह हैं –

1. **बेनेगल नरसिंह राव:** अपने समय के सबसे प्रख्यात न्यायविद।
2. **सैयद मोहम्मद सादुल्ला:** असम का प्रतिनिधित्व। वह संचालन और प्रारूपण समितियों के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे।
3. **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा:** एक प्रख्यात कांग्रेसी व्यक्ति,
4. **एम. ए. अय्यंगार:** उन्होंने मद्रास का प्रतिनिधित्व किया और संचालन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे।
5. **एन गोपालस्वामी आयंगर:** एक सक्षम प्रशासक, अय्यंगार नियमों, व्यवसाय, प्रारूपण और कई अन्य समितियों के सदस्य थे।
6. **अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** एक उच्च विद्वान अधिवक्ता जो तीन बार मद्रास के महाधिवक्ता थे। उनके लिए ऐसा सम्मान और विस्मय था कि उनके कुछ शब्दों को संविधान में शब्दशः शामिल किया गया था।
7. **जी. दुर्गाबाई:** पेशे से वह एक आपराधिक मामलों की वकील और एक नारीवादी थी। वह संचालन और नियम समितियों की सदस्य थीं।
8. **टी. टी. कृष्णमाचारी:** मद्रास के एक प्रतिनिधि, वे मसौदा समिति के सदस्य भी थे।

सर बेनेगल नरसिंह राव संविधान निर्माण में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। शोध के लिए उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड की यात्रा की। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया।

संविधान मसौदा समिति के सदस्य

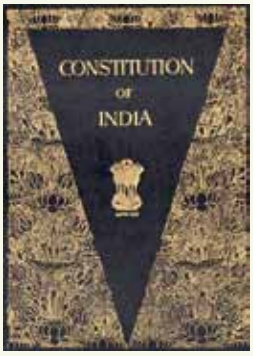

प्रेम बिहारी संविधान की हस्तलिखित प्रति तैयार करते हुए।

डॉ बी.आर. आंबेडकर ने इन शब्दों में उनकी प्रशंसा की–"मुझे जो श्रेय दिया जाता है, वह वास्तव में मेरा नहीं है। यह आंशिक रूप से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राऊ का है, जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक रफ मसौदा तैयार किया था।"

एक अन्य प्रमुख व्यक्तित्व श्री एस एन मुखर्जी नामक सिविल अधिकारी थे, जो संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। उनके सम्मान में बाबासाहेब ने कहा था – ''संविधान के मुख्य ड्राफ्ट्समैन श्री एस. एन. मुखर्जी को श्रेय का अधिक से अधिक हिस्सा जाना चाहिए। सबसे जटिल प्रस्तावों को सबसे सरल और स्पष्ट कानूनी रूप में रखने की उनकी क्षमता की शायद ही कभी बराबरी की जा सकती है, न ही उनकी कड़ी मेहनत की क्षमता।"

कैसे हुई नागपुर में धम्म दीक्षा

14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में दीक्षाभूमि पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा ली गई बुद्ध धर्म की दीक्षा देश की सबसे बड़ी ऐसी क्रांति कहलाई जो कि रक्त–विहिन थी। इस जगह पर आभार और श्रद्धा सुमन भेंट करने हर साल लाखों लोग देश–विदेश से आते हैं।

आप जानते हैं कि डॉ आंबेडकर का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने 1935 में घोषणा की थी कि उनकी मृत्यु से पहले वह जाति व्यवस्था को छोड़ना चाहते हैं। इस ऐलान के समय उन्होंने दुनिया की कई धार्मिक परंपराओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि उसमें इंसानी ऊंच–नीच की कोई मान्यता नही थी।

1956 में बौद्ध धर्म 2550 साल पुराना था इसलिए इसे मनाने के लिए यह एक महान आंदोलन था। 14 अक्टूबर महान भारतीय सम्राट और बौद्ध धर्म के संरक्षक सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण की पारंपरिक तिथि थी। इस दिन को अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है।

इस प्रकार 14 अक्टूबर 1956 को डॉ आंबेडकर और उनकी पत्नी डॉ सविता आंबेडकर ने कुशीनगर से बर्मा के भिक्षु महास्थवीर चंद्रम से तीन ज्वेल्स और पांच उपदेशों की शपथ ली। इसके बाद डॉ. आंबेडकर के लाखों अनुयायियों ने स्वेच्छा से शपथ ली। यह संख्या अलग–अलग अनुमान अनुसार पाँच छः लाख से कम नही थी। यह आयोजन भारतीय समाज सुधारक आंदोलनों में एक मील पत्थर माना जाता है जिसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने शुरू किया था।

समारोह के डेढ़ महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉ आंबेडकर का दिल्ली में महापरिनिर्वाण हुआ था। समिति ने इस आयोजन को मनाने के लिए बौद्ध धर्म के लोगों के सामूहिक धर्मांतरण पर स्तूप बनाने का फैसला किया था। दीक्षा भूमि नागपुर उस समय शहर से लगने वाली 5 किमी दूरी पर दक्षिण–पश्चिम में स्थित थी। वर्तमान में यह स्थान शहर आगे फैलने से शहर के अंदर आ गया है।

दीक्षाभूमि, तब सीपी एंड बेरार की नजूल की जगह थी। वैक्सिन इंस्टिट्यूट ने यह जगह चारागाह के लिए आरक्षित रखी थी। दीक्षा समारोह के लिए सभी को यह जगह पसंद आई। तत्कालीन राजस्व मंत्री भगवंतराव मंडलोई से यह जगह देने का निवेदन किया गया। सरकार ने एक आदेश जारी कर 14 एकड़ भूमि दीक्षा समारोह के लिए दी थी।

नागपुर में धम्म दीक्षा समारोह होगा, यह निश्चित नहीं था। समारोह के लिए बाबासाहेब की सूची में दिल्ली, मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद शहर शामिल थे। परंतु नागपुर ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की और उस पर नागपुर खरा उतरा।

शुरू से ही भेदभाव का शिकार हुए थे आंबेडकर

बचपन से ही आंबेडकर को लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा और इसका कारण उनकी जाति जो सबसे नीचे गिनी जाती थी। 1901 में जब वो अपने पिता से मिलने सतारा से कोरेगाँव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इंकार कर दिया. दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि नौ साल के आंबेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा।

1945 में वायसराय की काउंसिल के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव आंबेडकर ओडिशा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

उसी वर्ष जब वो कोलकाता में मेहमान के तौर पर एक शख़्स के यहां गए तो उसके नौकरों ने ये कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इंकार कर दिया कि वो नीची जाति से हैं।

14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में दीक्षाभूमि पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (ए. आई. द्वारा) रंगीन चित्रण

उनके जीवन के हर कदम पर इस तरह की अनगिनत भेदभाव और जलील करने वाली घटनाएँ थीं जो कम होने या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। यहाँ इंसान से इंसान का व्यवहार बराबरी वाला न होकर उसकी ऊंची या छोटी तथाकथित मैन–मेड जाति पर आधारित हो, ऐसे समाज से किनारा करना ही सही है। सम्भवतः यही सब कारण थे जिनकी वजह से वो पहला धर्म छोड़ कर बौद्ध मत के अनुयाई बने।

14 अक्टूबर, 1956 सुबह 9 बजे ली दीक्षा

दीक्षा समारोह के लिए बाबासाहेब, माईसाहब सविता आंबेडकर, सचिव नानकचंद रत्तू के साथ 11 अक्टूबर को नागपुर पहुंच गए थे। कार्यकर्ताओं ने इनके रहने की व्यवस्था शहर के प्रसिद्ध श्याम होटल में की थी। 11 से 14 अक्टूबर तक यहां अनेक बैठकों का दौर चला और अनेक योजनाएं बनीं। 14 अक्टूबर की सुबह ठीक दीक्षा समारोह से पहले बाबासाहेब, माईसाहब और उनके सचिव एक विशेष कार में बैठकर दीक्षाभूमि की ओर रवाना हुए। कार सीधे स्टेज के पास रुकी। इसके बाद ठीक 9 बजे बाबासाहेब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। इनके साथ लगभग पांच से छः लाख लोगों ने धर्मांतरण किया। ऐसा शांतमय धर्मातरण मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था इसलिए यह देश की सबसे बड़ी रक्त–विहिन क्रांति कहलाई।

बाबासाहेब ने कहा था, ***''सकारात्मक रूप से, मेरे सामाजिक दर्शन को तीन शब्दों में निहित कहा जा सकता हैः स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फिर भी कोई यह न कहे कि मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से उधार लिया है। मैंने नहीं लिया। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं न कि राजनीति विज्ञान में। मैंने उन्हें अपने गुरु, बुद्ध की शिक्षाओं से प्राप्त किया है''***

प्रस्तुतिः परमजीत सिंह,
एलएलबी, मास्टर ऑफ सोश्ल वर्क,
274, मोहल्ला महिताबगढ़,
जिला कपूरथला–144601

14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में दीक्षाभूमि पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा ली गई बुद्ध धर्म की दीक्षा की कुछ यादगार तस्वीरों का (ए. आई. द्वारा) रंगीन चित्रण

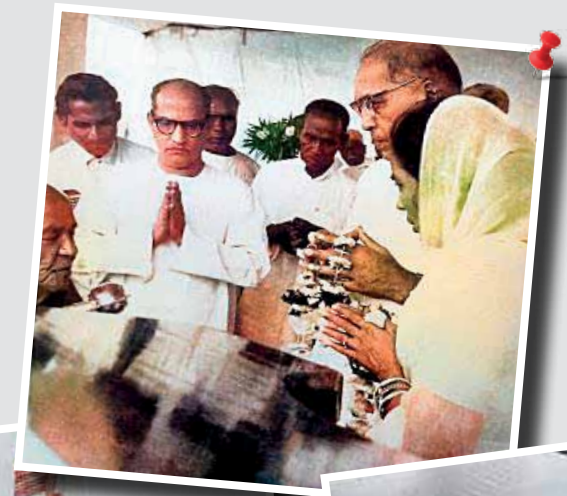

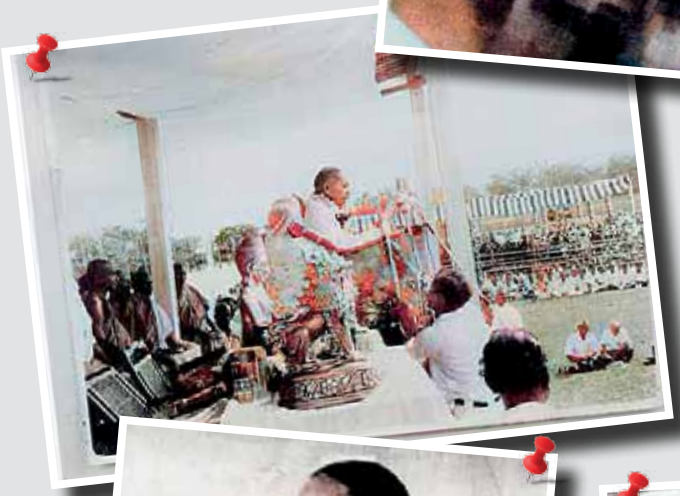

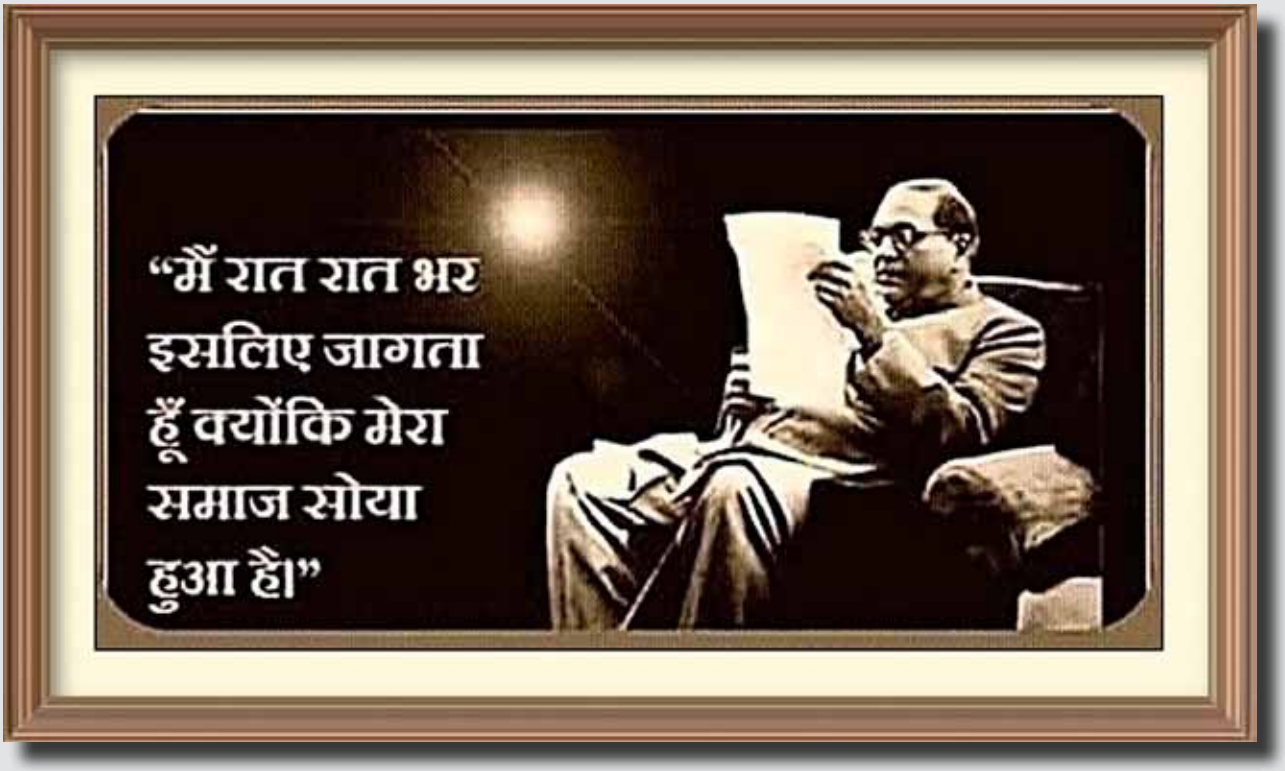

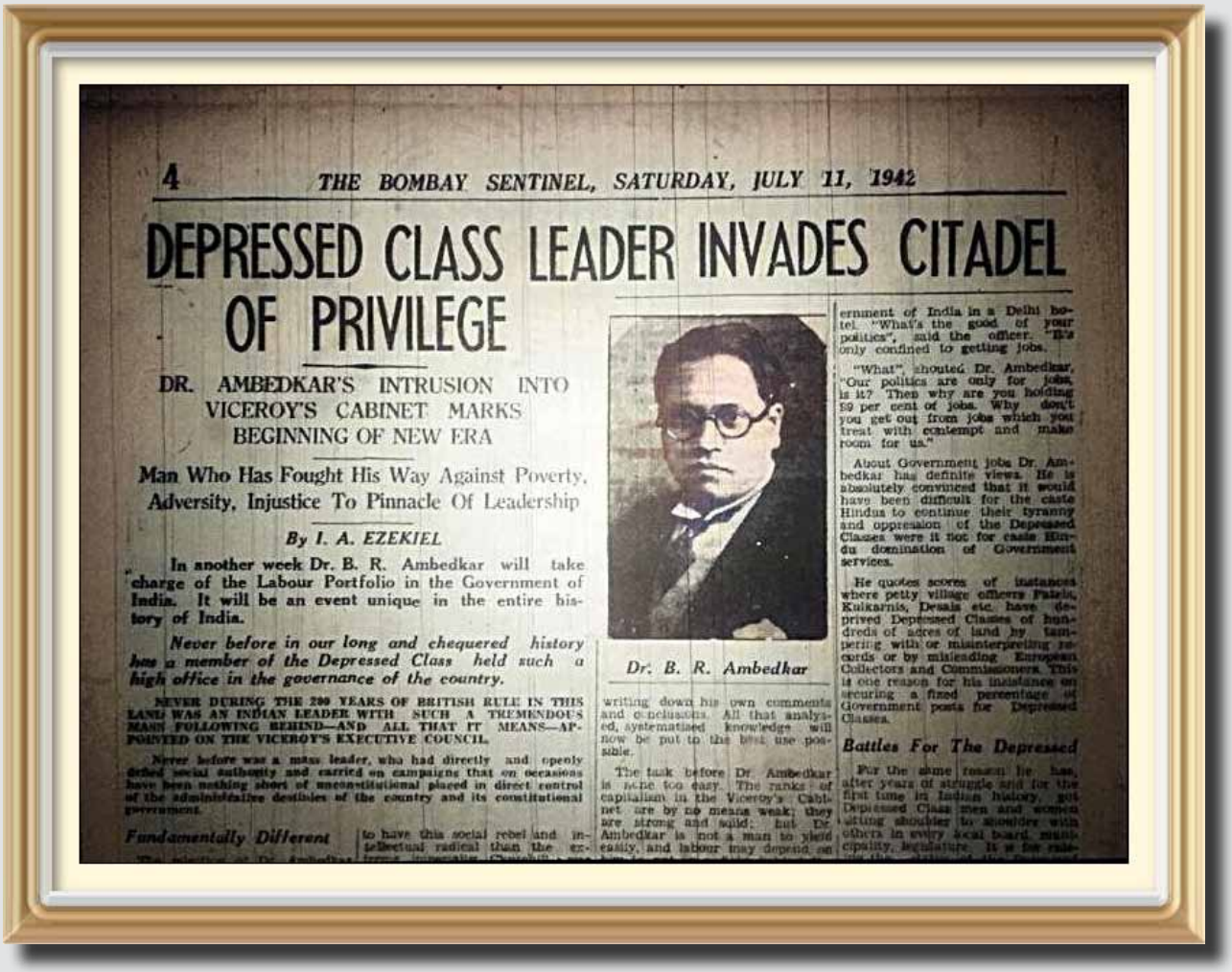

4 THE BOMBAY SENTINEL, SATURDAY, JULY 11, 1942

DEPRESSED CLASS LEADER INVADES CITADEL OF PRIVILEGE

DR. AMBEDKAR'S INTRUSION INTO VICEROY'S CABINET MARKS BEGINNING OF NEW ERA

Man Who Has Fought His Way Against Poverty, Adversity, Injustice To Pinnacle Of Leadership

By I. A. EZEKIEL

In another week Dr. B. R. Ambedkar will take charge of the Labour Portfolio in the Government of India. It will be an event unique in the entire history of India.

Never before in our long and chequered history has a member of the Depressed Class held such a high office in the governance of the country.

NEVER DURING THE 200 YEARS OF BRITISH RULE IN THIS LAND WAS AN INDIAN LEADER WITH SUCH A TREMENDOUS MASS FOLLOWING BEHIND—AND ALL THAT IT MEANS—APPOINTED ON THE VICEROY'S EXECUTIVE COUNCIL.

Never before was a mass leader, who had directly and openly defied social authority and carried on campaigns that on occasions have been nothing short of unconstitutional placed in direct control of the administrative destinies of the country and its constitutional government.

Fundamentally Different

to have this social rebel and intellectual radical than the ex-

Dr. B. R. Ambedkar

writing down his own comments and conclusions. All that analysed, systematised knowledge will now be put to the best use possible.

The task before Dr. Ambedkar is none too easy. The ranks of capitalism in the Viceroy's Cabinet are by no means weak; they are strong and solid; but Dr. Ambedkar is not a man to yield easily, and labour may depend on

ernment of India in a Delhi hotel. "What's the good of your politics", said the officer. "It's only confined to getting jobs.

"What", shouted Dr. Ambedkar, "Our politics are only for jobs, is it? Then why are you holding 99 per cent of jobs. Why don't you get out from jobs which you treat with contempt and make room for us."

About Government jobs Dr. Ambedkar has definite views. He is absolutely convinced that it would have been difficult for the caste Hindus to continue their tyranny and oppression of the Depressed Classes were it not for caste Hindu domination of Government services.

He quotes scores of instances where petty village officers Patels, Kulkarnis, Desais etc. have deprived Depressed Classes of hundreds of acres of land by tampering with or misinterpreting records or by misleading European Collectors and Commissioners. This is one reason for his insistance on securing a fixed percentage of Government posts for Depressed Classes.

Battles For The Depressed

For the same reason he has, after years of struggle said for the first time in Indian history, got Depressed Class men and women sitting shoulder to shoulder with others in every local board, municipality, legislature. It is for rule-

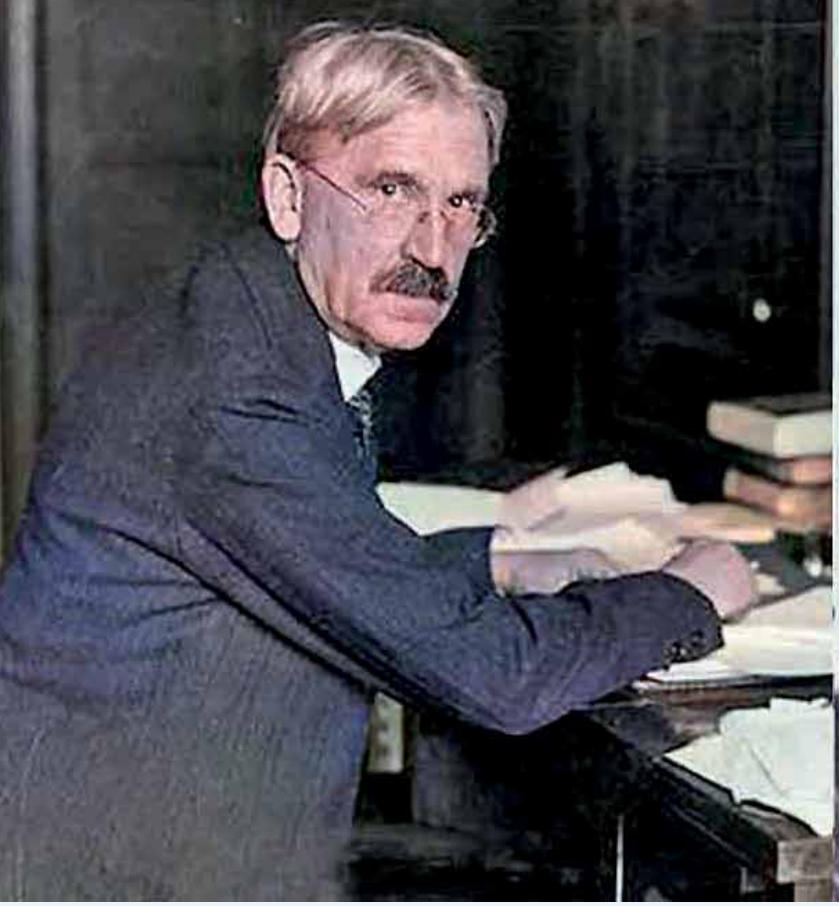

क्या था महान अमेरिकी प्रोफेसर जॉन डेवी और डॉ. आंबेडकर का कनेक्शन?

प्रो. जॉन डेवी (1859-1952) वो महान दार्शनिक जिसने आंबेडकर को पढ़ाया

रॉबर्ट आर. स्ट्राउड, ***युनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ऑस्टिन, अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी में एक एसोशिएट प्रोफेसर हैं।*** वे अपने रिसर्च पेपर, *"आंबेडकर पर जॉन डेवी और टफ्ट्स की किताब ''एथिक्स'' **"Ethics"** (1908) का प्रभाव"* में 'विल्सन हाई स्कूल' के शिक्षक केलुस्कर की भूमिका पर लिखतें हैं–

"कृष्णा अर्जुन केलुस्कर, *महाराष्ट्र के एक सुधारक और बंबई के विल्सन हाई स्कूल के शिक्षक, जिन्होंने एलफिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ते समय युवा आंबेडकर से मित्रता की। संभवतः, उन्होंने* **जॉन डेवी और टफ्ट्स** *द्वारा लिखित पुस्तक "एथिक्स" (Ethics) को आंबेडकर को दिया है।*

"केलुस्कर ने आंबेडकर की शिक्षा के शुरुआती दिनों में उन्हें पसंद किया था। उन्होंने पहले युवा भीमराव को एक सार्वजनिक उद्यान में स्कूल के आँगन में बदमाश बच्चों से पीछा छुड़ाते हुए पाया। ऐसा लगता है कि उनका यह प्रारंभिक संपर्क 1904 या 1905 के आसपास हुआ था। केलुस्कर ने आंबेडकर को अपने निजी पुस्तकालय तक पहुंच प्रदान की और अक्सर उन्हें किताबें पढ़ने को दीं।"

स्ट्राउड आगे लिखते हैं, *"केलुस्कर भी 1907 में आंबेडकर के स्नातक समारोह में एक केंद्रीय व्यक्ति थे, जिन्होंने युवा आंबेडकर की उपलब्धि के सम्मान में अपनी ही लिखित एक पुस्तक, "लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध" की एक प्रति दी। केलुस्कर ने बड़ौदा के गायकवाड़ से 1913–1916 के दौरान बॉम्बे के एलफिंस्टन कॉलेज और अंततः कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी बाद की शिक्षा के लिए आंबेडकर को धन प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।"*

"यदि ऐसा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि 1914 में कोलंबिया में अर्थशास्त्र और

कोलंबिया युनिवर्सिटी कैंपस

राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय पहली बार उनके दर्शनशास्त्र की कक्षाओं में जाने से पहले ही आंबेडकर अपने महान शिक्षक जॉन डेवी के बारे में जानते थे।"

स्कॉट आर. स्ट्राउड की **आने वाली एक महत्वपूर्ण किताब, *"द एवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया: आंबेडकर, डेवी, एंड द रेहटोरिक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन" (शिकागो युनिवर्सिटी प्रेस, 2023),*** भीमराव आंबेडकर की डेवेन व्यावहारिकता के साथ जुड़ाव की कहानी बताती है और यह बताती है कि कैसे इसने सामाजिक खोज में उनके अभिनव प्रभावपूर्ण शब्दावली को आकार दिया।

कोलंबिया युनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन डेवी की व्यावहारिकता (Pragmatism) का प्रभाव

जून 1913 में आंबेडकर ने एक युवा और उत्सुक स्कॉलर के रूप में कोलंबिया युनिवर्सिटी के उदार वातावरण में कदम रखा। युनिवर्सिटी के महान बुद्धिजीवियों से उन्होने गहरा ज्ञान हासिल किया परंतु उनमें से जॉन डेवी (1859–1952) ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी।

उन्होंने 1913–1916 में कोलंबिया युनिवर्सिटी में अपनी अधिकांश शिक्षा प्राप्त की, और यह समय उनके लिए बहुत ही रचनात्मक था। **कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि बाबासाहेब आंबेडकर के अमेरिकी शिक्षक, जॉन डेवी उनके सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे।**

कौन थे प्रोफेसर जॉन डेवी 1859-1952)

वह एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षक, जो व्यावहारिकता के रूप में जाने वाले दार्शनिक आंदोलन के सह–संस्थापक थे, कार्यात्मक मनोविज्ञान में अग्रणी, लोकतंत्र के एक अभिनव सिद्धांतकार और संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा में प्रगतिशील आंदोलन के नेता थे। अतः वो व्यावहारिक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक थे, जिनके विचार शिक्षा और सामाजिक सुधारों में प्रभावशाली रहे हैं। वह 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में सबसे प्रमुख अमेरिकी विद्वानों में से एक थे। लोकतंत्र पर उनके काम ने डॉ बी.आर. आंबेडकर को प्रभावित किया था।

अमेरिकी शिक्षक, जॉन डेवी का प्रभाव

एलेनोर जेलियट का तर्क है कि "ऐसा लगता है कि जॉन डेवी का आंबेडकर पर सबसे अधिक प्रभाव था।" एलेनोर जेलियट (1926 – 2016) एक अमेरिकी लेखक, कार्लटन कॉलेज की प्रोफेसर और भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, सामाजिक आंदोलनों के इतिहास की विशेषज्ञ थी। **एलेनोर जेलियट, एक ऐसी शिक्षक और इतिहासकार जिसने पश्चिम को आंबेडकर और उनके आंदोलन के बारे में बताया।**

वह आंबेडकर पर "डॉक्टरेट थीसिस" को लिखने वाली पहली विद्वान थीं। उसकी 1960 के दशक के उत्तरार्ध में लिखी किताब ***"आंबेडकर की दुनिया: द मेकिंग ऑफ बाबासाहेब एंड द दलित मूवमेंट"*** इतिहासकार के दृष्टिकोण से आंबेडकर के जीवन और दलित आंदोलन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत

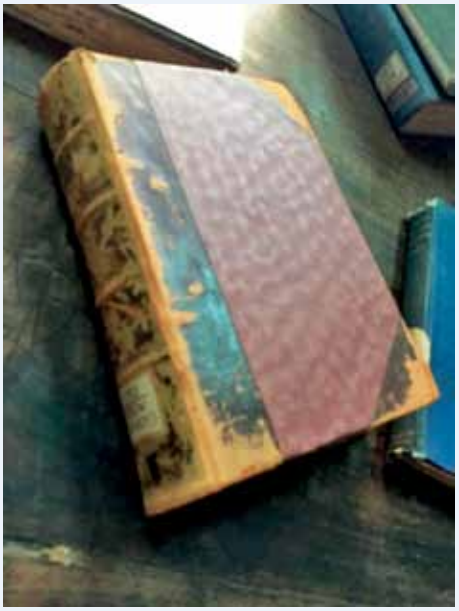

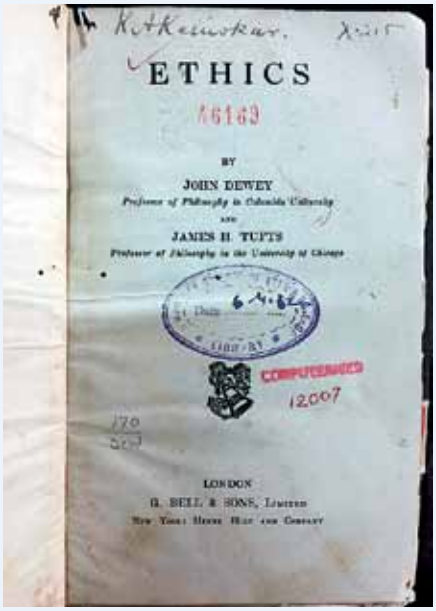

कृष्णा अर्जुन केलुस्कर, *महाराष्ट्र के एक सुधारक और मुंबई (बंबई) के विल्सन हाई स्कूल के शिक्षक, जिन्होंने एलफिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ते समय युवा आंबेडकर से मित्रता की। संभवत:, उन्होंने* **जॉन डेवी और टफ्ट्स** *द्वारा लिखित पुस्तक* ***"एथिक्स" (Ethics) 1908*** *को आंबेडकर को दिया है। इस किताब के पहले पृष्ठ पर केलुस्कर का नाम लिखा हुआ है।*

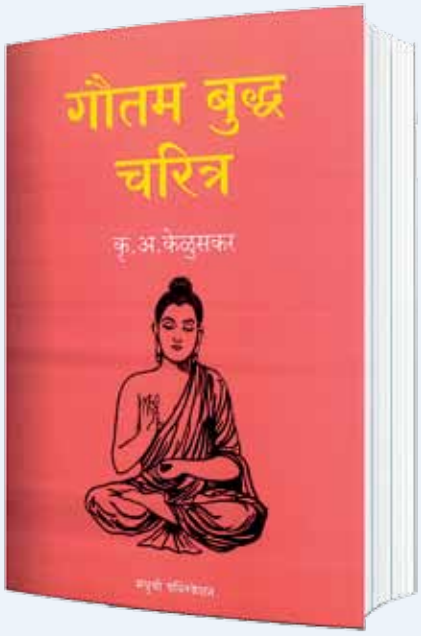

केलुस्कर 1907 में आंबेडकर के स्नातक समारोह में एक केंद्रीय व्यक्ति थे, जिन्होंने युवा आंबेडकर की उपलब्धि के सम्मान में अपनी ही लिखित एक पुस्तक, ***"लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध"*** *की एक प्रति दी। केलुस्कर विल्सन हाई स्कूल के टीचर थे।*

स्कॉट आर. स्ट्राउड, युनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ऑस्टिन, अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी के एसोशिएट प्रोफेसर हैं।

एलफिंस्टन हाई स्कूल का एक पुराना ऐतिहासिक चित्र

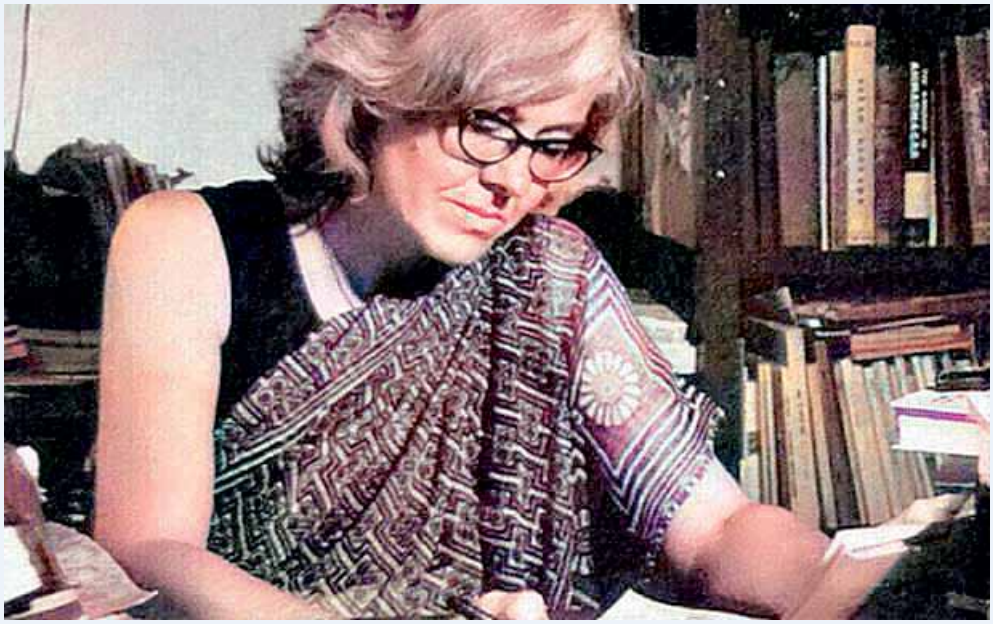

एलेनोर जेलियट (1926 – 2016) वह अमेरिकी लेखक, कार्लटन कॉलेज की प्रोफेसर और भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, सामाजिक आंदोलनों के इतिहास की विशेषज्ञ थी।
एलेनोर जेलियट, एक ऐसी शिक्षक और इतिहासकार जिसने पश्चिम को आंबेडकर और उनके आंदोलन के बारे में बताया।
वह आंबेडकर पर "डॉक्टरेट थीसिस" को लिखने वाली पहली विद्वान थीं। उसकी 1960 के दशक के उत्तरार्ध में लिखी किताब *"आंबेडकर की दुनिया: द मेकिंग ऑफ बाबासाहेब एंड द दलित मूवमेंट"* इतिहासकार के दृष्टिकोण से विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

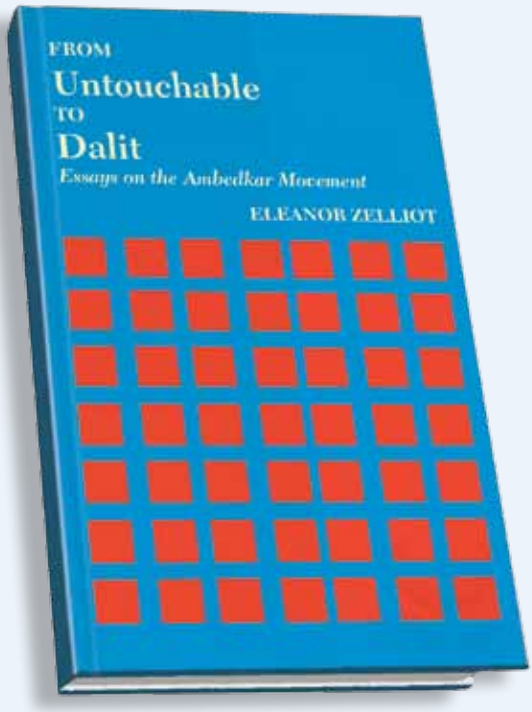

1992 में प्रकाशित एलेनोर जेलियट की मौलिक पुस्तक *"फ्रॉम अनटचेबल टू दलित: एसेज ऑन आंबेडकर मूवमेंट"* है।

इस पुस्तक को पढ़े बिना आंबेडकर को समझना अधूरा है। अगर कोई यह समझना चाहता है कि आज का भारत क्या है, तो उसे आंबेडकर को समझना होगा। और किसी ने भी आंबेडकर को एलेनोर जेलियट की तरह अच्छी तरह से पढ़ा और समझा नहीं है।

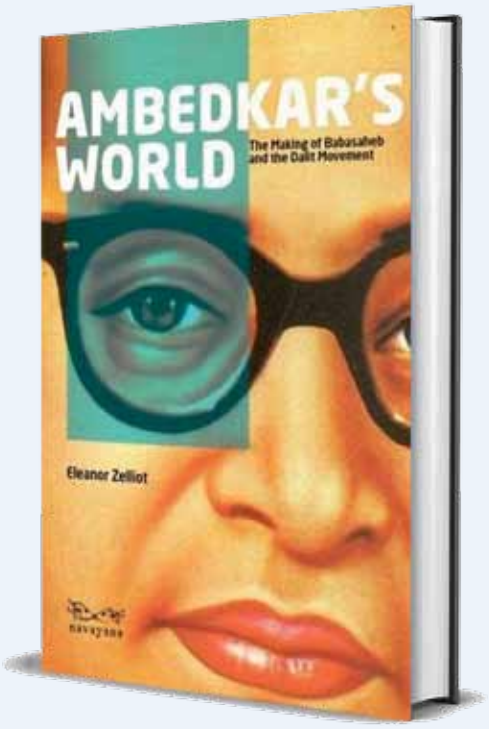

करती है। यह अनोखी किताब है क्योंकि बाबासाहेब के महापरिनिर्वाण के बाद दलित आंदोलन पर किया गया यह पहला अकादमिक शोध था।

उनके अनुसार ''मुझे आंबेडकर में दिलचस्पी तब हुई जब मैं अपने विश्वविद्यालय के दिनों में भारत के बारे में व्यापक रूप से पढ़ रही थी, और मैंने उन अधिकांश पुस्तकों में उनका नाम पाया, जिनका मैंने उल्लेख किया था। हालांकि उनके उदय की व्याख्या करने के लिए मेरे पास कोई विश्लेषण नहीं था। मैं 14 साल की उम्र से अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन का समर्थन कर रही थी, इसलिए तुलनीय भारतीय आंदोलन मेरे लिए एक स्वाभाविक विषय था। ... कविता, गीत, वस्तु या डिजाइन सहित हर कार्य जो एक व्यक्ति खुद को दलित के रूप में परिभाषित करता है, किसी के दलित होने की चेतना से उत्पीड़ित संस्कृति का एक हिस्सा होने के तथ्य से उत्पन्न होने वाले सृजन के कार्य करता है या बनाता है''

1992 में प्रकाशित उनका मौलिक कार्य *''फ्रॉम अनटचेबल टू दलित: एसेज ऑन आंबेडकर मूवमेंट''* है। इस पुस्तक को पढ़े बिना आंबेडकर को समझना अधूरा है। अगर कोई यह समझना चाहता है कि आज का भारत क्या है, तो उसे आंबेडकर को समझना होगा। और किसी ने भी आंबेडकर को एलेनोर जेलियट की तरह अच्छी तरह से पढ़ा और समझा नहीं है।

न्यू लिटेरेरी हिस्ट्रीय बाल्टीमोर वॉल्यूम। 40, इश्यू 2, (स्प्रिंग 2009) में **अरुण पी. मुखर्जी** अपने प्रकाशित लेख *''बी.आर. आंबेडकर, जॉन डेवी, एंड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी''* लेख में कहते हैं कि 1930 के दशक में आंबेडकर के काम पर प्रोफेसर डेवी की व्यावहारिकता (Pragmatism) का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। **के एन कदम** अपनी किताब *''द मीनिंग ऑफ द आंबेडकराइएट कनवर्शन टु बुद्धिज्म एंड अदर एस्सेज़''* (*नई दिल्ली: लोकप्रिय प्रकाशन, 1997*), में कहते हैं कि **"डॉ. आंबेडकर ने अपने व्याख्यान के दौरान अपने महान शिक्षक डेवी द्वारा कहे गए हर शब्द को नोट किया और वो हर व्याख्यान को शब्दश: पुन: पेश कर सकते थे।"**

दुर्भाग्य से बाबासाहेब के स्कूली दिनों में अस्पृश्यता के कारण उनका कोई मित्र नहीं था। लेकिन दोस्तों की जगह किताबों ने ले ली। कॉलेज के दिनों में उनके बहुत सारे दोस्त थे।

''मेरे जीवन में मेरे सबसे अच्छे दोस्त कोलंबिया युनिवर्सिटी, में मेरे कुछ सहपाठी और मेरे महान प्रोफेसर, जॉन डेवी, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमैन और जेम्स हार्वे रॉबिन्सन थे''

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर
(न्यूयॉर्क टाइम्स, कोलंबिया एलुम्नी न्यूज यूएसए, दिसंबर 1930)

"बाबासाहेब उन 20वीं सदी के प्रमुख दार्शनिकों में से एक प्रो. डेवी को अपना नायक (हीरो) और जाने–माने अर्थशास्त्री प्रो. सेलिगमैन को अपना गुरु (mentor) मानते थे।"

– के. एन. कदम

प्रो जॉन डेवी: 'अमेरिकी शिक्षा के पिता' और 'अमेरिकी दर्शन के पितामह'

कोलंबिया युनिवर्सिटी, यूएसए में, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने प्रो. जॉन डेवी के अधीन अध्ययन किया, जिन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के बारे में उनके कई विचारों को प्रेरित किया।

ऐसा लगता है कि प्रो. जॉन डेवी का बाबासाहेब पर सबसे अधिक प्रभाव था। ***''एनिहिलेशन ऑफ कास्ट''*** में, बाबासाहेब ने प्रो. डेवी का विशेष उल्लेख किया, ***''जो मेरे शिक्षक थे और जिनके लिए मैं बहुत आभारी हूं।''***

प्रो. जेम्स शॉटवेल (1874-1965) इतिहास के एक अमेरिकी प्रोफेसर

इतिहास के एक अमेरिकी प्रोफेसर जिन्होंने 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में **'मानवाधिकारों की घोषणा'** को शामिल करने के लिए जाने जाते है।

प्रो. एडविन सेलिगमैन (1861-1939) एक अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं पब्लिक फाईनेंस के ग्लोबल एक्सपर्ट

एक अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें टैक्सेशन एवं पब्लिक फाईनेंस से जुड़े उनके अग्रणी कार्यों के लिए याद किया जाता है। सेलिगमैन **अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन** के संस्थापक थे। राजकोषीय विशेषज्ञों के संरक्षक के रूप में, सेलिगमैन के विचारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कर सुधारों को भी निर्देशित किया।

प्रो. जेम्स रॉबिन्सन (1863-1926) एक अमेरिकी इतिहासकार

प्रो रॉबिन्सन ने इतिहास के अध्ययन और शिक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उसने अपने लेखन और व्याख्यानों के माध्यम से **''नए इतिहास''** जिसमें राजनीतिक घटनाओं के बजाय मानवता की सामाजिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रगति पर बल दिया। इतिहास शिक्षण और पाठ्यक्रम के दायरे को व्यापक बनाने में उनके विचार बेहद प्रभावशाली थे।

प्रस्तुति: *के. एस. रामुवालिया*
प्रधान निदेशक

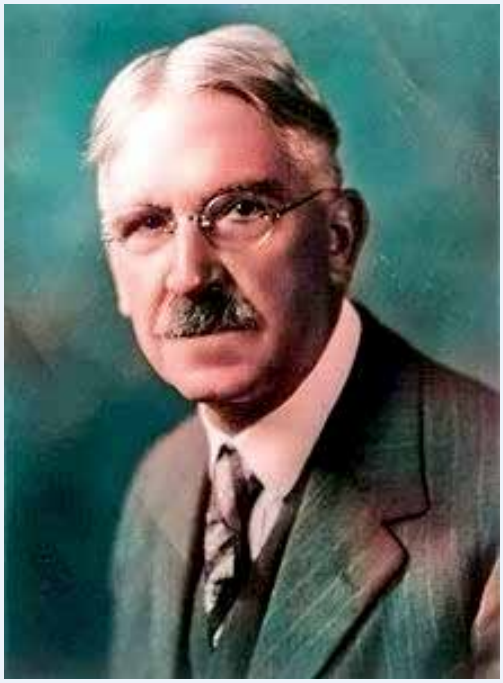

प्रो. जॉन डेवी (1859–1952)

डॉ. आंबेडकर 20वीं सदी के प्रमुख दार्शनिकों में से एक प्रो. डेवी को अपना नायक (Hero) और जाने-माने अर्थशास्त्री प्रो. सेलिगमैन को अपना गुरु (Mentor) मानते थे।

– के. एन. कदम

प्रो. एडविन सेलिगमैन (1861–1939)

प्रो. जेम्स शॉटवेल (1874–1965)

प्रो. जेम्स रॉबिन्सन (1863–1926)

डॉ. आंबेडकर का "केंद्र और राज्यों के फिस्कल संबंधों" पर पीएच.डी. शोधपत्र प्रो. एडविन सेलिगमैन ने सुपरवाइज किया था। वे पब्लिक फाइनेंस के ग्लोबल एक्सपर्ट थे।

डॉ. आंबेडकर द्वारा उठाए गए कई आर्थिक मुद्दों पर एल.एस.ई. के, प्रोफेसर एडविन कैनन (डॉ. आंबेडकर के रिसर्च गाइड) असहमत होते हुए भी, अपने विचारों में डॉ. आंबेडकर की 'सोच और ताजगी की मौलिकता' को निम्नानुसार दर्ज करते हैं:

"...मेरे जैसे पुराने शिक्षक मौलिकता की अनियमित्ताओं को सहन करना सीखते हैं, तब भी जब वे गंभीर परीक्षा का विरोध करते हैं, जैसे कि मिस्टर आंबेडकर कहते हैं। 'प्रोविनशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया', का उनका अध्ययन, अनुसंधान कार्य का एक प्रामाणिक और मूल कार्य है, जो पहली बार ब्रिटिश शोषण के मुद्दों को उठाता है..."

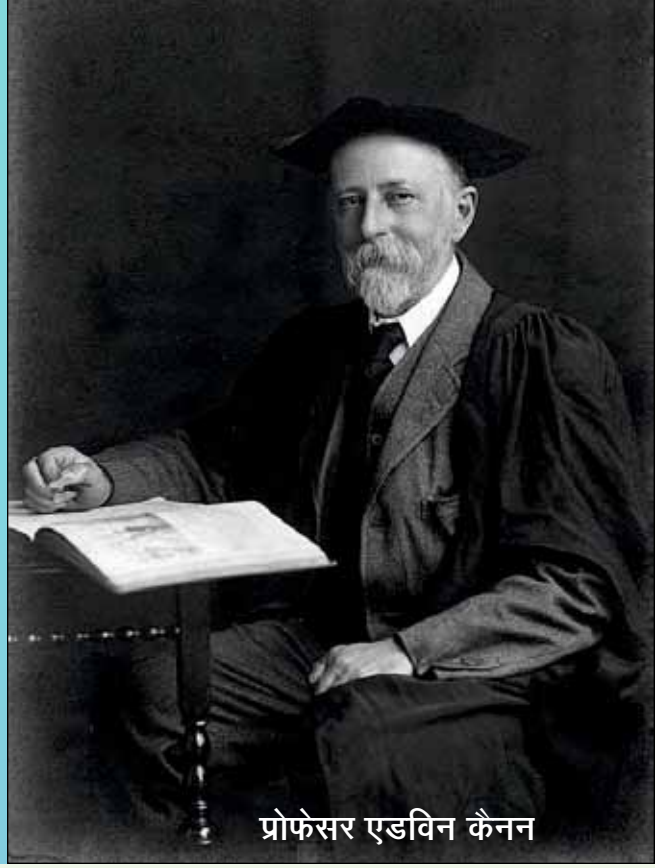

प्रोफेसर एडविन कैनन

उदय होता भारत
और डॉ. आंबेडकर के आर्थिक विचार

डॉ. आंबेडकर एक मौलिक आर्थिक सिद्धांतकार थे, जो समकालीन आर्थिक शोधों से अवगत थे। और उन्होंने आर्थिक समस्याओं के कई पहलुओं पर लिखा और वह भी बहुत कम उम्र में। उनके आर्थिक विश्लेषणों को विश्व अर्थशास्त्रियों द्वारा मान्यता दी गई थी। डॉ. आंबेडकर उन अग्रदूतों में से एक थे जो एक तरफ भारत में सामाजिक–राजनीति प्रभावित करने वाली हालातों और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों और दूसरी ओर भारत को बदलने में विकास परियोजनाओं की भूमिका की खोज करने में लगे हुए थे।

वह पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पब्लिक फाइनेंस, और कराधान और ब्रिटिश भारत के मौद्रिक मानकों का व्यापक रूप से अध्ययन किया। उन्होंने ब्रिटिश भारत में स्थानीय व्यापार पर आंतरिक और बाहरी दोनों करों के प्रतिकूल प्रभावों की व्याख्या की। उन्होंने भारतीय मुद्रा, ऋण प्रपत्र, विकास रणनीति, राज्य समाजवाद और राष्ट्रीयकरण, परिवार नियोजन, महिला विकास, मानव पूंजी, भारतीय अर्थव्यवस्था आदि सहित जनसंख्या और जनसांख्यिकीय पहलुओं पर विस्तृत टिप्पणियां भी लिखी। उनका तर्क था कि भारत में दलित पिछड़े वर्गों की गरीबी 'आकस्मिक गरीबी' है, जो प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित असमान वितरण और गरीबों के अनदेखी के कारण है। यह अमीर उच्च वर्गों के लिए अलग है। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन और शिक्षा के लिए दृढ़ता से तर्क दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा आर्थिक प्रणाली शोषण और असमानताओं को बढ़ावा देती है और इसे बनाए रखती है।

डॉ. आंबेडकर ने सरकार की प्रशासन प्रणालियों का अध्ययन किया और कागजी और परिहार्य कागजी कार्य के आर्थिक उपयोग पर जोर दिया। डॉ. आंबेडकर द्वारा उठाए गए कई आर्थिक मुद्दों पर, **प्रोफेसर एडविन कैनन (डॉ. आंबेडकर के रिसर्च गाइड)** असहमत होते हुए भी, अपने विचारों में डॉ आंबेडकर की 'सोच और ताजगी की मौलिकता' को निम्नानुसार दर्ज करते हैं:

"...मेरे जैसे पुराने शिक्षक मौलिकता की अनियमित्ताओं को सहन करना सीखते हैं, तब भी जब वे गंभीर परीक्षा का विरोध करते हैं, जैसे कि मिस्टर आंबेडकर कहते हैं। 'प्रोविनशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' का उनका अध्ययन, अनुसंधान कार्य का एक प्रामाणिक और मूल कार्य है, जो पहली बार ब्रिटिश शोषण के मुद्दों को उठाता है....."

(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन और भाषणों में अर्थशास्त्र पर कैनन एडविन का 'फोरवर्ड', खंड 6, पृष्ठ 33, महाराष्ट्र सरकार, शिक्षा विभाग।)

ऐसा लगता है, उनका दृढ़ विश्वास था कि अर्थशास्त्र का अच्छी तरह से शोध किया

गया अध्ययन सामाजिक नीति निष्कर्षों के लिए आवश्यक है। अपने आर्थिक लेखन में और अपनी बात को साबित करने के लिए, उन्होंने विश्लेषणात्मक रूप से सांख्यिकी, सरकारी रिपोर्टों, इतिहास, साहित्य और कानूनी और राजनीतिक प्रणालियों और समकालीन आर्थिक साहित्य में अपने मूल ज्ञान का उपयोग किया – जिसे अर्थशास्त्र के लिए जो कुछ भी आवश्यक था, उसके साथ जोड़ा।

अर्थशास्त्र में उनकी रिसर्च को जिस तरह से भी कोई देखे, तीन महत्वपूर्ण बातें सामने जरूर आती हैं:

पहले, डॉ. आंबेडकर प्रशिक्षण द्वारा एक बहुमुखी सामाजिक–राजनीतिक और प्रॉफेश्नल इकोनोमिस्ट थे और उनके सभी लेखन समकालीन समस्याओं से संबंधित थे जो सामग्री में समृद्ध और अद्यतित थे और लगभग सभी परस्पर जुड़े विषयों और सांख्यिकीय डेटा से तैयार ऐतिहासिक नींव के साथ अच्छी तरह से पूरक थे।

अजीब बात यह है कि वे कम ज्ञात और प्रचारित किए गए हैं, और भारतीय आर्थिक विचारों में उनकी वाजिब बनती भूमिका को जगह नहीं दी गयी है। पिछले कुछ समय तक, सरकारी फंडिंग एजेंसियों ने भी ये पूरी तरह से भुला दिया। **उपेंद्र बक्शी** ने इसे *''राष्ट्रीय उपेक्षा''* कहा और आगे जोर दे कर कहा है, ''इस तरह की समझ की अनुपस्थिति ने आधुनिक भारत के निर्माण की हमारी समझ को त्रुटिपूर्ण और खंडित कर दिया है''।

यहां तक कि 1954 में स्थापित किया गया भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' 1990 में प्रदान किया गया, जो उनके महापरनिर्वाण के 34 साल के एक अरसे बाद हुआ है।

दूसरे, डॉ. आंबेडकर द्वारा किए गए पहले के प्रॉफेश्नल और विद्वतापूर्ण कार्यों का प्रमुख हिस्सा सीधे अर्थशास्त्र से संबंधित था और यह उनके जीवन के पहले 32–33 वर्षों के दौरान किया गया था।

1. **उनकी मास्टर डिग्री थीसिस, एंशियंट इंडियन कॉमर्स** (1915),
2. **द नेशनल डिविडेंट ऑफ इंडिया** (1916),
3. **ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और वित्त पर अनुसंधान कार्य** (1915),
4. **भारत में छोटी स्वामित्व और उनके उपचार** (1918),
5. **द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशयल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया** (1925), और

वक्तव्यों, साक्ष्यों, समीक्षाओं इत्यादि के अलावा *'द प्रोब्लेम ऑफ रूपी' (1923)*, जो बाद में **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई)** की स्थापना की नींव बनी थी, उनके जैन्डर इमपावरमेंट, कार्यस्थल से जुड़े मुददे आदि समकालीन संदर्भ में एक नई गंभीर समीक्षा के योग्य हैं। इतनी कम उम्र में इतनी उच्चकोटि की अकेडेमिक उपलब्धियों के साथ, वह न केवल अमेरिका में, बल्कि दुनिया के किसी भी सर्वश्रेष्ठ देश में कहीं भी आसानी से बस गए होते। लेकिन देश और उसके लोगों के लिए उनके अटूट प्रेम, सुहानुभूति और उनकी दर्दभरी जिंदगी को देखते हुए, उन्होंने देश वापस आना और इस की सेवा करना पसंद किया। यह बलिदान दुर्लभतम है और इसकी सराहना जितनी भी की जाए, वो कम है।

इतनी कम उम्र में इतनी उच्चकोटि की अकेडेमिक उपलब्धियों के साथ, वह न केवल अमेरिका में, बल्कि दुनिया के किसी भी सर्वश्रेष्ठ देश में कहीं भी आसानी से बस गए होते। लेकिन देश और उसके लोगों के लिए उनके अटूट प्रेम, सुहानुभूति और उनकी दर्दभरी जिंदगी को देखते हुए, उन्होंने देश वापस आना और इस की सेवा करना पसंद किया। यह बलिदान दुर्लभतम है और इसकी सराहना जितनी भी की जाए, वो कम है।

उनका एम ए का अर्थशास्त्र थीसिस 'एंशियंट इंडियन कॉमर्स' था। इस बाखूबी से किए कार्य के लिए छात्रों और शिक्षकों ने उनकी उपलब्धि का सम्मान करने के लिए एक विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया। 1916 में, उन्होंने 'भारत के राष्ट्रीय लाभांश – एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन' पर दूसरी एम.ए. थीसिस प्रस्तुत की।

तीसरे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष रूप से समर्पित डॉ. आंबेडकर आर्थिक मुद्दों पर बहुत गंभीर विचार लिखने और चर्चाओं के बाद एक नया इतिहास बनाने के लिए राजनीतिक मैदान में कूद पड़े और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को मीडिया और सामाजिक सक्रियता के साथ जोड़ दिया। उन्होंने शायद महसूस किया कि, यह अंततः राजनीतिक शक्ति है जो लोगों के भाग्य और उनकी सामाजिक प्रगति को निर्धारित करती है जो वास्तव में उनका मिशन और जुनून था।

संघीय व्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी कार्य

आंबेडकर ने प्रोविन्शियल फाइनेंस के क्षेत्र में एक मूल और प्रामाणिक योगदान दिया है, जो डब्ल्यू एस थैचर के विश्लेषण अनुसार अब तक उपेक्षित किया जाता रहा है। उन्होंने दुहरा शासन प्रबंध व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र और सामूहिक जिम्मेदारी की कमी के लिए आलोचना की थी।

उनकी पुस्तक, *'द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविन्शियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' (1925)* शायद उस समय की तुलना में अब और भी अधिक प्रासंगिक है, जब ब्रिटिश राजकोषीय प्रणाली को ''प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक'' बनाने के लिए यत्न कर रहे

लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, ओल्ड बिल्डिंग एट्रियम में आंबेडकर की प्रतिमा (1994)

"सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान को पहचान मिली है लेकिन उनके आर्थिक विचारों तथा दृष्टिकोण को अब भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है और इसकी सराहना होनी चाहिए।"

– 6 दिसंबर 2015 को बाबासाहेब के नाम स्मारक सिक्कों के जारी करने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा।

कोलंबिया युनिवर्सिटी, न्यूयार्क, में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा (1995)

"अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अद्भुत है और इसे हमेशा याद किया जाएगा।"

–प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता

थे। तब डॉ. आंबेडकर ने 'साम्राज्य प्रणाली' की जगह 'संघीय प्रणाली' और केंद्र के लिए संघीय या 'संयुक्त राज्य प्राधिकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क दिया था।

उन्होंने कहा कि संघीय योजना के तहत सेवाओं के वास्तविक विभाजन और राजस्व के आवंटन के आधार पर साम्राज्य और प्रांतीय बजट को अलग किया जाएगा। वह आगे तर्क देते हैः ''प्रशासनिक राजनीति को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें अपने संबंधित संसाधनों से पूरी तरह से वित्त पोषण करने की आवश्यकता होती है, जिसे हमेशा एक नई वित्तीय व्यवस्था तैयार करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए।''

इस प्रकार, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों और सार्वजनिक वित्त के शासन के निर्माण के साधन के रूप में मौजूदा भारतीय संघीय प्रणाली की उत्पत्ति डॉ. आंबेडकर के अग्रणी कार्यों से हुई है।

वफादारी, ज्ञान और अर्थव्यवस्था से संबंधित नैतिक मानकों का पालन करने का उनका आग्रह आज भी प्रासंगिक है, और यह लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा भी समर्थित है।

भारतीय मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए क्रय शक्ति को स्थिर करने की आवश्यकता है

डॉ. आंबेडकर के डी.एससी शोध प्रबंध *(प्राब्लम ऑफ द रूपीः इट्स ऑरिजिन अँड सोल्युशं–1923 में प्रकाशित पुस्तक)* की त्वरित समीक्षा से पता चलेगा कि उन्होंने भारत में स्थापित 'सोने के विनिमय' और 'स्वर्ण विनिमय मानकों' सहित मौद्रिक और विनिमय मानकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1800–1893) का कितनी सावधानी से गंभीर विश्लेषण करके पता लगाया। उन्होंने मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, खर्च आदि से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं की गहराई से समीक्षा की। डॉ. आंबेडकर भारतीय मुद्रा को फिर से जारी करने के बारे में मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर कीन्स के कई प्रस्तावों से सहमत नहीं थे।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि फाउलर समिति की सिफारिशों को छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी तथ्य जिसे समझने और उजागर करने की आवश्यकता है, वह यह है कि रुपये की स्थिरता तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती है जब तक कि ''सामान्य क्रय शक्ति'' स्थिर नहीं हो जाती।

उन्होंने सिफारिश की कि रुपये को सोने में प्रभावी परिवर्तनीयता प्रदान की जानी चाहिए'' लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा, ''एक बेहतर तरीका यह होगा कि

वह पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पब्लिक फाइनेंस, और कराधान और ब्रिटिश भारत के मौद्रिक मानकों का व्यापक रूप से अध्ययन किया। उन्होंने ब्रिटिश भारत में स्थानीय व्यापार पर आंतरिक और बाहरी दोनों करों के प्रतिकूल प्रभावों की व्याख्या की। उन्होंने भारतीय मुद्रा, ऋण प्रपत्र, विकास रणनीति, राज्य समाजवाद और राष्ट्रीयकरण, परिवार नियोजन, महिला विकास, मानव पूंजी, भारतीय अर्थव्यवस्था आदि सहित जनसंख्या और जनसांख्यिकीय पहलुओं पर विस्तृत टिप्पणियां भी लिखी।

अपरिवर्तनीय रुपया एक निश्चित सीमा के साथ ही हो।

अपनी पुस्तक *प्राब्लम ऑफ द रूपी, 1923* के पहले संस्करण की *प्रस्तावना* में डॉ. आंबेडकर लिखते हैंः

''भारतीय मुद्रा पर मौजूदा आलेख उन परिस्थितियों का विचार नहीं देते हैं जिनके कारण 1893 में सुधार हुए। मुझे लगता है कि प्रारंभिक इतिहास का सुधार काफी आवश्यक है ... फैसला करने के लिए ... वर्तमान संकट में शामिल मुद्दों का और पेश किए गए समाधानों का भी। इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने 1800 से 1893 तक की भारतीय मुद्रा की सबसे उपेक्षित अवधि को शामिल किया गया है। न केवल अन्य लेखकों ने 'विनिमय मानक' की कहानी अचानक शुरू कर दी है, बल्कि उन्होंने इस धारणा को लोकप्रिय भी बनाया है कि विनिमय मानक मूल रूप से भारत सरकार द्वारा विचार किए गए मानक के रूप में है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती है।

वास्तव में, डॉ. आंबेडकर एक महान राष्ट्र–निर्माता थे, जिन्होंने एक दूर दृष्टि के साथ भारत के संविधान सहित संस्थागत संरचनाओं और ढांचे को बहुत की समझदारी और सावधानी से बनाया। उन्होंने उस समय के अति मुश्किल हालातों में भारत का मार्ग प्रशस्त किया और बिखरी हुई भौगोलिक संस्थाओं को सुरक्षा, स्थिरता और यहां तक कि व्यवहार्यता प्रदान की, जिन्हें बाद में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एकीकृत किया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए सिर्फ दलित नेता के रूप में ही पेश किया गया है।

भले ही उनके आर्थिक विचारों को एकीकृत न किया गया हो, लेकिन उन्हें न केवल एक महान आर्थिक विचारक और राष्ट्र–निर्माता के रूप में स्वीकार करने के लिए, बल्कि आर्थिक सोच की वर्तमान गुणवत्ता को समृद्ध करने और भारत के आवश्यक सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक परिवर्तन के निर्धारकों के बारे में संज्ञानात्मक ज्ञान पैदा करने और हमारे शासन और नीति–निर्माण वातावरण में सुधार करने के लिए नए सिरे से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि संविधान लागू होने के सात दशक बाद भी उनके द्वारा कल्पना किए गए 'भारत' के बारे में सपना अधूरा रह गया है और **न्याय, स्वतंत्रता, समानता** और **बंधुत्व** से संबंधित मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।

प्रस्तुतिः *सुश्री मीनाक्षी*
स. प्रशासन अधिकारी
मुख्यालय, नई दिल्ली

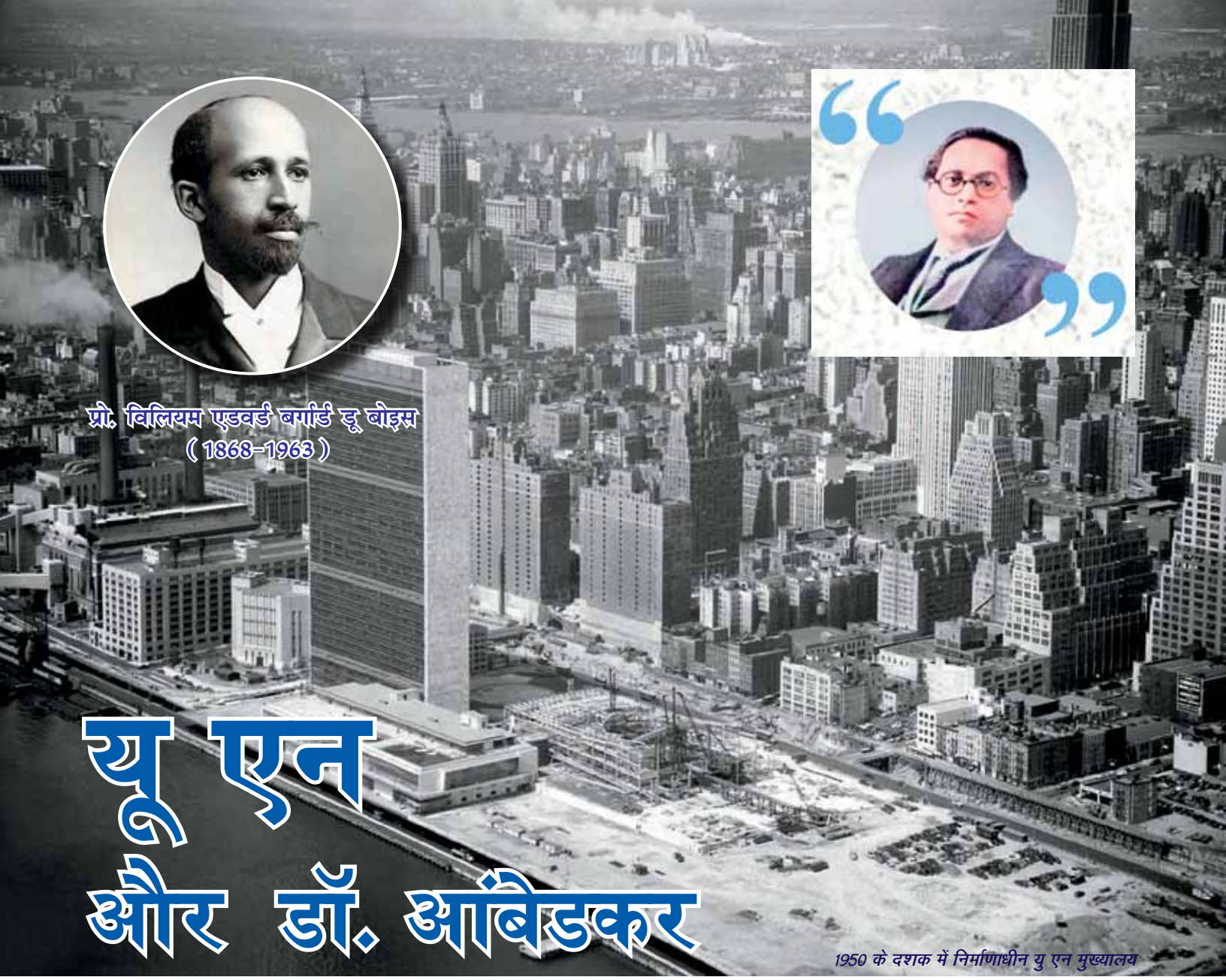

प्रो. विलियम एडवर्ड बर्गार्ड डू बोइस
(1868–1963)

यू एन और डॉ. आंबेडकर

1950 के दशक में निर्माणाधीन यु एन मुख्यालय

प्रो. विलियम एडवर्ड बर्गार्ड डू बोइस (1868–1963) कौन थे?

"वह एक अमेरिकी समाजशास्त्री, समाजवादी, इतिहासकार और पैन–अफ्रीकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। बर्लिन विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक कार्य पूरा करने के बाद, जहाँ वे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे। वे अटलांटा विश्वविद्यालय में इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। डू बोइस 1909 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल (एनएएसीपी) के संस्थापकों में से एक थे।

डू बोइस अफ्रीकी–अमेरिकी कार्यकर्ताओं के एक समूह, जो अश्वेतों के लिए समान अधिकार चाहते थे, नियाग्रा आंदोलन के एक नेता के रूप में अमरीकी राष्ट्रीय प्रमुखता में आगे बढ़ गए थे।"

क्या आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाति के मुद्दे को उठाने के लिए डॉ आंबेडकर द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जानते हैं? शायद नहीं।

उन्नीसवीं सदी से एफ्रो–अमेरिकी नेताओं और दलित नेताओं ने अमरीका के अश्वेतों और भारत के दलितों के बीच संबंध बनाना शुरू कर दिया।

1945–46 में जब *'लीग ऑफ नेशंस'* संयुक्त राष्ट्र (यु.एन.) की औपचारिक स्थापना की तैयारी कर रही थी, तब दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हाशिए पर पड़े कई मानवीय समूह यह ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी चिंताएं *"युनिवरशल डेकलारेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स"* में भी परिलक्षित हों।

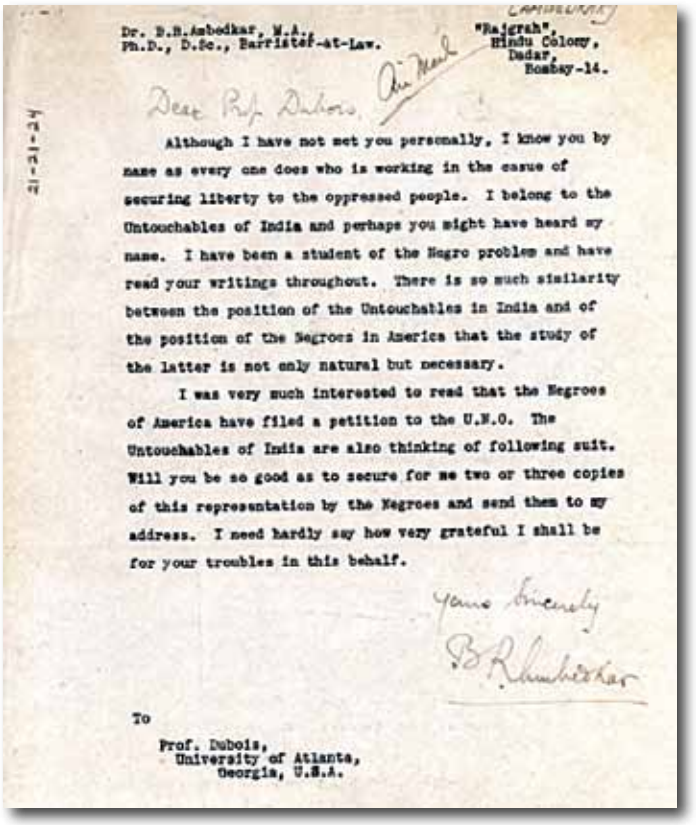

Dr. B.R.Ambedkar, M.A.,
Ph.D., D.Sc., Barrister-at-Law.

"Rajgrah",
Hindu Colony,
Dadar,
Bombay-14.

Dear Prof. Dubois,

Although I have not met you personally, I know you by name as every one does who is working in the cause of securing liberty to the oppressed people. I belong to the Untouchables of India and perhaps you might have heard my name. I have been a student of the Negro problem and have read your writings throughout. There is so much similarity between the position of the Untouchables in India and of the position of the Negroes in America that the study of the latter is not only natural but necessary.

I was very much interested to read that the Negroes of America have filed a petition to the U.N.O. The Untouchables of India are also thinking of following suit. Will you be so good as to secure for me two or three copies of this representation by the Negroes and send them to my address. I need hardly say how very grateful I shall be for your troubles in this behalf.

Yours Sincerely
B.R.Ambedkar

To

Prof. Dubois,
University of Atlanta,
Georgia, U.S.A.

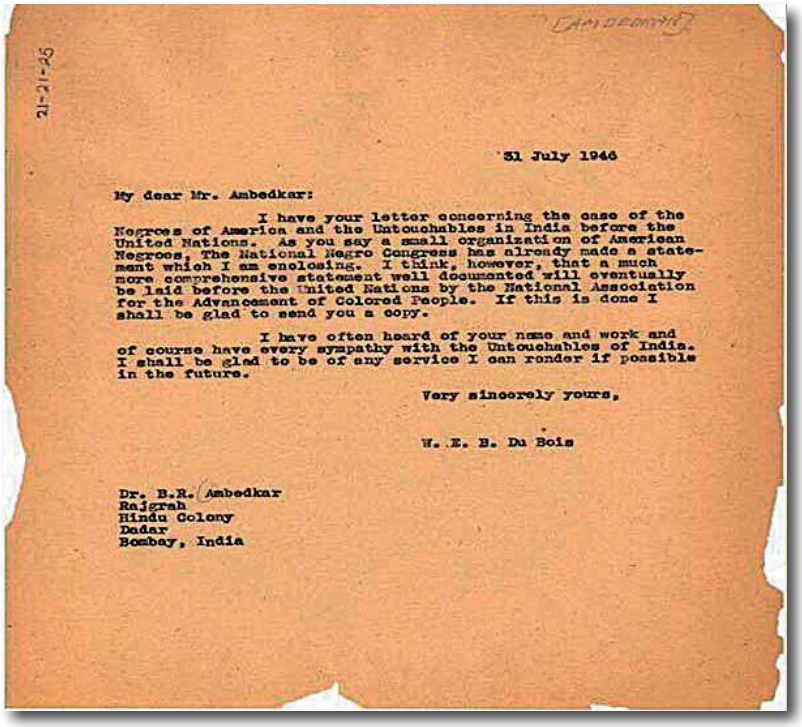

31 July 1946

My dear Mr. Ambedkar:

I have your letter concerning the case of the Negroes of American and the Untouchables in India before the United Nations. As you say a small organization of American Negroes, The National Negro Congress has already made a statement which I am enclosing. I think, however, that a much more comprehensive statement well documented will eventually be laid before the United Nations by the National Association for the Advancement of Colored People. If this is done I shall be glad to send you a copy.

I have often heard of your name and work and of course have every sympathy with the Untouchables of India. I shall be glad to be of any service I can render if possible in the future.

Very sincerely yours,

W. E. B. Du Bois

Dr. B.R. Ambedkar
Rajgrah
Hindu Colony
Dadar
Bombay, India

सन् 1946 में डॉ. आंबेडकर और प्रो. विलियम एडवर्ड बर्गार्ड डू बोइस के बीच हुए पत्राचार की प्रतियां।

उस समय डॉ. बी आर आंबेडकर और प्रमुख एफ्रो–अमेरिकी विचारक प्रो. विलियम एडवर्ड बर्गार्ड डू बोइस के बीच पत्रों का आदान–प्रदान हुआ था।

हर्बर्ट आपथेकर की पुस्तक ***'द कॉरस्पोंडेंस ऑफ डब्ल्यू. ई. बी. डू बोइस, वॉल्यूम 3'*** में **डू बोइस** लिखते हैं,

''इस तरह के एक दस्तावेज की आवश्यकता इस तथ्य से जोर देती है कि लोगों के अन्य समूह, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों, फिलिस्तीन के यहूदी, इंडोनेशियाई और अन्य इस तरह की मिलती–जुलती याचिकाएं बना रहे हैं । मेरे डेस्क पर भारत के वंचित वर्ग के हवाले से डॉ. आंबेडकर का एक पत्र है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि वे अपील कर सकते हैं।''

डॉ. आंबेडकर अश्वेत आंदोलन से अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि उनके कई प्रोफेसर और गाइड भी अश्वेत समुदाय से थे, जैसे **हर्बर्ट आपथेकर** और **सी. वान वुडवर्ड** (वुडवर्ड) ने अपनी आत्मकथा ***'थिंकिंग बैक: पेरिल्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री'*** में कहा है कि डॉ. आंबेडकर का भारत में अस्पृश्यतों के उत्पीड़न के वर्णन के कारण उन्हें अश्वेतों के उत्पीड़न के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया।

डॉ. आंबेडकर जानते थे कि कुछ हद तक भारतीय दलित अमेरिका के अश्वेतों के समान हैं – अलग–थलग, शिक्षा के अधिकार से वंचित, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति से वंचित।

डॉ. आंबेडकर जानते थे कि यदि सभी भेदभाव वाले समुदाय एक साथ आते हैं तो वे समाज में अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं, वे यह भी जानते थे कि सभी भेदभाव वाले समुदायों को एक साथ कैसे लाया जाए और संयुक्त राष्ट्र में भेदभाव वाले समुदायों की मुक्ति के लिए ठोस कदम उठाने के लिए नेताओं पर दबाव डाला जाए।

उस समय डॉ आंबेडकर इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में क्यों नही पहुंचे यह अभी भी खोज का विषय बना हुआ है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी फिलहाल वांछित है।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर से प्रो. डब्ल्यू. ई.बी. डू बोइस के बीच पत्राचार की सबसे अधिक संभावना 1946 की है। जो कि 31 जुलाई 1946 को लिखे पत्र की एक कापी से मालूम होती है।

यह पत्र संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रीय नीग्रो कांग्रेस की याचिका की पूछताछ के बारे में है, जिसने संयुक्त राष्ट्र परिषद के माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया।

डॉ. आंबेडकर ने निम्नलिखित अदिनांकित पत्र द्वारा इस विषय पर पत्राचार शुरू किया गया–

प्रिय प्रो. डुबॉइस,

हालांकि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूं, मैं आपको नाम से जानता हूं जैसा कि हर कोई जानता है जो उत्पीड़ित लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कर रहा है। मैं भारत के अस्पृश्यतों में से हूँ और शायद आपने मेरा नाम सुना होगा। मैं नीग्रो समस्या का एक छात्र रहा हूं और मैंने आपके लेखन को लगातार पढ़ता रहा हूँ। भारत में अस्पृश्यतों की स्थिति और अमेरिका में नीग्रो की स्थिति में इतनी समानता है कि बाद का अध्ययन न केवल स्वाभाविक बल्कि आवश्यक है।

मुझे यह पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी कि अमेरिका के नीग्रो ने एक याचिका दायर की है। युएनओ में याचिका भारत के अस्पृश्यत भी उसी का अनुसरण करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप नीग्रों के इस प्रतिनिधित्व की दो या तीन प्रतियाँ मेरे लिए सुरक्षित कर दें और उन्हें मेरे पते पर भेज दें। मुझे शायद ही यह कहने की आवश्यकता है कि इस संबंध में आपके सहयोग के लिए मैं आभारी रहूंगा।

पत्र का जवाब :

31 जुलाई 1946 को प्रो. विलियम एडवर्ड बर्गार्ड डू बोइस ने एक पत्र डॉ. बी आर आंबेडकर को लिखा–

मेरे प्रिय श्री आंबेडकर,

संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अमेरिका के नीग्रो और भारत में अस्पृश्यतों के मामले से संबंधित आपका पत्र मेरे पास है। जैसा कि आप अमेरिकी नीग्रो के एक छोटे से संगठन के बारे में कहते हैं, राष्ट्रीय नीग्रो कांग्रेस पहले ही बयान दे चुकी है जिसे मैं संलग्न कर रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है कि एक अधिक व्यापक बयान अच्छी तरह से प्रलेखित अंततः कलर्ड लोगों की उन्नति के लिए नेशनल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो मुझे आपको एक प्रति भेजने में खुशी होगी।

मैंने अक्सर आपके नाम और काम के बारे में सुना है और निश्चित रूप से भारत के अस्पृश्यतों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। यदि भविष्य में संभव हुआ तो मैं किसी भी सेवा को प्रदान करने में प्रसन्न रहूंगा।

भवदीय ।

आपका
डब्ल्यू.ई.बी. डू बोइस

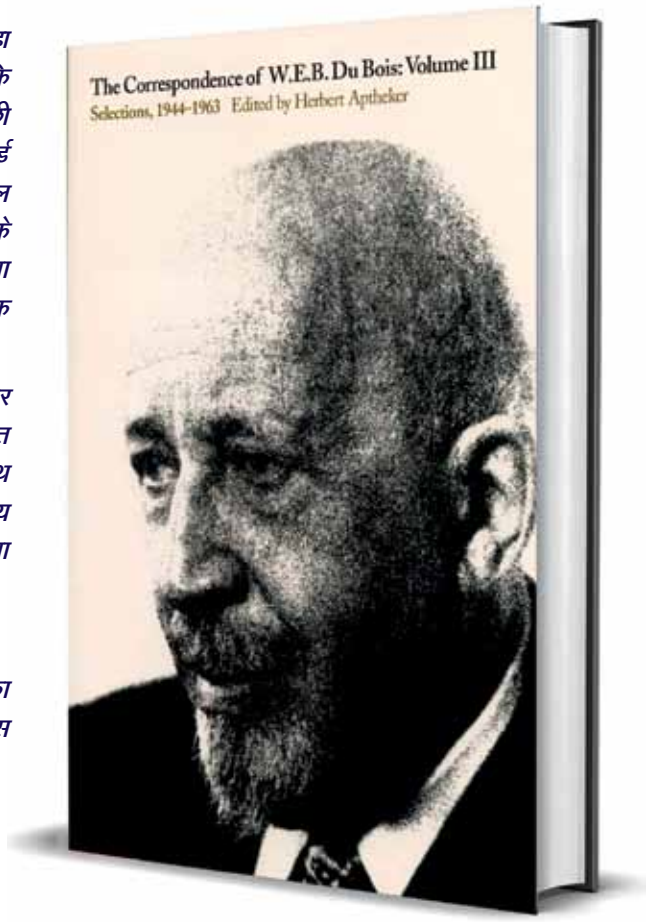

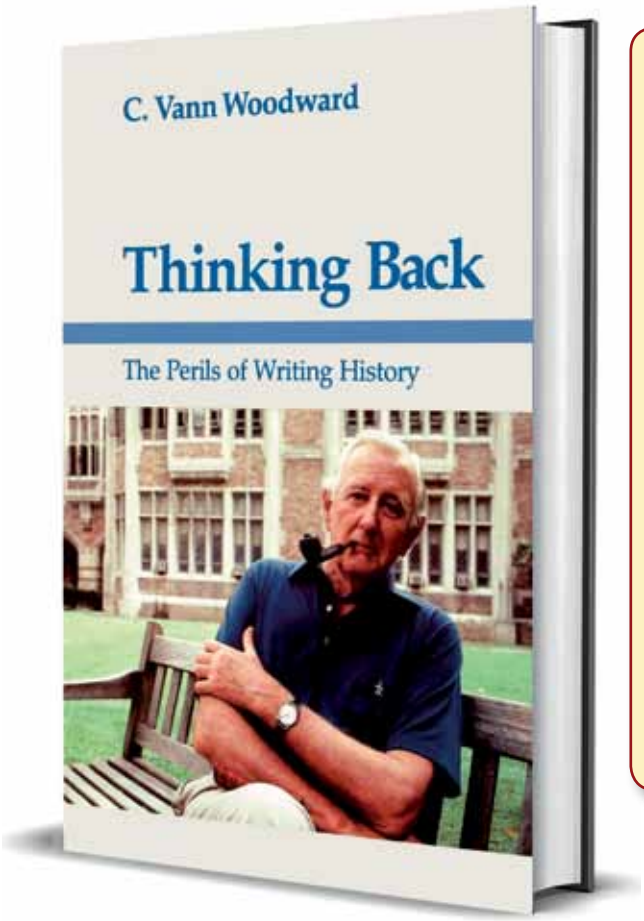

हर्बर्ट आपथेकर की पुस्तक *'द कॉरस्पोंडेंस ऑफ डब्ल्यू. ई. बी. डू बोइस, वॉल्यूम 3'* में डू बोइस लिखते हैं,

''इस तरह के एक दस्तावेज की आवश्यकता इस तथ्य से जोर देती है कि लोगों के अन्य समूह, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों, फिलिस्तीन के यहूदी, इंडोनेशियाई और अन्य इस तरह की मिलती–जुलती याचिकाएं बना रहे हैं । मेरे डेस्क पर भारत के वंचित वर्ग के हवाले से डॉ. आंबेडकर का एक पत्र है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि वे अपील कर सकते हैं।"

प्रस्तुतिः *के. एस. रामुवालिया*
प्रधान निदेशक

भारत रत्न डॉ. आंबेडकर

ज्ञान के अथाह समुंदर

डॉ. बी.आर. आंबेडकर को भारतीय संविधान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और वह पारंपरिक भारतीय समाज के सबसे निम्न स्तर के लोगों के नेता थे। इसके अलावा कुछ अन्य बातों को छोड़कर लोग भारत के बारे में उनके विचार और दृष्टि तथा आजादी से पहले और बाद में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं।

हममें से कितने लोग संविधान सभा की उस समय की ज्ञानवर्धक चर्चाओं को पढ़ते हैं, जब भारत का संविधान बन रहा था। उन वाद–विवादों और चर्चाओं के दौरान, विचारों की अदभुत अभिव्यक्ति जो तब उनके द्वारा संविधान में निहित की गई थी, वह हमें इस बात का प्रमाण देती है कि वह अपने समय के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे।

वह उन लोगों के दिलों और दिमाग में हमेशा रहेंगे, जिनके लिए उन्होंने आधुनिक भारत में गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु जीवन भर संघर्ष किया।

विश्व के इतिहास में उन्हें हमेशा सुनहरे अक्षरों में भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से उस एक व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, जिनका प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, अपितु दुनिया के कई अन्य देशों में भी था, आज भी हैं और हमेशा रहेगा।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर का पूरा नाम डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर था और उनके महापरिनिर्वाण के 34 वर्ष उपरांत, 1990 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान **'भारत रत्न'** से सम्मानित किया गया था।

29 अगस्त, 1947 को उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। 1920 में डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने **कोल्हापुर के साहू महाराजा** की मदद से **'मूकनायक'** नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 1920 में ही **बहिष्कार हितकर्णी सभा** की स्थापना भी हुई।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने 'वेटिंग फॉर ए वीजा' शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है, इसके अलावा उन्होंने कई अन्य उच्चकोटि की किताबें भी लिखी हैं जिनके पृष्ठों की संख्या एक अनुमान अनुसार 17500 से भी ज्यादा है। इससे पता लगता है कि वो ज्ञान के अथाह समुंदर थे।

वैसे तो उनकी हर पुस्तक अपने आप में एक क्लासिक हैं परंतु उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें जैसे *थोट्स ऑन पाकिस्तान* और *रिड्लस ऑफ हिंदूइज्म* पढ़ कर पता चलेगा कि उनका महान व्यक्तित्व साहित्य में भी कितना प्रतिभाशाली था। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने गोलमेज कान्फ्रेन्सों (1930, 31 एवं 32), में भाग लिया था। 24 सितंबर, 1932 को पुणे की यरवदा जेल में डॉ. बी. आर. आंबेडकर और गांधीजी के बीच पूना समझौता हुआ था जिस पर डॉ. आंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। डॉ. बी.आर. आंबेडकर साहब भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री भी थे।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन में हितधारकों की भूमिका के बारे में कई कटु सत्य लिखे हैं। इतना ही नहीं डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने प्रख्यात हस्तियों के बारे में भी खुलकर बात की है, जो उनकी किताबों, साक्षात्कारों और लेखों में मिलती है।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर की कई किताबें हैं। उनकी कई पुस्तकों में भारत की गहरी जड़ों वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा है। किंतु आज के समय में वो चर्चाओं और उन विषयों को ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, जो डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने अपने लेखों, किताबों और भाषणों में कहा है। यह उस सोच का नतीजा हो सकता है जिसने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके नाम का उपयोग किया है।

भारतीय संविधान के संस्थापक के विचारों को खुले और उद्देश्यात्मक दृष्टिकोण के साथ पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि वह भारत के उन महान सपूतों में से एक थे, जिन्होंने **स्वतंत्रता, समानता** और **बंधुत्व** के विचारों को व्यावहारिक रूप देते हुए, खोखली विचारधारा से भारतीय समाज को मुक्त करके एक आधुनिक भारत बनाने की नींव रखी। ऐसे युगपुरुष को हमेशा याद रखा जायेगा ।

डॉ. आंबेडकर द्वारा रचित साहित्य भंडार बहुत विशाल है। यहाँ पर हम उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तकें, ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, अनुसन्धान दस्तावेज, लेख और पुस्तकों की समीक्षा इत्यादि में से कुछ का जिक्र कर रहें हैं:

पुस्तकें

1. एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी (एम०ए० का थीसिस)
2. द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेज इन ब्रिटिश इंडिया (पी०एच०डी० का थीसिस, 1917, 1925 में प्रकाशित)
3. दी प्राब्लम आफ दि रुपी : इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन (डीएस०सी० का थीसिस, 1923 में प्रकाशित)
4. अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स (मई 1936)
5. विच वे टू इमैनसिपेशन (मई 1936)
6. फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम (1936)
7. पाकिस्तान और द पर्टिशन ऑफ इण्डिया/थॉट्स ऑन पाकिस्तान (1940)
8. रानडे, गाँधी एंड जिन्नाह (1943)
9. मिस्टर गाँधी एण्ड दी एमेन्सीपेशन ऑफ दी अनटचेबल्स (सितम्बर 1945)
10. वॉट कांग्रेस एंड गाँधी हैव डन टू द अनटचेबल्स ? (जून 1945)
11. कम्यूनल डेडलाक एण्ड ए वे टू साल्व इट (मई 1946)
12. हू वर दी शूद्राज ? (अक्तुबर 1946)
13. भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का, अनुसूचित जनजातियों पर उनके असर के सन्दर्भ में दी गयी समालोचना (1946)
14. द कैबिनेट मिशन एंड द अंटचेबल्स (1946)
15. स्टेट्स एण्ड माइनोरीटीज (1947)
16. महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविन्स स्टेट (1948)
17. द अनटचेबल्सः हू वर दे आर व्हाय दे बिकम अनटचेबल्स (अक्तुबर 1948)
18. थॉट्स ऑन लिंगुइस्टिक स्टेट्सः राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की समालोचना (प्रकाशित 1955)

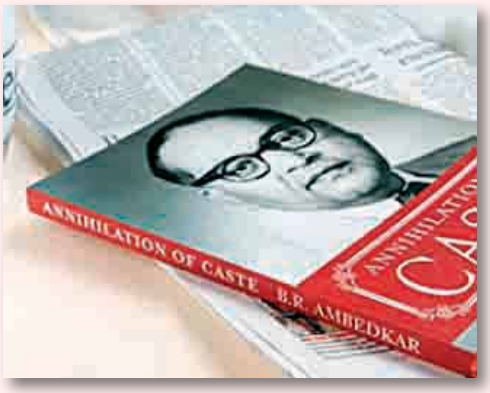

19. द बुद्धा एंड हिज धम्म (भगवान बुद्ध और उनका धम्म) (1957)
20. रिडल्स इन हिन्दुइज्म
21. डिक्शनरी ऑफ पाली लॅग्वेज (पालि–इग्लिश)
22. द पालि ग्रामर (पालि व्याकरण)
23. वेटिंग फॉर अ वीजा (आत्मकथा) (1935–1936)
24. अ पीपल ऐट बे
25. द अनटचेबल्स और द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया'ज़ गेटोज
26. केन आय बी ए हिन्दू?
27. व्हॉट द ब्राह्मिण्स हैव डन टू द हिन्दुज
28. इसेज ऑफ भगवत गीता
29. इण्डिया एण्ड कम्यूनिज्म
30. रेवोलुशन एंड काउंटर–इन एनशियंट इंडिया
31. द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स (बुद्ध और कार्ल मार्क्स)
32. कोन्स्टिट्यूशन एंड कोस्टीट्यूशनलीजम

ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य

1. मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सन्दर्भ में (1919) On Franchise and Framing Constituencies

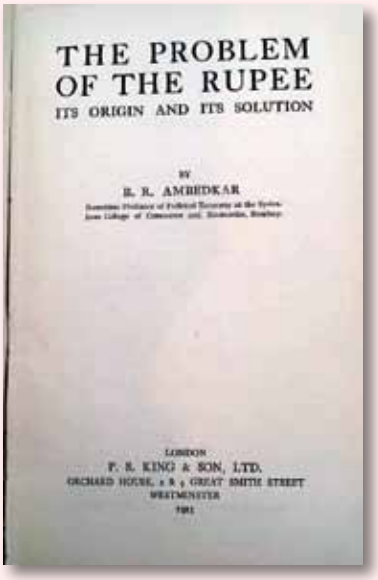

2. भारतीय मुद्रा के दिया गया शाही आयुक्तालय को साक्ष्य का बयान (1926) Statement of Evidence to the Royal Commission of Indian Currency
3. शोषित/वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर दिया गया बयान (मई 29, 1928) Protection of the Interests of the Depressed Classes
4. बम्बई प्रेसीडेंसी में पिछड़े वर्गों में शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में (1928) State of Education of the Depressed Classes in the Bombay Presidency
5. बम्बई प्रेसीडेंसी सरकार का संविधान (मई 17, 1929) Constitution of the Government of Bombay Presidency

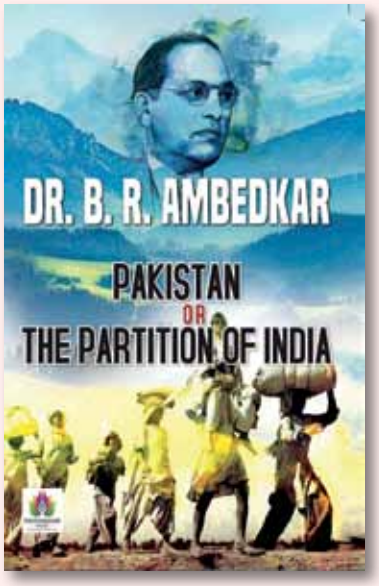

6. भविष्य के स्वशासित भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए राजनैतिक प्रतिरक्षण की योजना (1930) A Scheme of Political Safeguards for the protection of the Depressed in the Future Constitution of a Self & governing India
7. शोषित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व की मांग (1931) The Claims of the Depressed Classes for Special Represention
8. छुआ–छूत की परख और विशेषाधिकार (1932) Franchise and Tests of Untouchability
9. संवैधानिक प्रगति पर क्रिप्स प्रस्ताव (18 जुलाई, 1942) The Cripps Proposals on Constitutional Advancement
10. अनुसूचित जातियों की शिकायतें (29 अक्तुबर, 1942) Grievances of the Scheduled Castes

अनुसन्धान दस्तावेज, लेख और पुस्तकों की समीक्षा

1. कास्ट्स इन इण्डिया : देयर जीनियस, मेकैनिजम एंड डिवेलपमेंट (1918)
2. मिस्टर रसेल एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी (1918)
3. स्माल होलिंग्स इन इंडिया एण्ड देयर रेमिडीज (1918)
4. करेंसी एंड एक्सचेंजेज (1925)
5. द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन करेंसी (अप्रैल 1925)
6. कराधान जाँच समिति की रिपोर्ट (1926)
7. बम्बई प्रेसीडेंसी में न्यायिक शिक्षा में सुधार पर विचार (1936)
8. राइजिंग एंड फाल ऑफ हिन्दू वुमन (1950)
9. नियंत्रणों और संतुलनों की आवश्यकता) (23 अप्रैल, 1953)
10. बुद्ध पूजा पाठ (मराठी में) (नवम्बर 1956)

प्रस्तावना इत्यादि

1. फॉरवर्ड (अनटचेबल वर्कर्स ऑफ बॉम्बे सिटी की प्रस्तावना) (1938)
2. फॉरवर्ड (पुस्तकः कमोडिटी एक्सचेंज की प्रस्तावना) (1947)
3. प्रस्तावना (पुस्तक, द एसेंस ऑफ बुद्धिजम की भूमिका) (1948)
4. फॉरवर्ड (सोशल इन्शुरन्स एंड इंडिया की प्रस्तावना) (1948)
5. प्रस्तावना (पुस्तक, राष्ट्र रक्षा के वैदिक साधन की भूमिका) (1948)

पत्रकारिता

आंबेडकर एक सफल पत्रकार एवं प्रभावी सम्पादक थे। अखबारों के माध्यम से समाज में उन्नति होंगी, इस पर उन्हें विश्वास था। बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने पाँच पत्रिकाओं के माध्यम से देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे।

1. **मूकनायक** (1920)
2. **बहिष्कृत भारत** (1927)
3. **समता** (1928)
4. **जनता** (1930)
5. **प्रबुद्ध भारत** (1956)

आंबेडकर की एक सामाजिक–राजनीतिक सुधारक के रूप में विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में, उनके सामाजिक–राजनैतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है। उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों सामाजिक–आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्रवाई को प्रभावित किया है।

एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ही थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया। और इस महान कार्य को करते हुए उन्होने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी।

प्रस्तुतिः *हीरा बल्लभ भट*
सलाहकार (राजभाषा)
मुख्यालय, नई दिल्ली

मूकनायक

मूकनायक.

नमुन्याचा अंक. पाक्षिक पत्र.

बहिष्कृत भारत

वर्ष १ ले.] मुंबई, रविवार तारीख ३ माहे एप्रिल सन १९२७. [अंक १ ला.

डॉ. आंबेडकर ने पाँच पत्रिकाएं प्रकाशित की :

1. मूकनायक (31.01.1920)
2. बहिष्कृत भारत (03.04.1927)
3. समता (29.06.1928)
4. जनता (24.11.1930)
5. प्रबुद्ध भारत (04.02.1956)

पाक्षिक पत्र.

बहिष्कृत भारत.

समता

जनता
THE PEOPLE

प्रबुद्ध भारत
रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना होणार

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर

1. डॉ. बी आर आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू, इंदौर शहर के पास, मध्य प्रदेश में हुआ था। उस समय यह इलाका सेंट्रल प्रोविन्सस, (सीपी) में था।

2. डॉ. आंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता भारतीय सेना की महू छावनी (इंदौर के पास) में सेवा में थे और वहाँ काम करते हुये वो सूबेदार के पद तक पहुंचे थे।

3. डॉ. आंबेडकर का 14 अंक के साथ खास रिश्ता है। बाबा साहेब का जन्म 1891 में अप्रैल माह की 14 तारीख को हुंआ। बाबा साहेब अपने पिता श्री रामजी मालोजी सकपाल और माता श्रीमती भीमाबाई की 14 वीं व अंतिम संतान थे। (उन दिनों भारत में परिवारों के आकार बड़े होते थे क्योंकि कुछ बच्चे ही अपना जीवन पूरा कर पाते थे)।

7. डॉ. आंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स से डॉक्टरेट डिग्रियां भी अर्जित कीं।

8. **डॉ. आंबेडकर देश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश से बाहर जाकर अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की।** वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल डॉक्टरेट की पढ़ाई अपितु वे भारत के पहले डबल डॉक्टरेट भी थे। और **वह 9 भाषाएँ जानते थे।**

9. डॉ. आंबेडकर ने बड़ौदा के गायकवाड़ के सैन्य सचिव सहित कई पदों पर कार्य किया। **वे मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने।** वह बॉम्बे हाई कोर्ट में बैरिस्टर और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। उन्होंने **गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई के प्रिंसिपल** के रूप में भी काम किया।

की कुछ खास बातें

4. अपने भाइयों और बहनों में केवल डॉ. आंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल मे जाने में सफल हुए।

5. बाबा साहब का नाम आंबेडकर नहीं बल्कि अम्बाडवेकर था, जो उनके गांव के नाम ''अंबाडवे'' पर आधारित था। लेकिन उनके टीचर महादेव जिनका उनके साथ विशेष लगाव था उन्होंने उनका नाम बी. आर. आंबेडकर करा दिया। यह गाँव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की तालूका में है।

6. स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद डॉ. आंबेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था। उनको कक्षा के अन्दर बैठने की अनुमति नहीं थी, साथ ही प्यास लगने पर कोई व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था, क्योंकि उनको न तो पानी, न ही पानी के पात्र को स्पर्श करने की अनुमति थी।

10. **पानी के लिए सत्याग्रह** करने वाले एकमात्र नायक। यह 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड स्थान पर हुआ।

11. **गुरु नानक खालसा कॉलेज** माटुंगा, मुंबई की स्थापना करना डॉ. आंबेडकर का विचार था। 1935 में वो उच्च शिक्षा के लिए मुंबई में एक केंद्र या संस्थान स्थापित करना चाहते थे। अतः यह कॉलेज उनके विशेष प्रयत्नों से 1937 में स्थापित हुआ।

12. 1935 में **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया** के गठन में भी डॉ. बी आर आंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉ आंबेडकर द्वारा **'हिल्टन यंग कमीशन'** के समक्ष प्रस्तुत दिशानिर्देशों, कार्यशैली और दृष्टिकोण के अनुसार आरबीआई की अवधारणा की गई थी। जब यह आयोग **''भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग''** के नाम से भारत आया, तो इस आयोग के प्रत्येक सदस्य के पास डॉ आंबेडकर की पुस्तक थी। **''द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी – इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन''**

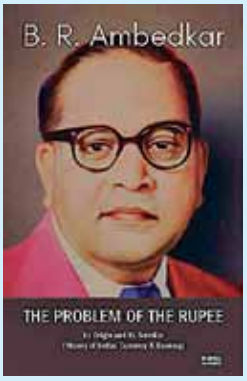

13. डॉ. आंबेडकर 20 जुलाई, 1942 से जून, 1946 तक **वाइसरॉय की एग्जीकुटिव** काउंसिल के **लेबर मेंबर** थे। इस हैसियत से उन्होंने कई श्रम सुधारों जैसे न्यूनतम वेतन, समान वेतन, सवैतनिक अवकाश आदि की व्यवस्था की।

14. भारत के संविधान निर्माता के तौर पर पहचान रखने वाले बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर स्वतंत्र भारत के **पहले कानून एवं न्याय मंत्री** थे। (15 अगस्त, 1947 से 11 अक्तूबर, 1951)। डॉ. आंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया क्योंकि हिंदू कोड बिल का उनका मसौदा, जिसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध थे, संसद में रुका हुआ था। यह बिल महिलाओं को विरासत और विवाह के कानूनों में समानता प्रदान कराता था।

15. उन्हें मार्च, 1952 में राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और उनके महापरिनिर्वाण तक वह सदस्य बने रहे।

21. डॉ. बी.आर. आंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान बुद्ध की एक पेंटिंग बनाई, जिसकी आंखें खुली थीं। इससे पहले, दुनिया भर में ज्यादातर मूर्तियों की आंखें बंद थीं।

19. डॉ शारदा कबीर मूल रूप से रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुका के दोरला गांव की रहने वाली थीं। **उनके पिता इंडियन मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार थे।** उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा पुणे में पूरी की और 1937 में मुंबई के **ग्रांट मेडिकल कॉलेज** से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। कुछ समय के लिए गुजरात के एक अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने के बाद, वह डॉ. मालवंकर के साथ काम करने के लिए मुंबई आई, जहाँ उनकी मुलाकात डॉ. आंबेडकर से हुई।

20. उनके महापरिनिर्वाण दिन 6 दिसम्बर, 1956 को डॉ. आंबेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती सविता आंबेडकर (माई) रह गईं थीं। 1956 में वो डॉ. आंबेडकर के साथ ही धर्म परिवर्तित कर बौद्ध बन गईं थीं। सविता आंबेडकर को उनको सतिकार के लिए "माईसाहब" के नाम से भी जाना जाता था। उनकी 94 वर्ष की आयु में उनकी संसारिक जीवन यात्रा वर्ष मई 2003 में पूर्ण हुई।

22. डॉ. आंबेडकर ने
मूकनायक (1920),
बहिष्कृत भारत (1927),
समता (1928),
जनता (1930) **और**
प्रबुद्ध भारत (1956)
जैसे समाचार पत्रों को प्रकाशित किया था।

16. 1948 से डॉ. आंबेडकर मधुमेह से पीड़ित रहे। जून से अक्टूबर, 1954 तक वो बहुत बीमार रहे इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों की परेशानियाँ का डॉ. आंबेडकर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता रहा और खराब होता चला गया और 1955 के दौरान स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्होंने लगातार दिन–रात अनथक काम किया।

17. बाबासाहेब की **ऑटोबॉयोग्राफी** का नाम **"वेटिंग फॉर ए वीजा"** है, जिसमें उन्होंने कई मामलों पर बेबाकी से अपनी बात कही है। यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए एक प्रेसकिराएब्ड पुस्तक है। पुस्तक को कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क के **प्रो. फ्रांसिस डब्ल्यू. प्रिटचेट** द्वारा कक्षा में उपयोग के लिए संपादित किया गया है।

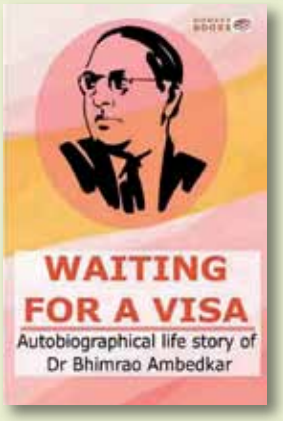

18. डॉ. आंबेडकर की पहली पत्नी का नाम रमाबाई था और शादी 1906 में हुई। उनको पढ़ने के लिए उन्होने स्वयं प्रेरित किया। उनके 1935 में निधन के कई वर्ष बाद दूसरी शादी डॉ. सविता आंबेडकर से 15 अप्रैल, 1948 को नई दिल्ली में हुई। उनका पहला नाम शारदा कबीर था और वह एक डॉक्टर थीं और एक ब्राह्मण परिवार से संबन्धित थीं। वह 1947 में डॉ आंबेडकर के संपर्क में आईं, जब वे मधुमेह और रक्तचाप से पीड़ित थे।

23. **"कास्ट्स इन इंडिया"** (प्रकाशन – मई, 1917): **"उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास"** नामक एक पेपर 9 मई, 1916 को न्यूयॉर्क में **अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर** की **आर्कियलोजी सेमीनार** में डॉ. आंबेडकर द्वारा पढ़ा गया था। इसे बाद में मई, 1917 में **"इंडियन अंटिकुयरी"** के **खंड XLI** में प्रकाशित किया गया था। 1979 में, महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने इस लेख को **आंबेडकर के लेखन और भाषण खंड 1** के संग्रह में प्रकाशित किया। बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया।

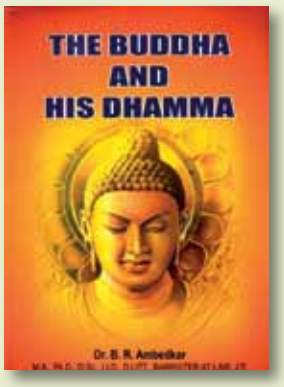

24. बाबासाहेब ने कहा था, ''सकारात्मक रूप से, मेरी **'सोशल फिलोसोफी'** को तीन शब्दों में निहित कहा जा सकता है: **स्वतंत्रता, समानता** और **बंधुत्व**। फिर भी कोई यह न कहे कि मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से उधार लिया है। मैंने नहीं लिया। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं न कि राजनीति विज्ञान में। मैंने उन्हें अपने गुरु, बुद्ध की शिक्षाओं से प्राप्त किया है। उन्होंने स्वतंत्रता या समानता या बंधुत्व से इंकार के खिलाफ एकमात्र वास्तविक सुरक्षा के रूप में **'बंधुत्व'** को सर्वोच्च स्थान दिया जो भाईचारे या मानवता का दूसरा नाम ही था, जो फिर से धर्म का दूसरा नाम था।"

25. डॉ. आंबेडकर ने सबसे पहले बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन का सुझाव दिया था।
अपनी पुस्तक 'थौट्स ऑन लिंगुइस्टिक स्टेट्स' (1955) में, डॉ. आंबेडकर ने मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करने का सुझाव दिया। पुस्तक लिखने के 45 साल बाद, विभाजन 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ के पुर्नगठन से हुआ।

प्रस्तुतिः *सुश्री पूनम रानी*
क.हि.अ.
मुख्यालय, नई दिल्ली

(पृष्ठ लेआउट परिकल्पनाः के एस रामुवालिया)

"अपने मिट्टी के मोल जीवन को सोने जैसे दिन प्राप्त हों..."

बाबासाहेब की जुबानी जीवन बदलने वाले तीन एपिसोड

रविवार 17 मई, 1936 के दिन कल्याण में डॉ. आंबेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य माने गए समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। परिषद के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर मुंबई से आने वाले थे। इसीलिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को देखने की उत्सुकता से सौ–सवा सौ गांवों से आया करीब तीन–चार हजार का जनसमुदाय स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी के आने का इंतजार करते हुए खड़ा था। दोपहर 3 बजे डॉ. बाबासाहेब के कल्याण स्टेशन पर उतरते ही फूलों की माला पहना कर उनका स्वागत किया गया।

सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान डॉ. आंबेडकर ने कहा, "मैं धर्मांतरण के बारे में अपनी जिंदगी में घटी घटनाओं के आधार पर आपको बता सकता हूँ। मेरी ही तरह आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी होगी। ये ऐसी घटनाएं हैं, जिन्होंने मेरे मन पर हमेशा के लिए छाप छोड़ी है। आज में उनमें से दो–तीन बातें आपको बताने वाला हूँ।"

पहली घटना

डॉ. आंबेडकर ने संबोधन करते कहा, "मेरा जन्म इंदौर के महू में हुआ। उस समय मेरे पिताजी सेना में थे। वे सुबेदार के पद पर तैनात थे। सेना के साथ ही हम लोग रहते थे, इसलिए बाहर की दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं था। इसलिए अस्पृश्यता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पिताजी ने जब अवकाश प्राप्त किया तब हम सब सातारा में आकर रहे। मैं पांच साल का था तभी मेरी मॉ गुजर गई।

सातारा जिले में कोरेगांव में अकाल पड़ा था इसलिए सरकार ने अकाल के कुछ काम निकाले थे। उस समय एक तालाब बनाया गया। इस तालाब का काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह बांटने के काम पर मेरे पिताजी की नियुक्ति की गई। हम चार बच्चे सातारा में रहते थे और अपने काम के कारण पिताजी गोरे गांव गए। करीब–करीब चार–पांच साल हमने केवल चावल खाकर बिताए।

सातारा आने के बाद हमें अस्पृश्यता के बारे में अहसास होने लगा। सबसे पहली बात मुझे याद है कि हमारे बाल काटने के लिए नाई नहीं मिल रहा था। हम बड़ी मुश्किल में फंसे। फिर मेरी बड़ी बहन ने हम सबको बरामदे में बैठा कर बाल काटना शुरू किया। वह अभी भी जीवित है। सातारा में इतने नाई होते हुए भी वे हमारी हजामत क्यों नहीं करते, यह मुझे पहली बार पता चला।

जीवन का दूसरा वाक्या

डॉ. आंबेडकर ने दूसरी घटना के बारे कहा, "दूसरा वाक्या था जब हम सतारा में थे तब हमारे पिताजी हमें खत लिखा करते थे। उन्होंने एक बार हमें कोरेगांव आओ इस आशय का खत भेजा था। हम रेल में बैठ कर कोरेगांव जाएंगे, इस बात से मैं बहुत खुश था। तब तक मैंने रेल देखी नहीं थी। पिताजी के भेजे पैसों से हमने अच्छे कपड़े

काल्पनिक चित्र

बनवाए। फिर मैं मेरा भाई तथा बहन के बच्चे हम सब पिताजी से मिलने निकले।

निकलने से पहले पिताजी के नाम खत भेजा था लेकिन नौकर की लापरवाही के कारण वह उन्हें मिला नही था। इसलिए हम कोरेगांव कब पहुंच रहे हैं यह उन्हें पता नहीं चला। हम लोग खुश थे कि हमें लेने के लिए पिताजी नौकर भेजेंगे। लेकिन हमें निराश होना पड़ा। रेल से उतरकर हमने नौकर की राह देखी। मेरे कपड़े ब्राह्मणों की तरह थे। गाड़ी आकर निकल गई। आधे–पौने घंटे तक हम स्टेशन पर खड़े इंतजार करते रहे।

स्टेशन पर हमारे अलावा कोई नहीं था। हम सब बच्चे ही थे इसलिए स्टेशन मास्टर हमारे पास आकर हमसे पूछने लगा कि आप कौन हैं? आपको कहाँ जाना है? बगैरा। हम महार हैं कहते ही स्टेशन मास्टर को जैसे करंट लग गया हो। बिदक कर वह पांच–छह कदम पीछे हटा। इसके बावजूद हमारे कपडों के कारण हम अच्छे खाते–पीते घर के महार है, यह उसने पहचाना। हमारे लिए गाड़ी बुलाने का निर्णय उन्होंने लिया। लेकिन शाम के छह–सात बजे तक कोई गाड़ी वाला हमें इसलिए ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हम महार थे।

आखिर एक गाड़ी वाला तैयार हुआ लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह खुद गाड़ी नहीं चलाएगा। सेना में रह चुका था, इसलिए गाड़ी हॉक कर ले चलना मुझे कठिन नहीं लगा। हम मान गए, तब गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेकर आया। फिर हम गोरे गांव की राह पर चल पड़े।

गांव से बाहर काफी दूरी पर एक नाला था। आप लोग यही रोटी खा लीजिए, आगे आप लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। गाड़ी वाले ने कहा। हम नीचे उतरे, हमने रोटियां खाई। नाले का पानी इतना गंदा था, उसमें बड़ी मात्रा में गोबर मिला हुआ था। इतने में गाड़ी वाला कहीं से रोटी खाकर आया। फिर हमारी गाड़ी चलने लगी। काफी रात बीतने के बाद गाड़ी वाला धीमे से गाड़ी में आकर बैठा। रास्ते पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई भी आदमी नहीं। हमें रोना आ गया। इस तरह रात के बारह बजने तक हमने सब्र किया। मन में तरह–तरह के

सतारा से कोरेगांव का ट्रेन मार्ग

ख्याल आ–जा रहे थे। लगा कि हम कभी भी कोरेगांव नहीं पहुंचेंगे।

इतने में एक टोल नाके पर हमारी गाड़ी पहुंची। हम सब उसमें से फटाफट कूदे। रोटी खाने के लिए टोल नाके के आदमी से पूछताछ की। मै पर्शियन भाषा अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उस आदमी से बोलने में कोई कठिनाई नहीं आई। लेकिन उसने मुझे बड़े ही घमंडपूर्ण तरीके से जवाब दिए और पानी के बारे में पूछने पर सामने वाले पहाड़ की तरफ हाथ दिखाया। आखिर जैसे–तैसे हमने टोल नाके पर रात बिताई। सुबह फिर से गाड़ी से निकले और दोपहर में अधमरी सी हालत में कोरेगांव आकर पहुंचे।"

जीवन की तीसरी घटना

डॉ. आंबेडकर ने तीसरी घटना के बारे कहा, "मेरे जीवन की जो तीसरी घटना है मैं आपको बताने वाला हूँ, वह बडौदा सरकार के यहाँ मैंने जो नौकरी की थी, उससे संबंधित है। बडौदा सरकार से स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा ली। वहाँ से लौटने के बाद मुझे स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक बडौदा संस्थान में नौकरी करनी

थी। लेकिन बड़ौदा में रहने के लिए मुझे एक भी घर नहीं मिला। हिंदू अथवा मुसलमान कोई भी मुझे रहने की जगह देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर पार्सी बनकर एक पार्सी सराय में रूकने की सोची। विलायत से लौटा तब मैं गोरा और रौबदार दिखाई देने लगा था।

आखिर में एदलजी सोराबजी के नाम से एक पार्सी सराय में रहने लगा। रोज के दो रूपयों के हिसाब से सराय का रखवालदार मुझे वहां रहने के लिए जगह देने को तैयार हुआ। इससे पहले ही बडौदा संस्थान के मालिक एक पढ़ा–लिखा महार का बच्चा ले आए हैं, यह बात लोगों में फैल चुकी थी। मैं पार्सी बनकर सराय में ठहरा था, इस बात से लोगों को मुझ पर शक हुआ और आखिर मैं ही वह हूँ इस बात का उन्हें पता चला।

दूसरे दिन मैं खाना खाकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ था तभी पंद्रह–बीस पार्सी लोग हाथ में लाठिया लेकर मुझे मार डालने के इरादे से आ गए। उन्होंने पहले मुझसे पूछा 'कौन हो तुम?' मैंने सिर्फ 'मैं हिंदू हूँ', यह जवाब दिया। लेकिन इस जवाब से उनकी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने तू–तू मैं–मैं करते हुए मुझसे तुरंत उस जगह को खाली करने के लिए कहा। अपने धीरज का तब मुझे बड़ा सहारा मिला। मैंने बिना डरे उनसे आठ घंटे की मोहलत मांगी।

पूरा दिन मैं अपने लिए रहने की जगह खोजता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी रहने लायक जगह नहीं मिली। कई दोस्तों के यहां गया। सबने कोई ना कोई कारण बता कर मुझे चलता कर दिया।

मैं आखिर इस कदर ऊब गया कि आगे क्या किया जाए, यही मेरी समझ में नहीं आया। एक जगह मैं नीचे बैठ गया। मेरा मन बड़ा दुखी था। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। *(उस समय को याद कर अब भाषण देते हुए डॉ. बाबासाहेब की आंखों से आंसू बहने लगे। अस्पृश्यता की अग्नि से उनका अंतःकरण झुलस–सा गया था।)*

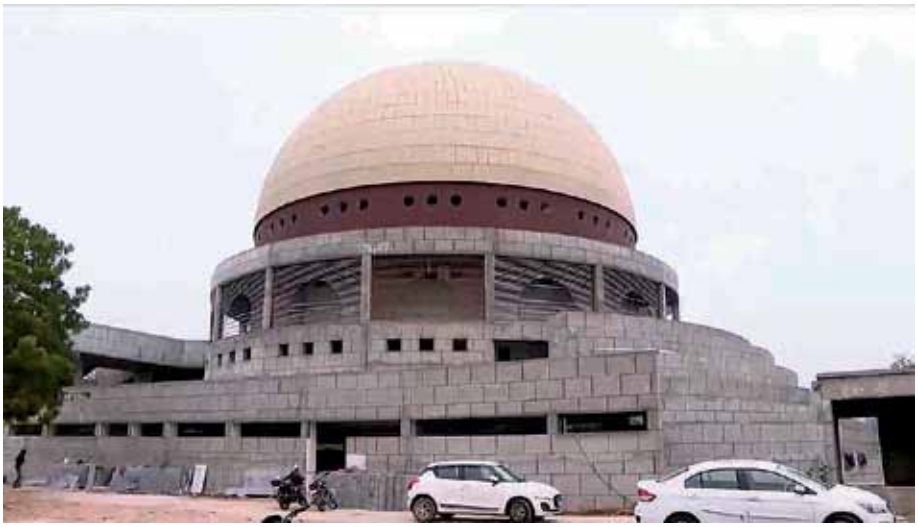

बड़ौदा में निर्माणाधीन स्मारक

आखिर कोई इलाज न पाकर बडौदा की नौकरी छोड़कर रातों–रात मुझे मुंबई आना पड़ा। मेरे साथ जो कुछ गुजरा कुछ वैसा ही आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा। इसीलिए कहता हूँ कि जिस समाज में इंसानियत नहीं, हमारे लिए कोई जगह नहीं उस समाज में बिना–वजह मान–हानि झेलते हुए रहने का कोई मतलब नहीं।

कामती बाग से स्टेशन की दूरी

अपने मिट्टी के मोल जीवन को सोने के दिन दिखाने के लिए

डॉ. आंबेडकर ने आगे कहा, "अपने मिट्टी के मोल जीवन को सोने के दिन दिखाने के लिए मुझे धर्मांतरण करना जरूरी लग रहा है। आपकी हालत में सुधार लाने के लिए मुझे अपने सहयोगी दोस्तों से जरूर सहायता मिलेगी इसका मुझे यकीन है। आपको काबिल बनाने के लिए मुझे धर्मांतरण करना है। अपने हित के बारे में चिंता करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, उस बारे में मैं बिल्कुल बेफिकर हूँ।"

डॉ. आंबेडकर आगे कहते हैं, "आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह आप लोगों के हित के लिए कर रहा हूँ। मुझे आप ईश्वर मानते हैं। लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ। मुझ से आप जो भी मदद पाना चाहते हैं, वह देने के लिए मैं तैयार हूँ। **मैंने तय किया है कि आपकी आज की जो हालत है, उससे मैं आपको मुक्ति दिला दूं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। आपको काबिल बनाने की कोशिशें मैं बस करता रहूंगा। आप अपने हालात के बारे में जान लीजिए। मैं जो राह दिखा रहा हूँ उसे अपनाइए। इससे आपका हित साध्य होगा और आपकी काबिलियत सामने आएगी।"**

प्रस्तुतिः के. एस. रामुवालिया
प्रधान निदेशक
डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण वाड्मय खंड 38
(से अनुकूलित)
साभारः डॉ. भीमराव आंबेडकरः लेख तथा वक्तव्य भाग-1 (वर्ष 1920-1935) संस्करण 2020,
सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रालय,
भारत सरकार

क्या है संकल्प भूमि का महत्व?

पारसी सराय वड़ोदरा (बड़ौदा) और वह जगह जहाँ उन्होंने ट्रेन पकड़ने के लिए समय बिताया

संकल्प भूमि वड़ोदरा के प्रतिष्ठित सयाजीबाग (कामती बाग) उद्यान के अंदर का वो स्थान, जहाँ डॉ बी आर आंबेडकर ने 23 सितंबर, 1917 को भारत में सभी वंचित, पीड़ित और शोषित समाज के ''जीवन को बदलने'' का संकल्प लिया था।

इंग्लैंड से लौटने पर डॉ. आंबेडकर वड़ोदरा पहुंचे थे और एक पारसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, जहां उनका अपमान किया गया और उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने उसी क्षण 23 सितंबर, 1917 को वड़ोदरा से मुंबई लौटने का संकल्प लिया, लेकिन उनकी ट्रेन लगभग पांच घंटे लेट होने के कारण उन्हें ट्रेन के इंतजार में अपना समय सयाजीबाग में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बगीचे के अंदर बरगद के पेड़ के नीचे बैठना चुना, जिसे आज दुनिया भर में संकल्प भूमि के रूप में जाना जाता है। यहीं पर उन्होंने देश में वंचित, पीड़ित और शोषित वर्ग के लोगों के साथ होने वाले व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया था।

संकल्प–दिवस बाबासाहेब डॉ आंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को सभी वंचित, पीड़ित और शोषित समाज को धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों और प्रताड़नाओं से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बाबासाहेब ने खुद और उनके परिवार ने इतने दुख और दर्द झेले कि आज करोड़ों लोग उन्हीं के जीवन भर प्रयासों के कारण धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आजादी के साथ जीवन जी रहे हैं। ऐसे महामानव, राष्ट्रनायक, संविधान रचियता, भारत–रत्न बाबासाहेब डॉ आंबेडकर को कोटि कोटि नमन...

पारसी सराय वाली जगह पर अब ये भवन मौजूद है

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के जीवन के रोचक प्रसंग (1)

अमेरिकी महानतम हस्तियां थी उनकी प्रोफेसर

डॉ. आंबेडकर की शैक्षिक योग्यताएं उन्हें अपने समय के साथियों और नेताओं से अलग करती है। कम ही लोग जानते हैं कि वह स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे, एक ऐसे व्यक्ति, जिनका **'आइडिया ऑफ इंडिया'** आज भी प्रासंगिक है।

उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया युनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह लंदन चले गए, जहां उन्होंने बार–एट–लॉ की डिग्री के साथ–साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी और डॉक्टरेट के लिए पंजीकरण कराया। छात्रवृत्ति समाप्त होने पर उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और भारत लौटना पड़ा। पर उन्हें डिग्री पूरी करने के लिए चार साल की मोहलत मिल गई थी।

सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में थोड़ा सी बचत करने के बाद, आंबेडकर अर्थशास्त्र में अपनी डीएससी पूरी करने के लिए लंदन लौट आए। अपनी थीसिस के संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हुए, उन्होंने बॉन युनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ने में कुछ महीने बिताए। इस बीच, उन्होंने स्वयं फ्रेंच और जर्मन का अध्ययन करना शुरू कर दिया था।

डॉ. आंबेडकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति हैं। उनके पास 4 डॉक्टरेट की डिग्रीयों का दुर्लभतम गौरव है। ***कोलंबिया युनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में डॉ. आंबेडकर की पीएचडी को कोलंबिया की सबसे प्रभावशाली पीएचडीयों में से एक माना जाता है।***

उन्होंने उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी हैं और उनकी आत्मकथा ''वेटिंग फॉर ए वीजा'' को कोलंबिया युनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वह भारत में व्याप्त भेदभाव और छुआछूत की बुराइयों के खिलाफ खड़े हुए और महिलाओं सहित दबे–कुचले लोगों की गरिमा के साथ जीवन यापन की वकालत की और इस तरह आम लोगों के सच्चे नेता बन गए।

'सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों के आजीवन चैंपियन' डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने 1917 में कोलंबिया युनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी और 1952 में मानद उपाधि प्राप्त की।

किस लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है उन्हें

डॉ. आंबेडकर हिंदू समाज के सबसे निचले पाएदान के वर्ग के पहले उच्च शिक्षित, राजनीतिक रूप में प्रमुख सदस्य थे। उन्हें शोषित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक मान्यता के लिए औपनिवेशिक भारत के एकमात्र स्वायत्त संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए एवं उनके व्यापक लेखन के लिए जिसने जाति को असमानता और ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की और भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिससे उन्होंने लोकतांत्रिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई नीति के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर एक गहरी और अमिट छाप छोड़ कर नया इतिहास रचा है।

अमेरिकी महानतम हस्तियां थी उनकी प्रोफेसर

कोलंबिया युनिवर्सिटी में एक छात्र के रूप में डॉ. बी आर आंबेडकर ने इंटर–वार अमेरिकी उदारवाद की कुछ महानतम हस्तियों, जैसे जॉन डेवी और एडवर्ड सेलिगमन और प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकारों जेम्स शॉटवेल और जेम्स हार्वे रॉबिन्सन के साथ अध्ययन किया। जॉन डेवी, एक महान अमेरिकी दार्शनिक और शैक्षिक सुधारक जो कोलंबिया युनिवर्सिटी में डॉ. आंबेडकर के बौद्धिक संरक्षक थे। उनके मार्गदर्शन में, आंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपने विचारों का खाका तैयार किया।

उन्होंने 1930 में *न्यूयॉर्क टाइम्स* को बताया, ***''कोलंबिया में मेरे कुछ सहपाठी और मेरे महान प्रोफेसर मेरे जीवन में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं।''***

–(कोलंबिया एलुम्नी न्यूज यूएसए 1930)

अपने समकालीन, डब्ल्यू ई बी डू बोइस की तरह, आंबेडकर एक विद्रोही विचारक थे जिनके लेखन ने लगातार यूरोपीय और अमेरिकी इतिहास और राजनीतिक विचारों को शामिल किया।

इससे उन्हें राजनीतिक अवधारणाओं की सार्वभौमिकता का पता लगाने के साथ–साथ अन्याय और अमानवीकरण के अपने इतिहास के संबंध में यूरो–अमेरिका के अंधकारमयी इतिहास को उजागर करने का मौका मिला। आंबेडकर के विचारों का यह दोहरा रूप है–इसकी गहरी वैश्विकता, साथ ही अस्पृश्यता के विशिष्ट संकट के साथ इसकी निरंतर चिंता है जो उन्हें अपनी पीढ़ी के अन्य उपनिवेशवाद विरोधी विचारकों से अलग करती है।

1936 में, डॉ. आंबेडकर ने उदार हिंदू जाति–सुधारकों के एक समूह की 1936 की बैठक के लिए *"एनिहिलेशन ऑफ कास्ट"* लिखा। परंतु उनके भाषण का मसौदा देखने के बाद उस समूह ने अपना निमंत्रण वापस ले लिया। नतीजतन, आंबेडकर ने खुद यह काम प्रकाशित किया, और यह शीघ्र ही उत्कृष्ट कृति बन गया।

कोलंबिया युनिवर्सिटी के **सेंटर फॉर न्यू मीडिया टीचिंग एंड लर्निंग** ने उनके *"एनिहिलेशन ऑफ कास्ट"* वेबसाइट पर काम का एक एनोटेट संस्करण प्रदान किया है।

कोलंबिया युनिवर्सिटी की 250वीं वर्षगांठ 2004 में मनाई गई थी, जिसकी वेबसाइट पर डॉ. आंबेडकर की प्रोफाइल भी प्रकाशित की है जिसमें उन्हें उन महान हस्तियों में शामिल किया गया जिन्होंने दुनिया में ऐतिहासिक प्रभाव छोड़ा है।

'स्वतंत्रता', 'समानता' और **'बंधुत्व'** के विचारों के आधार पर लोकतांत्रिक न्याय के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर डॉ. आंबेडकर के विचारों को 8 दिसंबर 2010 को **अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा** द्वारा भारत की संसद में संबोधन के दौरान वर्णित किया गया था।

राष्ट्रपति ओबामा ने भारतीय संविधान और भारतीय समाज में डॉ. आंबेडकर के योगदान का जिक्र करते हुए कहा:

"हमारा मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहां से आते हैं, हर व्यक्ति अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमता को पूरा कर सकता है। जिस तरह डॉ. आंबेडकर जैसा खुद को ऊपर उठा सकता है और संविधान के उन शब्दों को कलमबद्ध कर सकता है जो सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

(उसी तरह) हमारा मानना है कि आप चाहे कहीं भी रहते हैं – चाहे पंजाब का गांव हो या चांदनी चौक की गलियाँ, कोलकाता का एक पुराना हिस्सा या बैंगलोर में कोई नई ऊंची इमारत –

हर व्यक्ति को
सुरक्षा और गरिमा के साथ जीने,
शिक्षा प्राप्त करने,
काम ढूंढने
और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का
एक मौका मिलना ही चाहिए।"

विल्सन स्कूल के प्रधानाध्यापक
पी. वी. कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर,
एक विद्वान और लेखक थे और
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के
महत्वपूर्ण शुभेच्छु

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर
*के **प्रख्यात जीवनी लेखक***
चांगदेव भवनराव खैरमोडे
(1904–1971)

एल्फिंस्टन स्कूल की पुरानी तस्वीर

महाराष्ट्र के रत्नागिरि तालुका में गांव

आंबडवे गांव में बाबा साहेब का स्मारक

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के जीवन के रोचक प्रसंग (2)

कैसे लिखी गई बाबासाहेब की जीवन कथा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के प्रख्यात जीवनी लेखक – **चांगदेव भवनराव खैरमोडे** (1904–1971) ने 1923 में बाबासाहेब आंबेडकर की जीवनी लिखने की परियोजना को शुरू किया था और उन्होंने 1971 में परलोक सुधारने से पहले इसे पूरा कर लिया था। *'डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का चरित्र (डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की आत्मकथा)' 15 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इनमें से पहला खंड 1952 में प्रकाशित हुआ था, जब बाबासाहेब जीवित थे। नियोजित 15 खंडों में से, पहले 5 प्रकाशित किए गए थे, जब खैरमोडे जीवित थे।* उनके निधन के बाद, उनकी उच्च शिक्षित पत्नी द्वारका बाई ने अगले खंड को संपादित करने का कठिन काम अपने हाथ में लिया और बाधाओं के बावजूद अदभुत परिश्रम करके इसे पूर्ण किया। शेष खंडों के प्रकाशन की जिम्मेदारी शुरू में 'सुगव प्रकाशन' द्वारा ली गई थी।

खंड 1 में, वह लिखते हैं-

"भीमराव के बचपन का उपनाम भीवा था। भीवा ने एल्फिंस्टन में अपने समय के दौरान तबला बजाने का कौशल हासिल किया। वह अपनी प्रस्तुति के दौरान तबला बजाते। गोकुलाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उस समय, बच्चे शारदा नाटक में अभिनय करते थे। भीवा ने इस नाटक को प्रस्तुत किया था।"

वह आगे लिखते हैं:–"शेक्सपियर के नाटक *'किंग लियर'* पर आधारित भीवा ने *'द गुड गर्ल'* नामक एक नाटक लिखा था, और जब उन्होंने बच्चों को अभिनय कराया और इसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो इसे बहुत सराहा गया।"

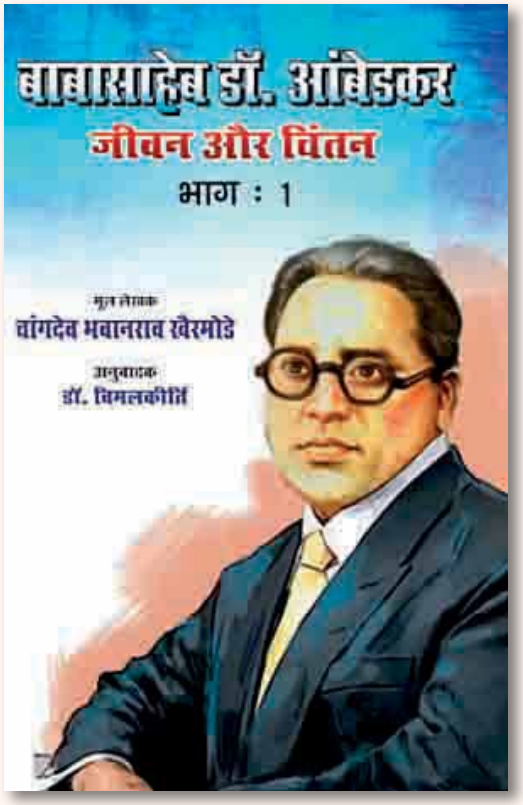

मास्टर आंबेडकर के मार्गदर्शन में मराठी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, भीवा ने 7 नवंबर 1900 को सतारा हाई स्कूल के अंग्रेजी माध्यम की पहली कक्षा में दाखिला लिया था।

कैसा था बाबासाहेब आंबेडकर का अपने अध्यापक से रिश्ता

डॉ. आंबेडकर ने अपने जीवनी लेखक **भवनराव खैरमोडे** को बताया:

"हमारे पास 'आंबेडकर' नाम का एक ब्राह्मण मास्टर था। वह हमें ज्यादा कुछ नहीं सिखाता था। लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता था। लंच ब्रेक के दौरान खाने के लिए मुझे अपने घर जाना पड़ता था जो स्कूल से काफी दूर था। यह आंबेडकर के शिक्षक को पसंद नहीं था। लेकिन केवल उस समय के लिए ही मैं बाहर घूमने के लिए स्वतंत्र होता था, क्योंकि मुझे कुछ रोटी लेने के लिए लंच ब्रेक के दौरान घर जाने में बहुत मजा आता था। लेकिन हमारे गुरु को एक विचार आया। वह कुछ रोटी और सब्जियां पैक करके लाते थे, और हर दिन, बिना कोई दिन छोड़े, दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान, वह मुझे बुलाते थे और मुझे अपने मिश्रित भोजन से कुछ रोटी और सब्जियां देते थे। बिना शारीरिक संपर्क किए, वह रोटी और सब्जियों को ऊपर से ही मेरे हाथों में छोड़ देते थे। मुझे गर्व होता है जब मैं यह कहता हूं कि प्यार की उन रोटी और सब्जियों की मिठास बेदाग है।"

आंबेडकर अध्यापक उनके पहले शिक्षक थे। उनके बारे में, डॉ. आंबेडकर ने बड़े सम्मान के शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा:

"जब मैं गोलमेज सम्मेलन के लिए विदेश जाने के लिए निकला था, उस समय उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यार भरा पत्र भेजा था। मेरे द्वारा संग्रहण किए गए कुछ सामान में यह भी है। अगर कभी भविष्य में, आत्मकथा लिखने की बात दिमाग में आती है, तो मैं इसे उसमें प्रकाशित करूंगा।"

(डॉ. आंबेडकर के अपने पहले अध्यापक के बारे में विचार नवयुग के 13–4–1947 को छपे एडिशन के हवाले से हैं।)

शाम 5 बजे की बागीचे में हुई बैठकों ने आगे मार्ग प्रशस्त किया

महाराज सयाजी गायकवाड (तृतीय), बड़ौदा

भवनराव खैरमोडे जीवनी लेखक लिखते हैं–

"स्कूल के दिनों के वह शिक्षक 1927 में बाबासाहेब से मिलने आए थे। उस समय बाबासाहेब का कार्यालय दामोदर हॉल के पीछे एक स्कूल की इमारत के भूतल पर था।

शिक्षक के कार्यालय में प्रवेश करते ही बाबासाहेब तुरंत उठकर खड़े हो गए और भावनात्मक रूप से द्रवित स्वर में *''मास्टर''* शब्द का उच्चारण किया और अदब से झुक गए।

अपनी आँखें पोंछते हुए, शिक्षक ने अपने प्रतिष्ठित छात्र से कहा, *''तुम हमेशा के लिए जीवित रहो बेटा,''* उसे यह आशीर्वाद देते हुए मैंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है।

बाबासाहेब के महान पुस्तकालय को गौर से देखते हुए मास्टर जी सिर हिला रहे थे। **बाबासाहेब ने आंबेडकर मास्टर जी के लिए कपड़ों का एक सूट बनवाया, और उन्हें गुरुदक्षिणा के रूप में 25 पैसे दिए।"**

केलुस्कर: एक ख़ास शुभेच्छु, जिनका बाबासाहेब की जिंदगी में रहा अहम रोल

हाईस्कूल से छुट्टी खत्म होने के बाद भीवा चरनी रोड स्थित बगीचे में जाकर कुछ विविध पढ़ाई करने जाता था। उस समय, विल्सन स्कूल के प्रधानाध्यापक पी. वी. कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर, एक विद्वान और लेखक थे जो पढ़ने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर बैठने के लिए शाम 5 बजे बगीचे में आते थे। भीवा को कई बार देखने के बाद केलुस्कर ने आकर उससे बात की और उसकी कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। केलुस्कर ने भीवा को विधिवत रूप से पढ़ने का तरीका समझाया, और उन्हें किताबें प्रदान कीं....तब से, भीवा ने बड़े पैमाने पर पढ़ना शुरू कर दिया और वे केलुस्कर के बहुत करीब आ गए।

25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति

बाद में केलुस्कर ने भीवा को बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी महाराज से मिलने की व्यवस्था की। महाराज ने भीमराव से कुछ प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने बडे ही अच्छे–तरीके से उत्तर दिए। इस पर महाराज प्रसन्न हुए, और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाने के लिए 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति का वादा किया। 3 जनवरी, 1908 को भीवा द्वारा एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया गया। बाद में उन्होंने अपने जीवनी लेखक से कहा: *''हमारे एल्फिंस्टन कॉलेज में, उस समय, प्रोफेसर ओसवाल्ड मुलर, प्रिंसिपल कवरेंटन, प्रोफेसर जॉर्ज एंडरसन, जैसे अच्छे प्रोफेसर थे ...''*

The first Round Table Conference: 16th November 1930 to 19th January 1931. Ambedkar is sitting in the first row left.

गोलमेज सम्मेलनों के यादगारी चित्र

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के जीवन के रोचक प्रसंग (3)

1914 की एक रात का एक दृढ़ संकल्प

1913 कोलंबिया युनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के प्रख्यात जीवनी लेखक खैरमोडे लिखते हैं-

"आंबेडकर को 1913 में कोलंबिया युनिवर्सिटी के राजनीति विभाग में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में शामिल होने के लिए तीन साल के लिए प्रति माह 11.50 ब्रिटिश पाउंड की बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति सयाजीराव गायकवाड़ (3) से प्राप्त हुई।

22 साल की उम्र में, युवा आंबेडकर जुलाई में तीसरे सप्ताह के दौरान कोलंबिया युनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क आए, और यहाँ उन्होंने बौद्धिक और व्यक्तिगत संबंध बनाने शुरू कर दिये, जिसने उनके शेष जीवन को आकार दिया। उन्होंने अनुभव किया – एक समय के लिए – कि छुआछूत के कलंक से मुक्त होने का क्या मतलब होता है।

वह एक ग्रेजुएट छात्र के रूप में उस समय कहें जाने वाले ग्रेजुएट स्कूल कोलंबिया युनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग में शामिल हुए, जहां उन्होंने ***प्रोफेसर सेलिगमन, क्लार्क, सीगर, मूर, मिशेल, चाडविक, सिमकोविच, गिडिंग्स, डेवी और गोल्डनवाइजर के अंतर्गत कार्य किया।***"

धनंजय कीर अपनी किताब *"डॉ. आंबेडकर: लाइफ एंड मिशन"* में लिखते हैं:

"कोलंबिया में अध्ययन की शुरुआत में, भीमराव को **हार्टले हॉल** में रहने की जगह मिली थी। वह, कुछ बदलावों के बाद, अपने दोस्त **नवल भथेना,** जो कि एक पारसी था, के साथ लिविंगस्टन हॉल **(अब वालॅच हॉल)** में रहे। दोनों की दोस्ती जीवन भर बनी रही।"

बाबासाहेब के सबसे अच्छे दोस्त

एक अल्पज्ञात पारसी व्यक्ति नवल भथेना के साथ बाबासाहेब आंबेडकर की स्थायी और आजीवन दोस्ती अमेरिका में कोलंबिया में रहते समय 1913 में हुई थी और जो दोनों दोस्तों के जीवन पथ अलग–अलग होने के बावजूद सारी उम्र बनी रही। आंबेडकर जातिगत भेदभाव के कठोर अनुभवों के साथ पले–बढ़े थे।

नवल भथेना, जातिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त, एक मित्र और सह–परोपकारी के रूप में हमेशा पेश आए।

बाबा साहेब कोलंबिया युनिवर्सिटी में कुछ समय हार्टले हॉल में रहे। फिर बाकी का सारा समय लिविंगस्टन हॉल (अब वालॅच हॉल) में रहे। यही पर उनकी अपने आजीवन पारसी दोस्त नवल भथेना से मुलाकात हुई थी। दोनों की दोस्ती जीवन भर बनी रही।

1914–एक रात का एक दृढ़ संकल्प

बाबासाहेब ने अपने जीवनी लेखक को, बाद के वर्षों में, न्यूयॉर्क में अपने शुरुआती महीनों के बारे में बताया – कैसे उन्होंने पहले कैंपस जीवन के सामाजिक पक्ष का आनंद लिया था, लेकिन फिर एक रात एक दृढ़ संकल्प लिया, और पूरी ईमानदारी से अध्ययन करना शुरू कर दिया ...

''खंड–1 में'', भवनराव खैरमोडे लिखते हैं, ''जब भीमराव को विदेश जाने का अवसर मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे. लेकिन जब वे न्यूयॉर्क गए तो इस संकल्प को भूल गए। जब वे सतारा और बंबई में थे, तब वे उच्च जाति के छात्रों के साथ घुलमिल नहीं पाते थे। वह उनके साथ खेलों में शामिल भी नहीं हो सकते थे। न्यूयॉर्क में, वह अन्य छात्रों के साथ रहने और भोजन करने में सक्षम थे। भारतीय और अमेरिकी छात्रों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल था, और वे मैत्रीपूर्ण भाव से रहते थे। बिना किसी झिझक के युवा भीमराव ने कई लीलाओं में भाग लिया। छात्रों ने एक साथ नृत्य किया, टेनिस, बैडमिंटन खेला और अन्य लोकप्रिय गतिविधियों का आनंद लिया।

इसमें और कई अन्य मनोरंजक गतिविधियों में भीमराव ने पहले चार या पांच महीने बिताए। उन्होंने सोचा कि एम.ए. और पी.एच.डी. जीवन का आनंद लेते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है, तो वह पढ़ाई में खुद को बहुत परेशान क्यों करें? तदनुसार, वह दोपहर 2:00 बजे तक दोस्तों के साथ बातें करते और मनोरंजन करते रहते थे।

लेकिन एक रात, लगभग 3 बजे के आसपास सारी चिट–चैट खत्म करने के बाद, वह बिस्तर पर लेट गए और स्वयं से प्रश्न करने लगे, ''मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने अपने परिवार के प्यार करने वाले सदस्यों को हजारों मील दूर छोड़ दिया और यहाँ आया पढ़ने के लिए – और मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को दरकिनार करके अपना मनोरंजन कर रहा हूं – और वह भी, सरकार के पैसे पर! यदि मैं, मुझे दिए गए अवसर का सदुपयोग करूँ, तो मैं अपने लिए एक बड़ा नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकूँगा। केवल डिग्री प्राप्त करना अपने आप में किसी काम का नहीं है। ''.... सुबह 5 बजे वह बिस्तर पर बैठ गए और एक दृढ़ संकल्प लिया कि अब से वह अपना जीवन केवल अध्ययन के लिए समर्पित करेंगे, मनोरंजन के लिए नहीं .... इसके बाद, वह कोलंबिया में अपने बौद्धिक अन्वेषणों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने लग गये थे।

कोलंबिया युनिवर्सिटी का लगभग 100 साल पुराना चित्र

उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। रात में जब बगल के कमरे में छात्र जोर–जोर से हंसते और हंगामा करते तो भीमराव अपने कमरे के दरवाजे–खिड़कियां बंद कर देते और कानों में रुई के गोले डालते ताकि वह बैठकर पढ़ाई कर सकें।

1915 में उन्होंने अध्ययन के अन्य विषयों के रूप में समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, नृविज्ञान के साथ अर्थशास्त्र पढ़ाई करते हुए जून में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की।

उन्होंने एक शोध प्रबंध प्रस्तुत की, "एनशीऐंट इंडियन कॉमर्स" उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, उन्हें एक विशेष रात्रिभोज में कला संकाय के छात्रों और प्रोफेसरों द्वारा सम्मानित किया गया। 1916 में उन्होंने एक और एम.ए. शोध प्रबंध प्रस्तुत की, "नेशनल डिवीडेंड ऑफ इंडिया–ए हिस्टोरिकल एंड एनेलिटिकल स्टडी" यह वही था जो बाद में उनके पी. एच.डी. शोध कार्य का केंद्र बना। निबंध । (कीर, पृ. 29.)

9 मई 1916 को, उन्होंने मानव विज्ञानी **प्रो. एलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर** (1880–1940) द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में पहले अपना पेपर *"भारत में जातियाँ: उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास"* पढ़ा। डॉ. आंबेडकर को इस पेपर पर बहुत गर्व था। यह *इंडियन आरकाइव (मई 1917)* में प्रकाशित हुआ था। 1936 के अंत तक उन्होंने लिखा कि केवल समय की कमी ने उन्हें ''जाति का विनाश'' पर फिर से काम करने से रोक दिया ।

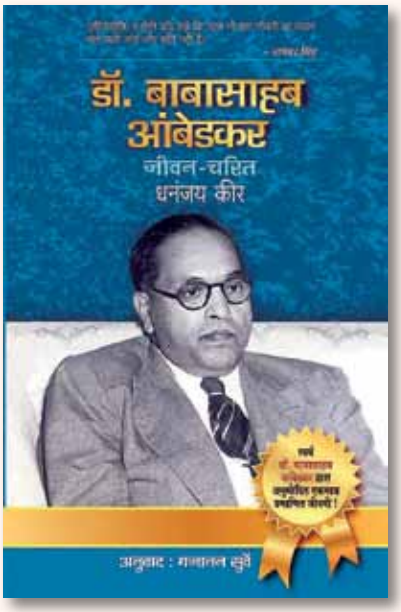

1916 में लंदन पहुंचने पर क्या हुआ

जून 1916 में उनका जहाज लंदन पहुंचा, जहां पुलिस को उनके क्रांतिकारी होने का संदेह हुआ। ''पुलिस ने आंबेडकर के सभी कपड़ों की तलाशी ली, और उनके जूतों के अंदर की बारीकी से जाँच की। इस पूरी कार्रवाई के बाद, पुलिस आश्वस्त हो गई, और उन्होंने आंबेडकर को आगे जाने की अनुमति दी। वह सौभाग्य से **प्रो. हेनरी रोजर्स सीगर** से **प्रो. एडविन केनन** को लिखा परिचय पत्र, और दूसरा **प्रो. एडविन सेलिगमैन** से **सिडनी वेब** के लिए परिचय पत्र पास होने के कारण हुआ था।" *(खैरमोडे–1: 88–89)*।

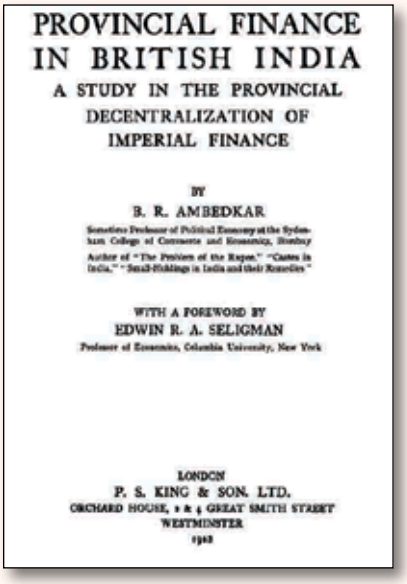
PROVINCIAL FINANCE
IN BRITISH INDIA
A STUDY IN THE PROVINCIAL
DECENTRALIZATION OF
IMPERIAL FINANCE

BY
B. R. AMBEDKAR

WITH A FOREWORD BY
EDWIN R. A. SELIGMAN

LONDON
P. S. KING & SON, LTD.

अक्टूबर 1916 लंदन अक्टूबर में उन्होंने **'ग्रेज इन्न'** बार एट लॉ और **लंदन स्कूल ऑफ इक्नामिक्स एंड पॉलिटिकल साइन्स** में इक्नामिक्स में दाखिला कराया। जहां पर उन्हें पी.एच.डी. शोध कार्य पर काम शुरू करने की अनुमति दी गई। वह अक्सर ब्रिटिश लाइब्रेरी रीडिंग रूम में काम करते थे। उनकी शोध कार्य अंततः *''प्रोविन्शियल फाईनेंस इन ब्रिटिश इंडिया''* के रूप में प्रकाशित हुई थी।

1917 भारत वापसी

भीमराव की बड़ौदा रियासत के **महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ (तीसरे)** से मिली छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी, जिससे उन्हें जून में अपने अधूरे काम के साथ भारत वापस जाने के लिए बाध्य होना पड़ा हालाँकि, उन्हें लंदन लौटने और चार साल के भीतर इसे खत्म करने की अनुमति दी गई थी। ***उन्होंने अपने कीमती और बहुचर्चित पुस्तकों के संग्रह को एक स्टीमर पर वापस भारत भेज दिया – लेकिन इसे पूरी तरह से नष्ट कर यह जर्मन पनडुब्बी द्वारा डुबा दिया गया था। (कीर, पृ. 32.)***

भारत वापिस पहुंचने पर उनका परिवार के साथ एक भावनात्मक पुर्नमिलन हुआ।

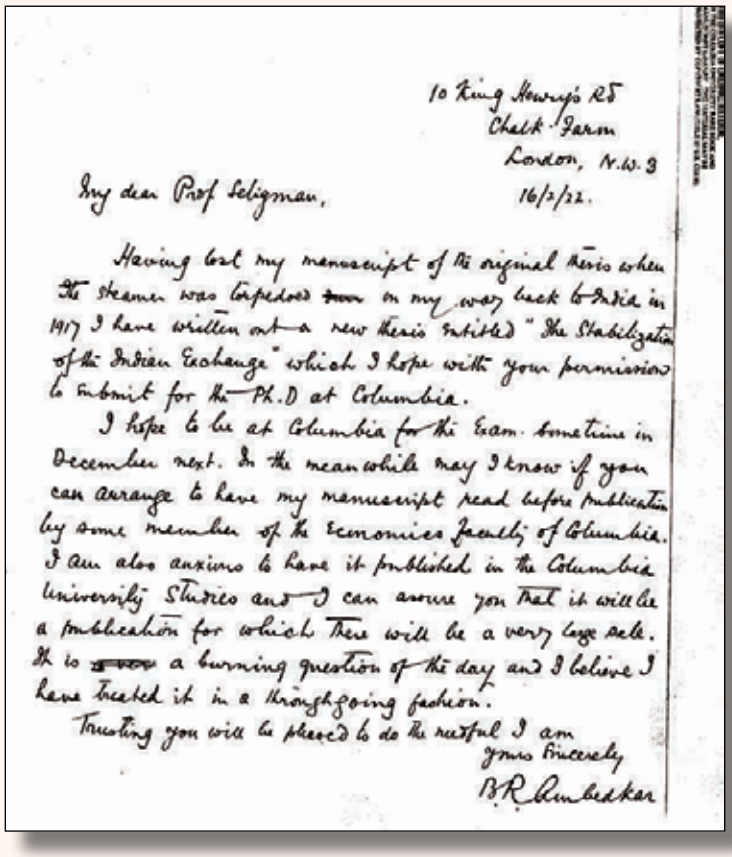

10 King Henry's Rd
Chalk Farm
London, N.W. 3
16/3/22.

My dear Prof Seligman,

Having lost my manuscript of the original thesis when the steamer was torpedoed ~~from~~ on my way back to India in 1917 I have written out a new thesis entitled "The Stabilization of the Indian Exchange" which I hope with your permission to submit for the Ph.D at Columbia.

I hope to be at Columbia for the Exam. sometime in December next. In the meanwhile may I know if you can arrange to have my manuscript read before publication by some member of the Economics faculty of Columbia. I am also anxious to have it published in the Columbia University Studies and I can assure you that it will be a publication for which there will be a very large sale. It is ~~a~~ a burning question of the day and I believe I have treated it in a thoroughgoing fashion.

Trusting you will be pleased to do the needful I am
yours Sincerely
B.R. Ambedkar

किसी स्कॉलर के लिए उसकी किताबें ही सबसे महत्वपूर्ण ख़जाना होती हैं। अगर वो किताबें किसी थीसिस लिखने के लिए, रेफ़रेंस के लिए अति जरूरी हो और गुम हो जाएं या खराब हो जाये तो उस स्कॉलर के लिए इससे बड़ा कोई और नुकसान हो ही नहीं सकता।

बाबासाहेब की ऐसी ही बहुत सारी अमूल्य किताबें लंदन से भारत के लिए जब स्टीमर पर भेजी गई तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो स्टीमर जर्मन नेवी द्वारा तारपीडो होने से नष्ट हो गया था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और थीसिस दुबारा नए सिरे से लिखा। स्पष्ट है कि इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल पेश आई होगी।

बाबासाहेब का वो खत जिसमें उन्होंने अपने थीसिस की मूल प्रति समुद्री जहाज के तारपीडो होने के कारण नष्ट होने और फिर से एक नया थीसिस लिखकर कोलंबिया युनिवर्सिटी की पीएच.डी. के लिए प्रस्तुत किए जाने का जिक्र किया।

1917 सैन्य सचिव के रूप में, बड़ौदा रियासत में

उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था। वह अपनी छात्रवृत्ति की शर्त के रूप में बड़ौदा सेवा में शामिल होने के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन यह अनुभव सुखद नहीं रहा। यहां तक कि बड़ौदा पहुंचने के लिए भी उन्हें अपने यात्रा खर्च का भुगतान करना पड़ता था। इन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने **थॉमस कुक एंड कंपनी** द्वारा अपने नष्ट हो चुके सामान के लिए भुगतान किए गए नुकसान का इस्तेमाल किया। और जब वह बड़ौदा पहुंचे तो हालात बद से बदतर हो गए थे।

अपनी आत्मकथा *"वेटिंग फॉर ए वीजा"* में डॉ आंबेडकर लिखते हैं, "मेरे यूरोप और अमेरिका में रहने के पांच साल मेरे जहन से पूरी तरह से मिटा दिया था कि मैं एक अछूत था, और एक अछूत जहां भी वह भारत में गया, वह अपने और दूसरों के लिए एक समस्या थी। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरा मन एक सवाल से काफी परेशान था, 'कहाँ जाना है? मुझे कौन ले जाएगा?"...

बड़ौदा: पारसी सराय की कहानी

लंदन युनिवर्सिटी की इस दूसरी यात्रा से पहले, आंबेडकर की बड़ौदा में पारसी समुदाय के सदस्यों के साथ एक दर्दनाक मुलाकात हुई थी–आंबेडकर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना जिसने उनकी सोच को गहराई से आकार दिया।

कोलंबिया से लौटने के बाद, आंबेडकर बड़ौदा में रहने के लिए आ गए जहाँ उन्हें अपने छात्रवृत्ति अनुबंध को पूरा करने के लिए काम करना पड़ा। चूंकि इस कोलंबिया–शिक्षित विद्वान को जातिगत पूर्वाग्रह के कारण बड़ौदा में रहने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए वह एक पारसी सराय में रहने लगे। हालाँकि, सराय केवल पारसियों के लिए खुली थी। जब उनसे उनकी जाति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद को हिंदू घोषित कर दिया।

हालाँकि, यह व्यवस्था अल्पकालिक थी। समुदाय के अन्य लोगों ने आंबेडकर की जाति का पता लगाया। हाथ में लाठी लिए पारसियों की उत्तेजित भीड़ ने सराय में धावा बोल दिया। आंबेडकर ने अपने कमरे के सामने के दुखद दृश्य का वर्णन किया है: *"(उन्होंने) सवालों की झड़ी लगा दी। तुम कौन हो? आप यहां क्यों आये हैं? पारसी नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बदमाश! आपने पारसी सराय को प्रदूषित कर दिया है।" उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया कि शाम तक सराय में मैं न दिखूं। मुझे अपना सामान पैक करना चाहिए। नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और चले गए।" ("वेटिंग फॉर ए वीजा", अध्याय दो, डॉ. बी.आर. आंबेडकर कम्प्लीट वर्क्स,* **डॉ. आनंद तेलतुम्बडे** द्वारा रचित)।

वह रात, आंबेडकर ने पास के एक पार्क (कांतिबाग) में बिताई। वह सो नहीं सके। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उनका सूटकेस, बिस्तर और उसके सारे प्रमाण पत्र और किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया।

आज, पार्क में वह स्थान स्मरण और श्रद्धांजलि का स्थान है। एक छोटी पट्टिका और एक स्मारक मंदिर है जिसे एक दशक पहले ही बनाया गया है।

एक निजी टयूटर, लेखाकार और निवेश परामर्शदाता

1918 बड़ौदा की विफलता के बाद, उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीवन यापन करने के तरीके खोजने की कोशिश की। पारसी मित्रों की सहायता से वे एक 'निजी ट्यूटर' बन गए, और उन्हें एक 'लेखाकार' के रूप में कुछ काम मिला। उन्होंने एक 'निवेश परामर्श व्यवसाय' भी शुरू किया, लेकिन यह विफल हो गया जब उनके ग्राहकों को पता चला कि वह एक अछूत हैं। *('कीर ', पीपी। 37–38।)*

1918 के अंत में वे मुंबई में **सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इक्नामिक्स** में **पॉलिटिकल इकोनॉमी** के **प्रोफेसर** बने। यहाँ पर वह अपने छात्रों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल रहे, लेकिन इसी कॉलेज के कुछ अन्य प्रोफेसरों ने उनके द्वारा उसी पीने के पानी के जग को साझा करने पर आपत्ति जताई, जिसका वे सभी उपयोग करते थे। *('कीर', पृ. 39.)*

1918 में *न्यू जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमी* में उन्होंने **बर्ट्रेंड रसेल** की एक पुस्तक *"मिस्टर रसेल एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी"* की समीक्षा की और इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी के नए जर्नल में उन्होंने *''स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज''* के रूप में प्रकाशित किया।

परिवार का समर्थन और उनकी तपस्या

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के प्रख्यात जीवनी लेखक खैरमोडे लिखते हैं:–

उनके बेटे, यशवंत का जन्म 1912 में हुआ था। 1913 से 1920 के बीच सात वर्षों में भीमराव के तीन बच्चे थे: दो बेटे, गंगाधर और रमेश, और एक बेटी, इंदु. एक साल से कुछ अधिक उम्र में ही तीनों बच्चों की मौत हो गई'' (**'खैरमोडे'** I: 108)

रमाबाई, एक वफादार पत्नी के रूप में, अपने पति के संघर्षों में साझा रही (हालांकि हमेशा अनावश्यक रूप से नहीं)। उन्होनें बाबासाहेब के लिए कई निजी कुर्बानियां भी दी हैं।

11 नवंबर, 1918 से 11 मार्च, 1920 तक की अवधि में, जब वह सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, आंबेडकर का सामाजिक और पारिवारिक जीवन, जैसा कि पहले वर्णित है, व्यथित था। ***लंदन युनिवर्सिटी में अधूरी रह गई अपनी युनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी करने की उनकी महत्वाकांक्षा की लौ उनके दिमाग में आंखों के सामने लगातार जलती रही।***

इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई को शिक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए, उन्होंने आंबेडकर की निरंतर शिक्षा और सीखने के लिए बहुत सारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन बलिदान भी किए।

एक कमरे में सात या आठ लोग-और दूसरे कमरे में बाबासाहेब की पढ़ाई...

डॉ. आंबेडकर की पत्नी रमाबाई ने मन में दृढ़ संकल्प लिया और उन्हें युनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाने की बिना शर्त अनुमति दे दी। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित किया

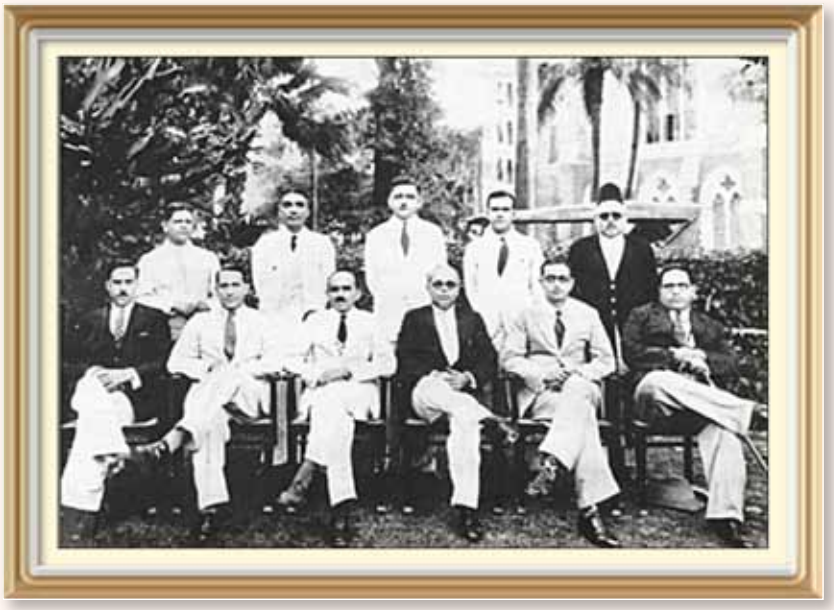

डॉ. आंबेडकर ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई के प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य निर्वहन किया।

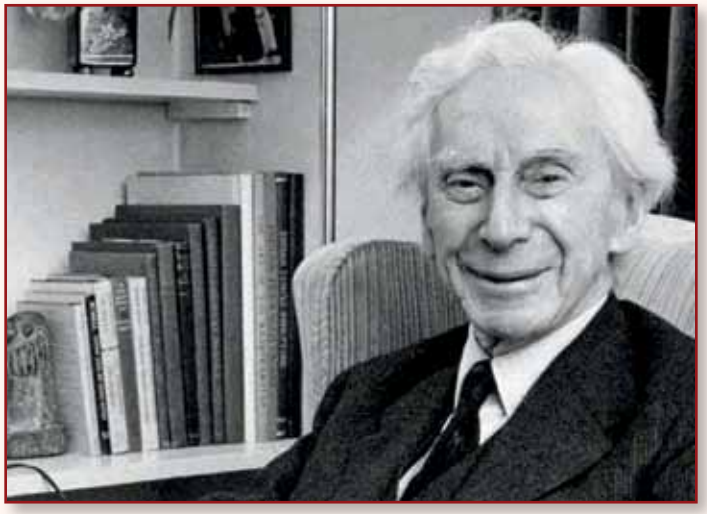

बर्टेंड रसेल की एक पुस्तक "मिस्टर रसेल एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी" की डॉ. आंबेडकर 1918 में समीक्षा की और इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी के नए जर्नल में उन्होंने "स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज" के रूप में प्रकाशित किया।

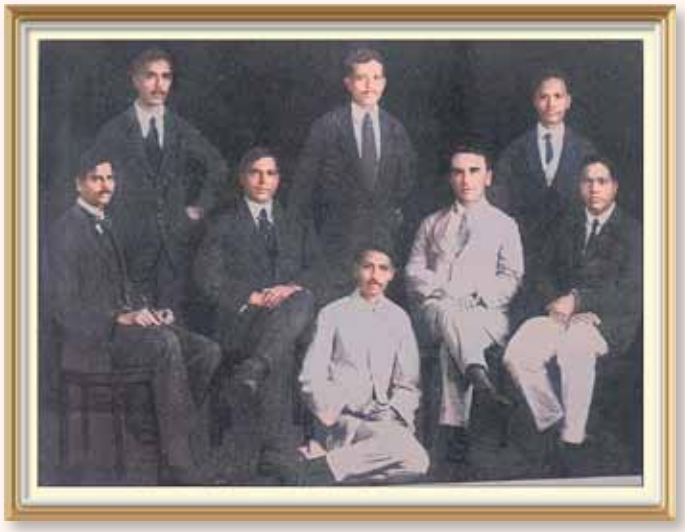

सिडेनहैम कॉलेज, मुंबई में इकनामिक्स के प्रो. के रूप में 1918–20 में कार्य किया।

प्रोफेसर लास्की ने 1920 से 1950 तक लंदन स्कूल ऑफ इकनामिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान पढ़ाया और उनकी शिक्षाओं ने अफ्रीका और एशिया के नेताओं की भावी पीढ़ी को प्रभावित किया। जब डॉ. आंबेडकर ने 1923 में स्टूडेंटस यूनियन के समक्ष भारत में 'रिस्पोन्सिब्लटीस ऑफ ए रिस्पोन्सिब्ल गवर्नमेंट इन इंडिया' पर अपना पेपर पढ़ा, तो
प्रो. लास्की ने कहा कि ''पेपर में व्यक्त किए गए विचार स्पष्ट रूप से एक क्रांतिकारी जैसे थे।''

कि उनके पति की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा न आए। एक ओर एक कमरे में सात–आठ लोग रहते थे और वहीं दूसरी ओर अलग कमरे में भीमराव पढ़ते रहते थे। वह घर के लोगों की पीड़ा, पैसे की कमी, कड़ी मेहनत, आदि–इन सभी चीजों में यह सुनिश्चित करती थी कि उसके पति को इन सब के बारे में आभास न हो। वह सावधानीपूर्वक इंतजाम करती थी ताकि घर के बच्चे और उसके पड़ोसियों के बच्चे उसके पति के कमरे के सामने किसी प्रकार का व्यवधान न करें।

पति अर्थशास्त्र की अपनी बड़ी मोटी किताबों को पढ़ने और उनके नोट्स बनाने में तल्लीन रहते थे। दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद, वह पूरी तरह से पढ़ाई की ट्रान्स अवस्था समाधि, में तल्लीन हो जाते थे। खाने का समय होने पर रमाबाई उसे बाहर से बार–बार बुलाते–बुलाते थक जाती थी, फिर भी पति पढ़ाई में ही लगे रहते थे। कभी–कभी, बिना खाए, वह पूरे दिन और पूरी रात इस समाधि में रहते थे।

प्रस्तुतिः *के. एस. रामुवालिया*
प्रधान निदेशक

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर
(1891-1956)

“एक ऐसा युगपुरुष जिसने सभी के लिए सामाजिक न्याय की ओर ‘कानून के पहिये’ को मोड़ने का प्रयास किया !”

प्रो. जेम्स शॉटवेल (1874-1965)
इतिहास के एक अमेरिकी प्रोफेसर

इन्होंने 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे यु. एन. चार्टर में **'मानवाधिकारों की घोषणा'** को शामिल करने के लिए जाने जाते है।

प्रो. एडविन सेलिगमैन (1861-1939)
एक अमेरिकी अर्थशास्त्री

इन्हें टैक्सेशन एवं पब्लिक फाईनेंस से जुड़े उनके अग्रणी कार्यों के लिए याद किया जाता है। सेलिगमैन **अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन** के संस्थापक थे। सेलिगमैन के विचारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कर सुधारों को भी निर्देशित किया। वे पब्लिक फाइनेंस के ग्लोबल एक्सपर्ट थे।

कोलंबिया युनिवर्सिटी

''मेरे जीवन में मेरे सबसे अच्छे दोस्त कोलंबिया युनिवर्सिटी, में मेरे कुछ सहपाठी और मेरे महान प्रोफेसर, जॉन डेवी, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमैन और जेम्स हार्वे रॉबिन्सन थे''

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर
(कोलंबिया एलुम्नी न्यूज यूएसए, दिसंबर 1930)

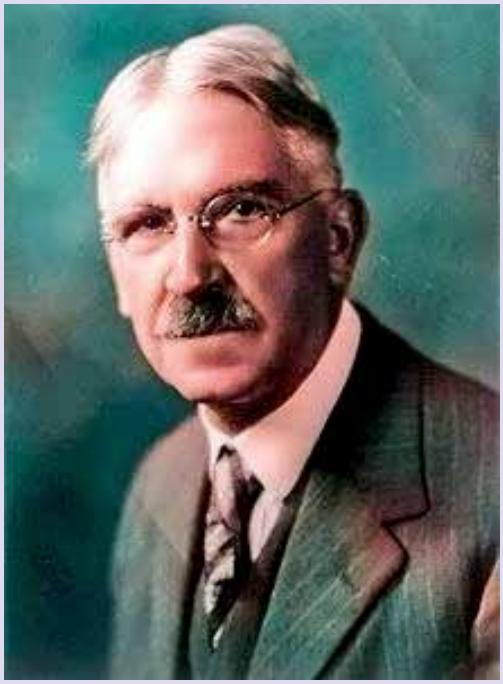

प्रो जॉन डेवी (1859-1952) 'अमेरिकी शिक्षा के पिता' और 'अमेरिकी दर्शन के पितामह'

कोलंबिया युनिवर्सिटी, यूएसए में, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने प्रो. जॉन डेवी के अधीन अध्ययन किया, जिन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के बारे में उनके कई विचारों को प्रेरित किया।

प्रो. जेम्स रॉबिन्सन (1863-1926)
एक अमेरिकी इतिहासकार

इन्होंने इतिहास के अध्ययन और शिक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अपने लेखन और व्याख्यानों के माध्यम से **'नए इतिहास'** जिसमें राजनीतिक घटनाओं के बजाय मानवता की सामाजिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रगति पर बल दिया। इतिहास शिक्षण और पाठ्यक्रम के दायरे को व्यापक बनाने में उनके विचार बेहद प्रभावशाली थे।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली-110124

चित्रः दीक्षा भूमि, नागपुर सूर्योदय के समय

पं.सं.-2 एल (9)/8747177/87(90)